



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का  
राजस्थान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर  
निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 5

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का  
राजस्थान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर  
निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

राजस्थान सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 5

विषय सूची		
	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सारांश		v
<b>अध्याय I: प्रस्तावना</b>		
राज्य में डीबीटी	1.1	1
विभाग एवं योजनाओं का चयन	1.2	2
चयनित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण	1.2.1	3
लेखापरीक्षा का दायरा, जिलों और निम्न स्तर की इकाईयों का चयन और लेखापरीक्षा पद्धति	1.2.2	4
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	6
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	7
एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का राजएसएसपी पोर्टल	1.5	7
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में डीबीटी प्रक्रिया	1.6	8
प्रशंसनीय कदम	1.7	11
अंतरिम लेखापरीक्षा अनुशंसाओं पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	1.8	12
आभार	1.9	13
<b>अध्याय II: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में डीबीटी का कार्यान्वयन</b>		
स्वीकृतियों के अनुमोदन के लिए समितियों का गठन	2.1	15
आवेदनों की स्वीकृति	2.2	16
एकल नारी पेंशन की स्वीकृति	2.3	17
वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति	2.4	19
लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	2.5	21
स्वतः स्वीकृत आवेदनों की पश्च-लेखापरीक्षा	2.6	25
लाभार्थियों को भुगतान की गई पेंशन की दरें	2.7	26
भामाशाह/जन-आधार/आधार संस्था का विवरण	2.8	27
लाभार्थी की मृत्यु के मामलों में डेटा का अद्यतन	2.9	29
राजएसएसपी के प्रणालीगत मुद्दे	2.10	31
<b>अध्याय III: राज्य में डीबीटी का बुनियादी ढांचा, संगठन और प्रबंधन</b>		
राज्य डीबीटी पोर्टल तथा डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एकीकरण	3.1	41
सलाहकार बोर्ड का गठन	3.2	43
राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली	3.3	43
<b>अध्याय IV: अभीष्ट लाभार्थियों को लाभों का वितरण और शिकायत निवारण तंत्र</b>		
पेंशन का समय पर भुगतान	4.1	47
सीएमओएसएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान	4.2	50
पेंशन भुगतान विफलता के निवारण की प्रक्रिया	4.3	52
शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	4.4	57

विषय सूची		
	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
राजएसएसपी पोर्टल पर पंजीकृत शिकायतों का निवारण	4.5	58

परिशिष्टों की सूची		
संख्या	विवरण	पृष्ठ
क	जिलों, निम्न स्तर की इकाईयों और लाभार्थियों के चयन को दर्शाने वाला विवरण	63
ख	डेटा डंप का विश्लेषण करते समय उपयोग किए गए फ़िल्टर और तालिकाओं को दर्शाने वाला विवरण	65
ग	निरर्थक वसूली कारणों से युक्त राजएसएसपी की तालिका 'एसएसपी पेमेंट रिकवरी' का स्क्रीनशॉट एवं कमजोर इनपुट कंट्रोलस का विवरण	72
घ	उन लाभार्थियों का विवरण जिनके मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन स्वारिज कर दिए गए थे	73
ङ	गलत वार्षिक सत्यापन के कारण मृत्यु/विवाह के बाद पेंशन के भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	74
च	60 दिनों से अधिक लंबित स्वतः सत्यापित मामलों की पश्च-लेखापरीक्षा को दर्शाने वाला विवरण	76
छ	पश्च-लेखापरीक्षा के बाद अपात्र पाए गए पेंशनभोगियों को दर्शाने वाला विवरण	78
ज	डुप्लीकेट लाभार्थियों को दर्शाने वाला विवरण	83
झ	लाभार्थियों को दोहरे भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	84
ञ	आधार/जन-आधार रहित लाभार्थियों को दर्शाने वाला विवरण	85
ट	राजएसएसपी की "हज्बंद डाइवोर्स इश्यूइंग ऑथोरिटी" तालिका का आवश्यक जानकारी नहीं दर्शाने वाला स्क्रीनशॉट	97
ठ	राजएसएसपी में शिकायतों के विवरण रहित शिकायत निवारण तालिका का स्क्रीनशॉट	98
ड	पेंशन के झूठे भुगतान को दर्शाने वाले राजएसएसपी के गलत पेंशनभोगी भुगतान रजिस्टर (ओएपी 7) का स्क्रीनशॉट	99
ढ	टी वी संख्या रहित पेंशन भुगतानों को दर्शाने वाला स्क्रीनशॉट	100
ण	एक ही लाभार्थी के पेंशन भुगतान के संबंध में बेमेल जानकारी दिखा रही ओएपी 7 और राजएसएसपी की 'सर्विस गारंटी रिपोर्ट' के स्क्रीनशॉट	102
त	उन लाभार्थियों को दर्शाने वाला विवरण जिनके पेंशन बकाया का भुगतान नहीं किया गया	103
थ	सीएमडब्ल्यूपीएस (अब सीएमइएनएसपीएस) के उन लाभार्थियों को दर्शाने वाला विवरण जिनकी पेंशन रोक दी गई	115
द	राजएसएसपी पोर्टल पर अनुत्तरित शिकायतों का स्क्रीनशॉट	116

## प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) एक ऐसी शासनिक व्यवस्था है जो सरकार एवं जनता के बीच सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल शासन को सुनिश्चित करती है और छीजत को दूर करने, देरी को कम करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए लाभार्थियों का हक सीधे बैंक खातों में प्रदान करती है।

अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 की अवधि को सम्मिलित करने वाले इस प्रतिवेदन में दो चयनित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

## कार्यकारी सारांश

### इस लेखापरीक्षा के उद्देश्य

डीबीटी एक प्रमुख सरकारी सुधार पहल है जिसमें सही लाभार्थियों को धन के सरल और तेज प्रवाह की परिकल्पना की गई है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप, लॉकडाउन और सामाजिक दूरियों के मानदंडों को लागू करने के साथ, डीबीटी लोगों को सहायता और राहत प्रदान करने में एक वरदान के रूप में उभरा है। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत दो योजनाओं यथा मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना को सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा ने लाभार्थियों की व्याप्ति, पहचान, दक्षता और भुगतान प्रक्रिया की रूपरेखा पर ध्यान केंद्रित किया। लेखापरीक्षा का उद्देश्य डीबीटी के मध्यवर्ती स्तर, अभीष्ट लाभार्थियों को भुगतान में देरी और छीजत और दोहराव को कम करने हेतु कार्यान्वयन में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन एवं मूल्यांकन करना था।

लेखापरीक्षा ने यह भी जांचा कि क्या डीबीटी का बुनियादी ढांचा, संगठन और प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था और लाभार्थियों को वास्तव में लाभ प्राप्त हुए।

इसके अलावा, राजएसएसपी<sup>1</sup> के डेटा डंप का विश्लेषण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि क्या योजना का डेटा विश्वसनीय, सटीक और पूर्ण था, सभी लाभार्थियों के डेटा को डिजिटाइज़ किया गया था, लाभार्थी डेटा में त्रुटियों को रोकने के लिए नियंत्रण मौजूद थे और असफल संव्यवहारों की निगरानी, अनुश्रवण और मिलान किया गया था।

### संक्षेप में परिणाम

पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान में विलम्ब हुआ जिसके कारण लाभार्थी विलंबित अवधि के लिए योजना के लाभों से वंचित रहे। पेंशन उन आवेदकों को स्वीकृत की गई जिन्होंने आवेदन की तिथि पर पात्रता की न्यूनतम आयु प्राप्त नहीं की थी जबकि कुछ मामलों में पात्र आवेदकों के आवेदन रद्द कर दिए गए थे, जो निगरानी की विफलताओं को दर्शाता है।

भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया सुदृढ़ नहीं पाई गई। विभाग के पास अपात्र मामलों को हटाने और गलत भौतिक सत्यापन के मामलों की पहचान करने के लिए लाभार्थियों की पात्रता की आवधिक समीक्षा के लिए प्रणाली का अभाव था।

स्वतः स्वीकृत आवेदनों की अनिवार्य पश्च-लेखापरीक्षा नहीं की गई थी और अपात्र स्वतः स्वीकृत आवेदनों के पेंशन भुगतान के मामलों में वसूली लंबित थी। जिन लाभार्थियों के पास विशिष्ट

---

<sup>1</sup> राजएसएसपी पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किया जाता है।

आईडी नहीं है, उन्हें दोहरी पेंशन का भुगतान किया गया।

राजएसएसपी के प्रणालीगत मुद्दे जैसे मल्टी-फैक्टर औथेंटिकेशन की कमी, सिस्टम रिकवायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अद्यतन की कमी और बिजनस कन्टीन्युटी प्लान / डिजास्टर रिकवरी प्लान के कार्यान्वयन में कमी एवं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट कंट्रोल्ल्स में भी कमियां देखी गयीं।

राज्य डीबीटी पोर्टल पर राज्य की डीबीटी योजनाओं के महत्वपूर्ण विवरण नहीं थे जैसे कि योजना में लाभार्थियों की संख्या, लाभार्थियों को हस्तांतरित राशि, माह-वार/वर्ष-वार डीबीटी हस्तांतरण, डीबीटी के कारण बचत आदि।

सीएमओएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस से संबंधित शिकायतों/प्रश्नों के निपटान में भारी देरी पाई गई।

### **निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष और अनुशंसाएं**

अध्याय-वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष आधारित लेखापरीक्षा सार और अनुशंसाएं इस प्रकार हैं।

#### **अध्याय II: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में डीबीटी का कार्यान्वयन**

- मृत लाभार्थियों को 'जीवित' सत्यापित किया जाना, जीवित लाभार्थियों की पेंशन 'मृत' के रूप में गलत तरीके से सत्यापित होने पर रोक लेना और सत्यापन के दौरान अपात्र पाए गए आवेदकों को 'सत्यापित' चिह्नित कर भुगतान करते रहना जैसी अनियमितताएं लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली में पाई गई।

**(अनुच्छेद 2.5)**

- स्व-सत्यापन/स्वीकृति के प्रकरण स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों द्वारा पश्च-लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी तथा संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी उन प्रकरणों में निर्धारित नहीं की जा रही थी जहाँ स्वतः सत्यापन/स्वीकृति के कारण गलत पेंशन का भुगतान किया गया।

**(अनुच्छेद 2.6)**

- विशिष्ट आईडी को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) से लिंक नहीं किया गया था जिसके कारण लाभार्थियों का दोहराव हुआ और पेंशन के दोहरे भुगतान के मामले सामने आए। विभाग सभी लाभार्थियों के लिए विशिष्ट आईडी प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्रयास और उनके पीपीओ को इन विशिष्ट आईडी से जोड़ने में विफल रहा।

**(अनुच्छेद 2.8)**

- सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों जैसे मल्टी-फैक्टर औथेंटिकेशन की कमी, सिस्टम रिकवायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अद्यतन की कमी और बिजनस कन्टीन्युटी प्लान / डिजास्टर रिकवरी प्लान के कार्यान्वयन की कमी को देखा गया।

**(अनुच्छेद 2.10)**

### अनुशंसाएं:

- पेंशन नियमों को जन-आधार के अनुरूप किया जाए क्योंकि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पात्रता संबंधी जानकारी जन-आधार से प्राप्त की जा रही है।
- राजएसएसपी में एक ऐसी विशेषता सम्मिलित की जाए जो जन-आधार डेटाबेस में लाभार्थी के पात्रता सम्बन्धी विवरणों के संशोधन से जुड़े मामलों को विभाग द्वारा आगे की जांच के लिए उजागर करे।
- गलत सत्यापन और स्वीकृति के मामलों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाएं।
- वार्षिक भौतिक सत्यापन की प्रणाली में प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों की पात्रता का व्यापक मूल्यांकन और बैंक खाता संख्या जैसे मूलभूत विवरणों का सत्यापन सम्मिलित किया जाए।
- राजएसएसपी पर पात्र लाभार्थियों के सीएमओएसपीएस से सीएमईएनएसपीएस में स्वतः स्थानान्तरण की सुविधा लागू हो और इस सुविधा को 'विधवाओं' के अलावा 'परित्यक्ता' और 'तलाकशुदा' लाभार्थियों तक भी पहुंचाया जाए। सीएमईएनएसपीएस में स्थानान्तरण के लिए पात्र सीएमओएसपीएस के लाभार्थियों के संबंध में राजएसएसपी पर एक एमआईएस रिपोर्ट ऐसे स्थानान्तरणों में किसी भी बकाया की निगरानी के लिए सहायक हो सकती है।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि शेष लाभार्थियों की जन-आधार आईडी राजएसएसपी पर अद्यतन की गई है और सभी पीपीओ को समयबद्ध तरीके से जन-आधार आईडी से जोड़ा जाए ताकि राजएसएसपी डुप्लीकेट लाभार्थियों तथा दोहरे भुगतान के मामलों का पता लगाने और उन्हें रोकने में सक्षम हो।
- डेटा सुरक्षा, सटीकता, वैधता सुनिश्चित करने और योजनाओं के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन में राजएसएसपी की क्षमता को बढ़ाने के लिए राजएसएसपी के एप्लीकेशन कंट्रोल्ल्स में स्वामियों को दूर करने के प्रयास किये जाएं।
- विभाग के आईटी सिस्टम में डेटा की वैधता, अखंडता और सुरक्षा जैसे पहलुओं की समर्पित और केंद्रित तरीके से निगरानी और प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जा सकता है।

### अध्याय III: राज्य में डीबीटी का बुनियादी ढांचा, संगठन और प्रबंधन

- राज्य डीबीटी पोर्टल (जन-आधार पोर्टल) को डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एकीकृत नहीं किया गया था। राज्य डीबीटी योजनाओं के महत्वपूर्ण विवरण जैसे लाभार्थियों की संख्या, प्रति लाभार्थी लाभ हस्तांतरण की राशि, माह-वार/वर्ष-वार डीबीटी हस्तांतरण, और डीबीटी के कारण बचत आदि पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थे। यह भी देखा गया कि राज्य



डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं के सीमित डेटा को वास्तविक समय में अद्यतन नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.1)

- राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ योजना/विभाग विशिष्ट आईसीटी एप्लीकेशन के विकास में सम्मिलित नहीं था और ऐसे एप्लीकेशन्स का विकास संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा था। राज्य के कार्मिकों की क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला भी आयोजित नहीं की गई।

(अनुच्छेद 3.2 एवं 3.3)

### अनुशासन

राज्य सरकार:

- राज्य डीबीटी पोर्टल पर राज्य में सभी डीबीटी योजनाओं की योजना-वार जानकारी की उपलब्धता तथा डीबीटी भारत पोर्टल के साथ इसकी उचित लिंकिंग सुनिश्चित कर सकती है।
- राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ को राज्य के डीबीटी से संबंधित मामलों के लिए नोडल बिंदु के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए विशेषज्ञ तकनीकी सहायता का प्रावधान करे।

### अध्याय IV: अभीष्ट लाभार्थियों को लाभों का वितरण और शिकायत निवारण तंत्र

- पेंशन नियमों द्वारा निर्धारित समय सीमा के विपरीत पेंशन का भुगतान काफी देरी से किया गया।

(अनुच्छेद 4.1)

- अधिक/अनियमित पेंशन भुगतान से संबंधित वसूली लंबित थी।

(अनुच्छेद 4.2)

- लाभार्थियों को असफल भुगतान के बारे में सूचित करने के लिए प्रावधान नहीं होने के साथ पेंशन भुगतान असफलताओं को दूर करने की प्रक्रिया में कमियां देखी गईं और लाभार्थियों को विवरण के सुधार के लिए अनावश्यक चरणों के साथ लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा था।

(अनुच्छेद 4.3)

- डीबीटी प्रकोष्ठ/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा डीबीटी से संबंधित शिकायतों और लाभार्थियों की शिकायतों से निपटने के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना नहीं की गई थी। राजएसएसपी पर सीएमओएसपीएस और सीएमईएसपीएस से संबंधित पंजीकृत शिकायतों/प्रश्नों के निपटान में काफी बकाया पाया गया।

(अनुच्छेद 4.4 एवं 4.5)

## अनुशंसाएं

राज्य सरकार:

- विलंबित भुगतान के कारणों का विश्लेषण और पेंशन नियमों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करे;
- लाभार्थियों को पेंशन भुगतान विफलता के प्रकरणों में एसएमएस जैसे माध्यमों से आवश्यक जानकारी देने के साथ सहायता प्रदान करे;
- लाभार्थी विवरण के सुधार की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कदम उठाएं ताकि जन-आधार विवरण, उचित सत्यापन के बाद अद्यतन होने पर, जन-आधार से जुड़े सभी पेंशन भुगतानों के लिए स्वतः स्वीकृत हो जाएं;
- शिकायतों/ परिवेदनाओं का त्वरित और प्रभावी समाधान करने के लिए एक समर्पित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन करे।

अध्याय – I

प्रस्तावना

## अध्याय I

### प्रस्तावना

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भारत सरकार की एक प्रमुख सुधार पहल है, जो लोगों को सरकार से लाभ का बेहतर और समय पर वितरण सुनिश्चित करती है। यह मजदूरी भुगतान, ईंधन अनुदान, स्वाद्यान्न अनुदान आदि जैसे लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने, छीजत को दूर करने और वित्तीय समावेशन<sup>2</sup> को बढ़ाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। डीबीटी एक ऐसी शासन व्यवस्था की परिकल्पना करता है जो एक सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल सरकार से लोगों के बीच इंटरफ़ेस सुनिश्चित करती है और पात्र व्यक्तियों और परिवारों को निष्पक्ष, पारदर्शी, कुशल और विश्वसनीय तरीके से सीधे अधिकार प्रदान करती है।

#### 1.1 राज्य में डीबीटी

क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य और एक बड़ी आबादी होने के कारण राजस्थान के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने में विशिष्ट चुनौतियाँ हैं। इसलिए भौतिक वितरण की कमियों को दूर करने के लिए सेवा वितरण के लिये मजबूत इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की आवश्यकता थी ताकि पारदर्शी और छीजत रहित तरीके से निवासियों को जन कल्याण के लाभ घर-घर पहुंचाए जा सकें। राजस्थान में विभिन्न विभाग लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे लाभ और सरकारी सेवाओं के वितरण के लिए योजनाएं चला रहे हैं। वर्ष 2016 में भामाशाह योजना के तहत योजना विभाग में राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी।

राज्य सरकार ने 2008 में वित्तीय समावेशन के लिए भामाशाह योजना शुरू की थी, जिसे 2014 और 2017 में पुनर्गठित किया गया था। भामाशाह अधिनियम<sup>3</sup> को राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय जानकारी का अभिग्रहण करके उन्हें आधार से जुड़ी हुई विशिष्ट आईडी प्रदान करके जन कल्याण लाभों और सेवाओं के सीधे हस्तांतरण के लिए पारित किया गया था। योजना के तहत भामाशाह मंच के माध्यम से नकद और वस्तु के रूप में लाभ पहुंचाने के लिए राज्य की 164 सामाजिक कल्याण योजनाओं को अधिसूचित<sup>4</sup> किया गया। भामाशाह अधिनियम को 2020 में जनाधार अधिनियम<sup>5</sup> द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। भामाशाह योजना (अब जन-आधार योजना) की भूमिका लाभार्थियों की जनसांख्यिकीय जानकारी जैसे लिंग, जन्म तिथि, परिवार के सदस्यों का नाम, बैंक खाता विवरण और पहचान के साक्ष्य के रूप में काम करने की थी।

<sup>2</sup> कैबिनेट सचिवालय के तहत डीबीटी मिशन द्वारा राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के लिए दिशानिर्देश

<sup>3</sup> राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) अधिनियम, 2017

<sup>4</sup> 161 योजनाएँ अधिसूचना दिनांक 6 फरवरी 2017 द्वारा और 03 योजनाएँ अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर 2017 द्वारा

<sup>5</sup> राजस्थान जन-आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020

## 1.2 विभाग एवं योजनाओं का चयन

विभाग का चयन वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान राज्य में किए गए डीबीटी भुगतानों पर सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया था। विवरण नीचे तालिका 1 में दिया गया है:

तालिका 1: विभिन्न विभागों द्वारा 2017-18 से 2019-20 के दौरान किया गया डीबीटी व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	संचयी डीबीटी व्यय
1	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	18,753.57
2	चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	759.14
3	श्रम	713.89
4	स्कूली शिक्षा और भाषा	606.13
5	कौशल, रोजगार और उद्यमिता	402.96
6	उच्च और तकनीकी शिक्षा	20.53
7	सूचना और जनसंपर्क	0.06

स्रोत: डीबीटी भारत पोर्टल और विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

इस प्रकार राजस्थान सरकार (रा.स.) के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (सा.न्या.एवं अधि.वि.) को निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) के लिए चुना गया था। सा.न्या.एवं अधि.वि. मुख्य रूप से शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करने वाले नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए उत्थान कार्यक्रमों के साथ-साथ दिव्यांग, निराश्रित और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों, महिलाओं और वृद्ध नागरिकों के कल्याण हेतु कार्यरत है। विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

- समाज के लक्षित समूहों का सामाजिक-आर्थिक विकास;
- छात्रवृत्तियों और छात्रावास सुविधाओं के माध्यम से लक्षित समूहों की शैक्षिक वृद्धि;
- वृद्ध, दिव्यांग और विधवा/निराश्रित आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं;
- नशीले पदार्थों के आदी व्यक्तियों, शराब तस्करों, लावारिस महिलाओं आदि के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम।

इसके अलावा, सा.न्या.एवं अधि.वि. के भीतर उच्चतम व्यय वाली योजनाएं निम्नानुसार थीं:

तालिका 2: सा.न्या.एवं अधि.वि. की उच्चतम व्यय वाली योजनाएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना में डीबीटी हस्तांतरण की राशि			कुल
		2017-18	2018-19	2019-20	
1	मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना	2,908.52	2,905.81	4,423.84	10,238.17
2	मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना	550.19	1,469.40	1,793.66	3,813.25
3	मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	298.48	388.47	448.76	1,135.71

स्रोत: सा.न्या.एवं अधि.वि. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

सा.न्या.एवं अधि.वि. के तहत सबसे ज्यादा व्यय वाली दो योजनाओं<sup>6</sup> यानी मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना (सीएमओएसपीएस) और मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना (सीएमईएनएसपीएस) को नि.ले.प. के लिए चुना गया था।

राज्य में इन दो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 3: लाभार्थियों की स्थिति

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या			
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	सीएमओएसपीएस	31,59,187	36,99,340	42,56,407	44,39,776
2	सीएमईएनएसपीएस	13,60,484	14,48,304	15,56,442	15,79,061

स्रोत: सा.न्या.एवं अधि.वि. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

### 1.2.1 चयनित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

सीएमओएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस को सा.न्या.एवं अधि.वि., राजस्थान सरकार द्वारा 1974 से भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत राज्यों को दिए गए अधिदेश को पूरा करने के लिए लागू किया गया है ताकि उनके नागरिकों को निराश्रयता, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता<sup>7</sup> आदि के मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान की जा सके। ये दोनों पेंशन योजनाएं अब राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 (पेंशन नियम) द्वारा शासित हैं।

#### (i) मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना

इस योजना में राजस्थान के निवासियों को पेंशन भुगतान की परिकल्पना की गई है, जिन्होंने निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के साथ 58 (पुरुष) / 55 (महिला) वर्ष की आयु प्राप्त की है:

- (क) उनके और उनके पति या पत्नी के पास आय का नियमित स्रोत नहीं हो या
- (ख) आवेदक और उसके पति या पत्नी की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 48000 प्रति वर्ष से कम हो या
- (ग) बीपीएल या अंत्योदय परिवार का सदस्य हो या
- (घ) सहरिया/काथोडी/खेरवा जाति के हों या आस्था<sup>8</sup> कार्ड धारक परिवार के सदस्य हों।

<sup>6</sup> पत्र दिनांक 04-06-2013 के द्वारा योजनाओं का नाम बदलकर मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना (सीएमओएसपीएस) और मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना (सीएमडब्ल्यूपीएस) से क्रमशः सीएमओएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस कर दिया गया। हालाँकि, डेटा डंप में उनके नाम अभी भी पुराने नामकरण के अनुसार थे।

<sup>7</sup> <https://ssp.rajasthan.gov.in/LoginContent/MidLogin.aspx>

<sup>8</sup> आस्था राजस्थान सरकार की एक योजना है जिसमें कम से कम दो सदस्यों के 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता और ₹ 1.20 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों को बीपीएल परिवारों के समान मुफ्त चिकित्सा उपचार, राशन आदि जैसे लाभ प्रदान किए जाते हैं।

इसके अलावा, यदि आवेदक स्वयं या उसके पति, पत्नी या पुत्र केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, राज्य सरकार, राजकीय उपक्रम में सेवारत हैं या केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, राज्य सरकार, राजकीय उपक्रम के पेंशनभोगी हैं तो वे इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

योजना के तहत 75 वर्ष से कम आयु के लिए ₹ 750 और 75 वर्ष और उससे अधिक आयु होने पर ₹ 1000 प्रति माह पेंशन का भुगतान पात्र लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में किया जाता है।

## (ii) मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

इस योजना में 18 वर्ष और उससे अधिक की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को जो राजस्थान की निवासी हैं निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार पेंशन भुगतान की परिकल्पना की गई है:

- (क) बीपीएल या अंत्योदय परिवार की सदस्य हो या
- (ख) सहरिया/काथोडी/खेरवा जाति की हो या आस्था कार्ड धारक परिवार की सदस्य हो या
- (ग) एचआईवी / एड्स पीड़ित और राज्य एड्स नियंत्रण संस्था के साथ पंजीकृत हो या
- (घ) उसकी वार्षिक आय का कोई नियमित स्रोत नहीं हो या सभी स्रोतों से आय ₹ 48,000 प्रति वर्ष से कम हो।

इसके अलावा यदि आवेदक स्वयं या उसके पुत्र केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, राज्य सरकार, राजकीय उपक्रम में सेवारत हैं या केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, राज्य सरकार, राजकीय उपक्रम के पेंशनभोगी हैं तो वे इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 18 वर्ष की आयु से लेकर 55 वर्ष की आयु तक ₹ 500, 55 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक ₹ 750, 60 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक ₹ 1,000 और 75 वर्ष और उससे अधिक आयु होने पर ₹ 1,500 की मासिक पेंशन मिलती है।

## 1.2.2 लेखापरीक्षा दायरा, जिलों और निम्न स्तर की इकाइयों का चयन और लेखापरीक्षा पद्धति

### (क) लेखापरीक्षा का दायरा

लेखापरीक्षा में अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 तक की अवधि सम्मिलित की गई। लाभार्थियों को डीबीटी / नगद अंतरण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म की जांच की गई। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने लाभार्थियों को लाभों के हस्तांतरण और लाभार्थियों को लाभ की वास्तविक प्राप्ति के साथ योजना कार्यान्वयन से संबंधित विषयों जैसे देरी, शिकायत निवारण आदि पर भी ध्यान केंद्रित किया।

**(ख) जिलों और निम्न-स्तर की इकाईयों का चयन**

कोविड-19 के प्रसार को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लेखापरीक्षा केवल जयपुर और आसपास के जिलों तक ही सीमित थी। इसलिए छह जिलों यानि जयपुर, दौसा, टोंक, सीकर, अजमेर और अलवर तथा इन छह जिलों में से प्रत्येक से दो खंडों का चयन किया गया था। सर्वेक्षण के लिए जिलों, निम्न स्तर की इकाईयों और लाभार्थियों के चयन का विवरण **परिशिष्ट क** में दिया गया है।

**(ग) लेखापरीक्षा पद्धति**

नि.ले.प. के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

- सा.न्या.एवं अधि.वि. और आयोजना विभाग के डिजिटल और भौतिक अभिलेख, डेटा और प्रतिवेदनों की जांच की गई।
- बैंक खातों में पेंशन प्राप्त करने वाले प्रत्येक योजना के 240 लाभार्थियों का तथा मनी आर्डर के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाली दोनों योजनाओं के 72 लाभार्थियों (कुल 552 लाभार्थियों) का लाभार्थी सर्वेक्षण।
- चयनित ग्राम पंचायतों एवं वार्डों के संबंधित कोषालयों में कोषालय स्तर की जांच।
- विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए लॉग इन आईडी आधारित एक्सेस के माध्यम से राजएसएसपी पोर्टल के विभिन्न प्रतिवेदनों में उपलब्ध सूचनाओं की जांच।
- राज्य डाटा केंद्र का संयुक्त भौतिक सत्यापन।

इसके अलावा राजएसएसपी डेटा डंप<sup>9</sup> (दो योजनाओं से संबंधित जानकारी से युक्त) का डेटा विश्लेषण भी किया गया। सा.न्या.एवं अधि.वि. ने विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 की अवधि के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का डेटा डंप (13 जनवरी 2021) उपलब्ध कराया।

डेटा डंप विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि:

- (अ) उपलब्ध कराया गया डेटा विश्वसनीय, सटीक और पूर्ण है;
- (आ) सभी लाभार्थियों के डेटा का डिजिटलीकरण किया गया;
- (इ) लाभार्थी डेटा के अनुमोदन और संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया/कार्य प्रवाह है;
- (ई) डेटाबेस में अनिवार्य फ़ील्ड निर्दिष्ट किए गए हैं/ भरे गए हैं;
- (उ) डेटा के प्रोसेसिंग और अनुमोदन के लिए अलग प्राधिकारियों का निर्धारण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का हिस्सा है;
- (ऊ) लाभार्थी डेटा में त्रुटियों को रोकने के लिए नियंत्रण मौजूद हैं; तथा

<sup>9</sup> डेटा डंप दो प्रणालियों के बीच स्थानांतरित डेटा की बड़ी मात्रा है। उदाहरण के लिए, एक डेटाबेस को दूसरे नेटवर्क सर्वर पर डंप किया जा सकता है, जहां इसका उपयोग अन्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन द्वारा किया जा सकता है या किसी व्यक्ति द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है।



(ए) असफल संव्यवहारों की निगरानी, अनुश्रवण और मिलान किया गया है।

डेटा डंप के डेटा विश्लेषण के दौरान की गई जांच का विवरण **परिशिष्ट ख** में दिया गया है।

सा.न्या.एवं अधि.वि., राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ, सू.प्रो.सं.वि.<sup>10</sup>, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), निदेशालय, कोष और लेखा (डीटीए) और जनाधार प्राधिकरण<sup>11</sup> के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली की व्याख्या करते हुए दिनांक 19 नवम्बर 2020 को एक परिचयात्मक परिचर्चा का आयोजन किया गया था। पेंशन स्वीकृति और भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं सहित राजएसएसपी पोर्टल की कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए 25 नवंबर 2020 को सा.न्या.एवं अधि.वि और एनआईसी के अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग और महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) राजस्थान के अधिकारियों की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। प्रारूप प्रतिवेदन 16 अगस्त 2021 को राज्य सरकार को भेजा गया जिसका प्रत्युत्तर 31 अगस्त 2021 को प्राप्त हुआ। इसके बाद 03 सितंबर 2021 को सचिव, सा.न्या.एवं अधि.वि., एनआईसी, राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ, डीटीए और सू.प्रो.सं.वि. के अधिकारियों के साथ एक समापन परिचर्चा आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों, सरकार के प्रत्युत्तरों और लेखापरीक्षा अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। समापन परिचर्चा के दौरान एवं बाद में राज्य सरकार की प्रतिक्रियाओं को संबंधित अनुच्छेदों में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

### 1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 की अवधि को सम्मिलित करते हुए नि.ले.प. यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि:

- (क) क्या डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रिया की पुनर्रचना (री-इंजीनियरिंग) की गई जिससे:
- मध्यस्थ स्तर,
  - अभीष्ट लाभार्थियों को भुगतान में देरी और
  - छीजत और दोहराव को कम किया जा सके।
- (ख) क्या डीबीटी का बुनियादी ढांचा, संगठन और प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी थे।
- (ग) क्या लाभार्थियों को वास्तव में लाभ प्राप्त हुए।
- (घ) क्या योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रभावी शिकायत निवारण सुनिश्चित किया गया।

<sup>10</sup> सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार

<sup>11</sup> आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना विभाग, राजस्थान सरकार के अंतर्गत

## 1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंडों का मुख्य स्रोत निम्नलिखित दस्तावेजों से प्राप्त किया गया:

- (क) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013
- (ख) राजस्थान कोषागार नियम, 2012
- (ग) सामान्य वित्तीय और लेखा नियम (रा.स.)
- (घ) राजस्थान ई-गवर्नेंस आईटी और आईटीईएस नीति, 2015
- (ङ) राजस्थान जन-आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020
- (च) राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) अधिनियम, 2017
- (छ) राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) नियम, 2018
- (ज) केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दस्तावेज, परिपत्र, आदेश, निर्देश और अधिसूचना
- (झ) मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), डीबीटी पर हैंडबुक और कैबिनेट सचिवालय के तहत डीबीटी मिशन द्वारा जारी राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के लिए दिशानिर्देश
- (ञ) डेटाबेस के रखरखाव, विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने और आईटी नियंत्रण के संबंध में निर्देश

## 1.5 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का राजएसएसपी पोर्टल

राजएसएसपी पोर्टल नवंबर 2011 में शुरू की गई एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) का सामाजिक सुरक्षा पेंशन मॉड्यूल है। सा.न्या.एवं अधि.वि. द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का विवरण इस पोर्टल पर उपलब्ध है। पात्र आवेदकों के लिए स्वीकृतियां संबंधित उपस्वण्ड अधिकारी/स्वण्ड विकास अधिकारी (उ.स्व.अ./स्व.वि.अ.) द्वारा जारी की जाती हैं और पेंशन संवितरण के लिए राजएसएसपी के माध्यम से संबंधित कोषालयों/उप-कोषालयों<sup>12</sup> में भेजी जाती हैं।

<sup>12</sup> 30 अप्रैल 2020 से सा.न्या.एवं अधि.वि. के अतिरिक्त निदेशक/पेंशन को एकल आहरण एवं संवितरण अधिकारी (आ.एवं सं.अ.) और जयपुर ग्रामीण कोषालय को सा.न्या.एवं अधि.वि. की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए एकल कोषालय बनाया गया है। इसका अर्थ है कि सीएमओएसएसपीएस और सीएमईएसएसपीएस सहित सा.न्या.एवं अधि.वि. के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बिल अतिरिक्त निदेशक (पेंशन)/ सा.न्या.एवं अधि.वि. द्वारा तैयार किए जाते हैं और ऐसे सभी बिल जयपुर ग्रामीण कोषालय द्वारा पारित किए जाते हैं।

## 1.6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन में डीबीटी प्रक्रिया

### आवेदन, सत्यापन, स्वीकृति जारी करने, पेंशन भुगतान और अपील की प्रक्रिया

पहले राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन और प्रोसेसिंग से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन थी। विभाग ने राजएसएसपी की शुरुआत के साथ पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन लाने के लिए बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) की, भामाशाह/जनाधार जनसांख्यिकीय डेटा का लाभ उठाने, एकल-आहरण एवं संवितरण अधिकारी एकल-कोषालय प्रणाली आदि की शुरुआत जैसे उपायों के माध्यम से विगत वर्षों में प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया और लाभार्थियों के बैंक खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सीधे भुगतान के लिए डीबीटी की शुरुआत की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन (सीएमओएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस सहित) के वितरण की प्रक्रिया को नीचे वर्णित किया गया है।

**आवेदन प्रक्रिया:** आवेदक किसी भी ई-मित्र किओस्क/ या सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) आईडी के माध्यम से राजएसएसपी पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में भामाशाह/जन-आधार संख्या और आधार संख्या भर कर ऑनलाइन<sup>13</sup> आवेदन कर सकता है। भामाशाह/ जनाधार और आधार डेटाबेस में उपलब्ध आवेदकों के व्यक्तिगत/जनसांख्यिकीय विवरण बायोमेट्रिक/वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्रमाणीकरण के बाद पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही भर जाएंगे। फिर आवेदन संबंधित सत्यापन अधिकारी को भेजा जाएगा जिसकी ऑनलाइन सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी।

**सत्यापन:** आवेदन पत्र प्राप्त करने पर सत्यापन अधिकारी आवेदन में आवेदक द्वारा भरे गए विवरणों जैसे जन्म तिथि, आयु, अधिवास, निवास स्थान, आय का स्रोत और अन्य पात्रता मानदंड की जांच करता है। आवेदन पत्र की जांच और सत्यापन के बाद सत्यापन अधिकारी सत्यापित आवेदन को स्वीकृति प्राधिकारी को वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ ऑनलाइन भेज देगा।

**स्वीकृति:** ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद स्वीकृति अधिकारी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करता है और दोनों मामलों में, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आदेश दिए जाते हैं और फिर से आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचना भेजी जाती

<sup>13</sup> आदेश दिनांक 07.06.2017 द्वारा

है। आवेदन की स्वीकृति के मामले में, स्वीकृति अधिकारी द्वारा एक ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।


**पेंशन भुगतान आदेश:** ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति आदेश को पेंशन भुगतान आदेश माना जाता है। राजएसएसपी के माध्यम से ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर, संबंधित कोषालय अधिकारी/पेंशन भुगतान अधिकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य करता है और आईएफएमएस के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया शुरू करता है।

**अपील:** स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा पेंशन दावे की अस्वीकृति के आदेश के विरुद्ध दो माह के भीतर जिला कलेक्टर को अपील की जा सकती है। सा.न्या.एवं अधि.वि. को योग्यता के आधार पर आवश्यक समझे जाने पर जिला कलेक्टर के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार होगा।


इस प्रक्रिया को नीचे दिए गए कार्य प्रवाह और प्रक्रिया प्रवाह आरेखों के माध्यम से चित्रित किया गया है।

**चार्ट 1**

**सीएमओएसएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस का कार्य प्रवाह आरेख**




चार्ट 2



सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया, जिसमें राजएसएसपी पोर्टल, पे मैनेजर<sup>14</sup> और राजकोष<sup>15</sup> मॉड्यूलस सम्मिलित हैं, नीचे चार्ट 3 में दिखाई गई है:

**चार्ट 3**



\* ट्रेजरी (कोषालय) वाउचर संख्या

### 1.7 प्रशंसनीय कदम

लेखापरीक्षा के दौरान, पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन में उठाये गए निम्नलिखित प्रशंसनीय कदम दृष्टिगोचर हुए :

(i) जब लाभार्थी इन सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए आवेदन करता है तो आवश्यक जनसांख्यिकीय जानकारी जनाधार डेटाबेस से प्राप्त की जाती है और इसलिए लाभार्थी को आवेदन के समय दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार इन योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है।

<sup>14</sup> पे मैनेजर आईएफएमएस का बिल तैयार करने का मॉड्यूल है।

<sup>15</sup> राजकोष (ऑनलाइन कोषालय लेखांकन प्रणाली) मिशन मोड प्रोजेक्ट श्रेणी के तहत राजस्थान सरकार की एक ई-गवर्नेंस पहल है और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा है। राजकोष बिल, वाउचर और चालान जमा करने, प्रभावी बजट नियंत्रण, कोषालय खातों के संकलन, प्रतिवेदन तैयार करने, बाहरी एजेंसियों के लिए इंटरफेस और विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट की सुविधा प्रदान करता है।

(ii) पहले लाभार्थी को पेंशन जारी रखने के लिए जीवन के प्रमाण के लिए वार्षिक सत्यापन के लिए नामित अधिकारियों से भौतिक रूप से संपर्क करना पड़ता था। दिसंबर 2019 से पेंशन योजनाओं के लाभार्थी ई-मित्र किओस्क से वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं या जन-आधार से जुड़ी योजनाओं के लिए नवंबर / दिसंबर के महीनों के दौरान बायोमेट्रिक / ओटीपी प्रमाणीकरण इन पेंशन योजनाओं के लिए वर्ष के लिए वार्षिक सत्यापन के रूप में मान्य है। इससे राजस्थान जैसे भौगोलिक दृष्टि से बड़े राज्य के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले इन दो योजनाओं के लाभार्थियों, विशेष रूप से वृद्ध या विधवा लाभार्थियों, को सुविधा होती है।

(iii) कुछ आईटी से संबंधित अच्छे कदम भी देखे गए:

- **सत्र टाइम आउट:** राजएसएसपी के लिए 30 मिनट के निष्क्रिय समय के बाद स्वतः लॉग आउट का एप्लीकेशन कन्ट्रोल था जो उपयोगकर्ताओं के सेशन आईडेंटिफायर्स<sup>16</sup> को चोरी या पुनः उपयोग जैसे सत्र-आधारित हमलों के जोखिम को कम करके एप्लीकेशन की सुरक्षा को बढ़ाता है।
- **पासवर्ड बदलने की नीति:** उपयोगकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर पासवर्ड बदलने की आवश्यकता होती है जिसके बाद पासवर्ड समाप्त हो जाता है।
- **जयपुर में राजस्थान राज्य डाटा सेंटर:** डेटा सेंटर में अनधिकृत भौतिक पहुंच को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय जैसे गार्ड, सीसीटीवी कैमरे, दो स्तरीय पंजीकरण प्रक्रिया, आरएफआईडी आधारित प्रमाणीकरण आदि मौजूद थे। आग और अन्य स्वतंत्रों के विरुद्ध फायर अलार्म सिस्टम, गैस (नोवेक) आधारित अग्निशामक प्रणाली, अग्निशामक, तड़ित अरेस्टर आदि उपाय भी किए गए थे।

## 1.8 अंतरिम लेखापरीक्षा अनुशंसाओं पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार ने निम्नलिखित सुधारात्मक कार्यवाही की:

### (i) असफल लॉगिन प्रयासों की सीमा

लेखापरीक्षा ने देखा कि राजस्थान सरकार की आईटी नीति 2015 के पैरा 6.6 (D)(d) के अनुसार पांच असफल प्रयासों के बाद भी राजएसएसपी के उपयोगकर्ता का खाता लॉक नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, असफल लॉगिन प्रयासों के बाद उपयोगकर्ताओं को कोई चेतावनी/संदेश प्राप्त नहीं होता था। लेखापरीक्षा अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उपचारात्मक कार्यवाही की गई और अब सिस्टम तीन से अधिक असफल लॉगिन प्रयासों की

<sup>16</sup> 'ओपन वेब एप्लीकेशन सिन्क्रोरिटी प्रोजेक्ट' जो सॉफ्टवेयर सुरक्षा में सुधार की दिशा में काम कर रही एक गैर-लाभकारी फाउंडेशन है के अनुसार।

अनुमति नहीं देता है और असफल लॉगिन प्रयास के मामले में उपयुक्त संदेश भी प्रदर्शित होता है। इन्हें लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किया गया है (सितम्बर 2021)।

### (ii) राजएसएसपी डेटाबेस में अमान्य/अपशिष्ट/अस्पष्ट प्रविष्टियाँ

लेखापरीक्षा ने राजएसएसपी के विभिन्न फ्रील्ड्स में अमान्य/ अपशिष्ट/ अस्पष्ट प्रविष्टियों को देखा, जिसका **परिशिष्ट ग** में विस्तृत विवरण है। इसके परिपेक्ष में राज्य सरकार ने संबंधित फ्रील्ड्स की प्रविष्टियों को मानकीकृत किया, जिन्हें ड्रॉप डाउन मेन्यू से चुना जाता है। इस प्रकार उन फ्रील्ड्स में बेतुकी/अमान्य प्रविष्टियों से बचा गया।

## 1.9 आभार

लेखापरीक्षा इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन में सा.न्या.एवं अधि.वि., योजना विभाग, वित्त विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, एनआईसी और चयनित ग्राम पंचायतों, वार्डों और अन्य कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा विभिन्न चरणों में प्रदान किये गए सहयोग हेतु आभार प्रकट करती है।



## अध्याय – II

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं  
में डीबीटी का कार्यान्वयन

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### अध्याय II

#### सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में डीबीटी का कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1: क्या डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रिया की पुनर्रचना (री-इंजीनियरिंग) की गई जिससे मध्यस्थ स्तर, अभीष्ट लाभार्थियों को भुगतान में देरी और छीजत और दोहराव को कम किया जा सके

#### 2.1 स्वीकृतियों के अनुमोदन के लिए समितियों का गठन

पेंशन नियमों के नियम 2 (उप नियम (vii) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और उप नियम (viii) शहरी क्षेत्रों के लिए) के अनुसार, आवेदनों की स्वीकृति के लिए समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है जैसा कि नीचे तालिका 4 में दिया गया है:

तालिका 4: स्वीकृतियों के अनुमोदन के लिए समिति की संरचना

क्र.सं.	क्षेत्र	विवरण	पद
1.	ग्रामीण	उपस्वंड अधिकारी (उ.स्व.अ.)/ उपस्वंड मजिस्ट्रेट (उ.स्व.म.)	अध्यक्ष
		संबंधित स्वंड विकास अधिकारी (स्व.वि.अ.)	सदस्य
		प्रधान/उप प्रधान/संबंधित पंचायत समिति सदस्य	सदस्य
2.	शहरी	उ.स्व.अ./ उ.स्व.म.	अध्यक्ष
		संबंधित निकाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मु.का.अ.)/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी (का.अ.)	सदस्य
		महापौर/उपमहापौर/सभापति/उप सभापति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड सदस्य	सदस्य

इसके अलावा, इन प्रावधानों को 04.04.2013 को संशोधित किया गया और नियम 2 (vii) और 2 (viii) के अन्तर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया:

- ग्रामीण क्षेत्र:** आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृति समिति के कार्यवृत्त पर अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। अनुमोदन प्राप्त होने पर, स्वंड विकास अधिकारी आवेदकों के लिए स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। स्वंड विकास अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृतियों से संबंधित अभिलेखों का रस्व-रखाव किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्र:** आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृति समिति के कार्यवृत्त पर अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। अनुमोदन प्राप्त होने पर उपस्वंड अधिकारी आवेदकों के लिए स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। उपस्वंड अधिकारी द्वारा पेंशन की स्वीकृति से संबंधित अभिलेखों का रस्व-रखाव किया जाएगा।

छह चयनित जिलों<sup>17</sup> के 12 खण्डों<sup>18</sup> के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नौ खण्डों<sup>19</sup> में संबंधित खंड विकास अधिकारी/उपखंड अधिकारी द्वारा ऐसी समितियों के गठन के बिना पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किए जा रहे थे। शेष तीन खण्डों<sup>20</sup> में, लेखापरीक्षा ने पाया कि समितियों का गठन किया गया था और संबंधित खंड विकास अधिकारी/उपखंड अधिकारी समितियों से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर अपने हस्ताक्षर के साथ पीपीओ जारी कर रहे थे।

लेखापरीक्षा का मत है कि समिति की अनुपस्थिति में, पेंशन नियमों के अंतर्गत पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया में आवश्यक दृढ़ता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया से समझौता हुआ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि 02 अक्टूबर 2017 से राजएसएसपी पोर्टल पर स्वीकृति प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। वर्तमान में आवेदक अनिवार्य रूप से भामाशाह/जन-आधार के साथ पंजीकृत है। भामाशाह/जन-आधार विवरण जो आवेदनों के प्रोसेसिंग के लिए जनाधार डेटाबेस से राजएसएसपी में प्राप्त किए जाते हैं, विधिवत रूप से सत्यापित हैं और इन समितियों की कोई प्रासंगिकता और उपयोगिता नहीं है और इसलिए नियमों में उपयुक्त संशोधन प्रस्तावित किया जाएगा। इसे राज्य सरकार द्वारा समापन परिचर्चा (सितंबर 2021) के दौरान दोहराया गया।

लेखापरीक्षा का मत है कि हालांकि सरकार ने समितियां जिनमें सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों दोनों की भागीदारी है, को हटाने का प्रस्ताव दिया है लेकिन वे पेंशन की मंजूरी से पहले जांच का एक अतिरिक्त स्तर प्रदान कर सकती हैं। ये समितियां पेंशन सत्यापन और स्वीकृति प्रक्रियाओं के समग्र कामकाज की निगरानी में भी उपयोगी हो सकती हैं।

## 2.2 आवेदनों की स्वीकृति

पेंशन नियमों के नियम 5 (v) के अनुसार पेंशन आवेदन का सत्यापन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा नियम 5 (vii) निर्धारित करता है कि स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को सत्यापन की तारीख से 15 दिनों के भीतर स्वीकृति प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसलिए प्रत्येक आवेदन को प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर निपटाया जाना आवश्यक है। उपरोक्त नियमों में जुलाई 2019 में संशोधन<sup>21</sup> किया गया और यदि संबंधित

<sup>17</sup> अजमेर, अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर और टोंक।

<sup>18</sup> उपखंड अधिकारी/उपखंड मजिस्ट्रेट अजमेर, अलवर, दौसा, सांभर, सीकर, टोंक और खंड विकास अधिकारी बानसूर, दांतारामगढ़, दुदू, किशनगढ़, लालसोट, मालपुरा।

<sup>19</sup> उपखंड अधिकारी अजमेर, दौसा, सांभर, सीकर, टोंक और खंड विकास अधिकारी बानसूर, दुदू, किशनगढ़, लालसोट।

<sup>20</sup> उपखंड अधिकारी अलवर, एवं खंड विकास अधिकारी, दांतारामगढ़ एवं मालपुरा।

<sup>21</sup> 01 जुलाई 2019 से प्रभावी।

अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्यवाही करने में विफल रहते हैं तो आवेदन को अगले चरण में स्वतः बढ़ाने का प्रावधान राजएसएसपी में किया गया (क्रमशः 30 और 15 दिन सत्यापन और स्वीकृति चरणों में)।

राजएसएसपी डेटा के विश्लेषण से यह देखा गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, सीएमओएसएसपीएस के तहत प्राप्त कुल 22,54,725 आवेदनों में से 6,11,794 (27.13 प्रतिशत) और सीएमईएसएसपीएस के तहत प्राप्त कुल 3,23,578 आवेदनों में से 1,00,365 (31.02 प्रतिशत) आवेदन निर्धारित 45 दिनों के भीतर स्वीकृत नहीं किए गए थे। 12 चयनित स्पण्डों में, दो चयनित योजनाओं के 81,773 स्वीकृत आवेदनों में से 27,768 मामले (33.96 प्रतिशत) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विलम्बित थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि राजएसएसपी में स्वतः बढ़ाने के प्रावधान के बाद भी इनमें से 60,778 आवेदनों में देरी हुई थी।

राज्य सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2021) कि अब स्वतः सत्यापन एवं स्वतः स्वीकृति की सुविधा के कारण निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन लम्बित नहीं है। इसे सम्बंधित राजएसएसपी रिपोर्ट<sup>22</sup> के आधार पर लेखापरीक्षा (सितंबर 2021) द्वारा सत्यापित किया गया। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया (सितम्बर 2021) कि स्वीकृतियों के लिए डेटा-आधारित सत्यापन के आधार पर स्वतः अनुमोदन की सुविधा लागू की जाएगी जिसके लिए पेंशन नियमों में उपयुक्त संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

### 2.3 एकल नारी पेंशन की स्वीकृति

पेंशन नियमों के नियम 4 के अनुसार 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं जो राजस्थान की मूल निवासी हैं और राजस्थान में निवास करती हैं, पेंशन नियमों में वर्णित शर्तों को पूरा करने पर पेंशन पाने की पात्र हैं। उपरोक्त उद्देश्य के लिए “परित्यक्ता” का अर्थ है:

- (क) समस्त वैध रूप से अलग हो चुकी महिलाये जिनके पास विवाह विच्छेद की डिक्री हो;
- (ख) समस्त वैध रूप से अलग महिलाएं जिनके पास न्यायालय का आदेश हो;
- (ग) ऐसी सभी महिलाएं, जिनके विवाह विच्छेद या दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के प्रकरण 5 साल से न्यायालय में लंबित हैं और उनके पास न्यायालय के दस्तावेज हैं;

<sup>22</sup> 01.08.2021 से 15.09.2021 की अवधि के लिए 'डिस्ट्रिक्ट वाइज किओस्क पेंशनर एप्लीकेशन स्टेटस' रिपोर्ट।

(घ) ऐसी सभी मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं जिनके तलाक काजी या धार्मिक प्राधिकारी द्वारा स्वयं के शपथ पत्र और दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर जारी किए गये हों।

सीएमईएनएसपीएस के राजएसएसपी डेटा डंप के विश्लेषण से पता चला कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान योजना के तहत 42,995 महिला लाभार्थियों (557-तलाकशुदा, 42,143-विधवा और 295-परित्यक्त) की पेंशन स्वीकृत की गई थी। स्वीकृत प्रकरणों की संवीक्षा से पता चला कि “हजबेंड डाइवोर्स इश्यूइंग ऑथोरिटी” (पति तलाक जारीकर्ता प्राधिकारी) के फील्ड/कॉलम में 9,602 प्रकरणों<sup>23</sup> (22.33 प्रतिशत) में अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि क्या इन लाभार्थियों को नियमों के तहत आवश्यक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के आधार पर पेंशन स्वीकृत की गई थी। इन मामलों में निर्धारित दस्तावेजों के अभाव में या अमान्य दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के आधार पर पेंशन भुगतान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। फील्ड स्टडी के दौरान देखे गए ऐसे ही एक प्रकरण की नीचे **प्रकरण अध्ययन 1** के रूप में चर्चा की गई है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि सीएमईएनएसपीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदक के सभी विवरण, वैवाहिक स्थिति सहित, राजएसएसपी पोर्टल पर जन-आधार डेटाबेस से प्राप्त किए जाते हैं। चूंकि जन-आधार से प्राप्त की जा रही जानकारी को पहले ही सत्यापित किया जा चुका है, इसलिए जानकारी को फिर से सत्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जन-आधार अधिनियम 2020 की धारा 7(3) निर्दिष्ट करती है कि जन-आधार कार्ड का उपयोग लोक कल्याणकारी लाभ/सेवाओं की प्राप्ति के लिए पते और पहचान के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। इसलिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन के समय लाभार्थियों की वैवाहिक स्थिति सहित बुनियादी जनसांख्यिकीय विवरण जन-आधार डेटाबेस से प्राप्त किए जाते हैं। तथापि यह सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है कि पेंशन की स्वीकृति के लिए अन्य आवश्यकताएं, जैसे वैवाहिक स्थिति के समर्थन में पेंशन नियमों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों, को पूरा किया गया है और संबंधित जानकारी राजएसएसपी पर प्रदान की गई है।

समापन परिचर्चा के दौरान राज्य सरकार (सितंबर 2021) ने इस अनुशंसा को स्वीकार किया कि पेंशन नियमों को जन-आधार के अनुरूप किया जा सकता है क्योंकि इसका उपयोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए सत्य के एकल स्रोत के रूप में किया जा रहा है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

<sup>23</sup> 2550 प्रकरणों में फील्ड खाली छोड़े गये और 7052 प्रकरणों में संख्यात्मक मान/ विशेष वर्ण भरे गये।

### प्रकरण अध्ययन 1

टोंक जिले के शहरी स्वण्ड के लाभार्थी सर्वेक्षण (जनवरी 2021) के दौरान यह देखा गया कि सीएमईएनएसपीएस के तहत एक तलाकशुदा लाभार्थी (पीपीओ संख्या आरजे-एस-05112457) को पेंशन नियमों के तहत आवश्यक दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर काजी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के बजाय ₹ 100 के स्टॉप पेपर पर नोटरीकृत तलाकनामे के आधार पर पेंशन स्वीकृत की गई थी। प्रकरण का आगे विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि इस मामले में जुलाई 2013 से पेंशन का भुगतान किया जा रहा था। प्रकरण संबंधित नगर परिषद द्वारा गलत सत्यापन को उजागर करता है क्योंकि वे निर्धारित दस्तावेज की कमी का पता लगाने में विफल रहे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी और प्रगति से अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

#### 2.4 वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति

पेंशन नियमों के नियम 2 और 3 में सीएमओएसपीएस के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आयु पात्रता मानदंड (58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष और 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं) दिये गये हैं। इसके अलावा, नियम 5 (iii) (ड़) उपरोक्त उन मामलों में जन्म तिथि निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रदान करता है जहां दस्तावेजों में केवल उम्र का उल्लेख किया गया हो जिसके अनुसार प्रत्येक पेंशनभोगी की जन्म तिथि सत्यापन प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजों के नीचे दिए गए वरीयता क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी:

(अ) स्कूल प्रमाण पत्र

(आ) नगर बोर्ड/नगर पालिका/नगर निगम, पंचायत द्वारा अनुरक्षित जन्म रजिस्टर/जन्म प्रमाण पत्र या

(इ) लोकसभा/विधानसभा/शहरी निकाय की नवीनतम मतदाता सूची, जिसमें आवेदक का नाम या उप-स्वण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा दिया गया आयु प्रमाण पत्र हो।

(ई) ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वण्ड उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और शहरी क्षेत्र के मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा दिया गया आयु प्रमाण पत्र।

(i) सीएमओएसपीएस के राजएसएसपी डेटा के विश्लेषण से पता चला कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त और फिर स्वीकृत कुल 18,15,692 आवेदनों में से 818 मामलों<sup>24</sup> में,

<sup>24</sup> 426 पुरुष एवं 392 महिलाएं

पेंशनभोगियों ने पेंशन के लिए आवेदन की तिथि पर न्यूनतम आयु प्राप्त नहीं की थी। आगे यह भी देखा गया कि इन 818 मामलों में से 43 मामलों<sup>25</sup> (5.26 प्रतिशत) में आवेदकों ने स्वीकृति की तिथि तक भी न्यूनतम आयु प्राप्त नहीं की थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि आवेदन के समय आवेदक का विवरण जन-आधार पोर्टल से प्राप्त किया जाता है जिसके आधार पर आवेदक की पात्रता/अपात्रता को राजएसएसपी पर प्रदर्शित किया जाता है। पात्रता मानदंड पूरे नहीं होने की स्थिति में पोर्टल द्वारा आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाता है। अतः आवेदन के समय आवेदक की आयु पात्रता मानदंड के अनुसार थी, तथापि, पेंशनभोगी ने पेंशन की स्वीकृति के बाद जन-आधार पोर्टल पर अपनी आयु में संशोधन किया और स्वीकृति प्राधिकारी ने तदनुसार आयु में संशोधन किया।

यद्यपि विभाग ने आवेदनों की स्वीकृति के बाद लाभार्थियों द्वारा उम्र के संशोधन के दावे के समर्थन में विवरण/सूचना प्रदान नहीं की, पात्रता से संबंधित विवरण के संशोधन से संबंधित सभी मामलों को राजएसएसपी पोर्टल द्वारा, एक प्रासंगिक रिपोर्ट के साथ, विभाग द्वारा आगे की जांच के लिए चिह्नित किया जाना चाहिए था। जन-आधार विवरण में संशोधन के लिए दो स्तरों के सत्यापन की आवश्यकता होती है ( *चार्ट 8* )। सत्यापन का दूसरा स्तर सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है। पेंशन आवेदन की स्वीकृति के बाद आवेदकों के द्वारा अपनी आयु में किये गये संशोधन के परिदृश्य में स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा इन मामलों की जांच करने की विफलता प्रणालीगत कमियों तथा उनकी ओर से हुई चूक को इंगित करती है।

(ii) सत्यापन/स्वीकृति में यथोचित परिश्रम की कमी के कारण भी पात्र लाभार्थियों को देय लाभों से वंचित किया गया। नगर पालिका जोबनेर, जयपुर (अक्टूबर 2020) में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पांच मामलों ( *परिशिष्ट घ* में विवरण ) में, पेंशन स्वीकृत नहीं की गई क्योंकि आवेदकों ने आवश्यक न्यूनतम आयु प्राप्त नहीं की थी जैसा कि पटवारी द्वारा आवेदन पर नोट किया गया था। तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इन लाभार्थियों ने आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली थी।

इस प्रकार, पात्र लाभार्थी पेंशन के लाभों से वंचित रहे क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की उपेक्षा की गई। गौरतलब है कि इन मामलों में नियमों का उल्लंघन कर सत्यापन कार्यकारी अधिकारी की जगह पटवारी द्वारा कराया गया था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि गलती करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी और प्रगति से अवगत कराया

---

<sup>25</sup> 26 पुरुष एवं 17 महिलाएं

जाएगा। पेंशन नियमानुसार निर्धारित कार्यकारी अधिकारी के स्थान पर पटवारी द्वारा किये जा रहे सत्यापन पर राज्य सरकार का उत्तर मौन है।

## 2.5 लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

पेंशन शुरू करने के लिए आवेदक की पात्रता स्थापित करने और जनसांख्यिकीय जानकारी को सत्यापित करने के लिए पेंशन नियमों के नियम 5 (iii) में पेंशन की स्वीकृति से पहले पेंशन आवेदनों के सत्यापन का प्रावधान है।

इसके अलावा, पेंशन नियमों के नियम 12 के अनुसार पेंशन जारी रखने के लिए हर साल पेंशनभोगियों का सत्यापन किया जाना आवश्यक है। यदि भौतिक सत्यापन के अभाव में पात्र पेंशनभोगी की पेंशन रोकी जाती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2019<sup>26</sup> में लाभार्थियों के लिए आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल संख्या पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के माध्यम से वार्षिक सत्यापन करने की सुविधा जोड़ी गई। सत्यापन प्रक्रिया को और संशोधित<sup>27</sup> किया गया जिसके माध्यम से लाभार्थी अपना वार्षिक सत्यापन कई प्रक्रियाओं जैसे ई-मित्र किओस्क / राजीव गांधी सेवा केंद्र के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, हर साल नवंबर-दिसंबर के महीने में पेंशनभोगी द्वारा जन-आधार से जुड़ी हुई किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करते समय वन टाइम पासवर्ड या बायोमेट्रिक्स के प्रमाणीकरण इत्यादि के माध्यम से करवा सकते हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन की प्रणाली में निम्नानुसार कुछ अनियमितताएं देखी गईं:

(i) पेंशन नियमों में प्रावधान है कि पेंशन आवेदनों का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार और शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त द्वारा किया जाना है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सत्यापन वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारियों और शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था जो लाभार्थी दस्तावेजों की जांच के बाद सत्यापन टिप्पणी प्रदान करते हैं। फिर इन आवेदनों को तहसीलदार/कार्यकारी अधिकारी द्वारा उनकी अनुशंसा (पात्र/अपात्र) के साथ स्वीकृति प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाता है।

राज्य सरकार ने निर्धारित अधिकारियों के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे सत्यापन के तथ्य (अगस्त 2021) को स्वीकार करते हुए यह कारण दिया कि अधीनस्थ कर्मचारी क्षेत्र के लोगों से अच्छी तरह परिचित हैं।

<sup>26</sup> आदेश एफ09(05) (12-II)/एसएसपीआर/एसजेईडी/2014-15/7478-7598 दिनांक 24 जुलाई 2019 के द्वारा

<sup>27</sup> अधिसूचना एफ09(05)(12-II)/एसएसपीआर/एसजेईडी/2014-15/13679 दिनांक 18 दिसंबर 2019 के द्वारा



(ii) फील्ड स्टडी और लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि सात उपखंड अधिकारी/खंड विकास अधिकारी कार्यालयों और कोषाधिकारी अलवर (अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021) से संबंधित 32 मामलों<sup>28</sup> में लाभार्थियों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण वार्षिक सत्यापन में उन्हें 'जीवित' के रूप में सत्यापित किया गया और पेंशन का भुगतान जारी रखा गया। इसके परिणामस्वरूप इन मामलों में ₹ 6,25,250 का अनुचित भुगतान हुआ। इसके अलावा यह भी देखा गया कि इन 32 मामलों में से 19 मामलों<sup>29</sup> के छह मामलों में चार साल, आठ मामलों में तीन साल और पांच मामलों में दो साल तक लगातार लाभार्थियों को 'जीवित' घोषित किया गया था (विवरण **परिशिष्ट ड** में दिया गया है)।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और सूचित किया (अगस्त 2021) कि संबंधित उपखंड अधिकारी /खंड विकास अधिकारी और कोषाधिकारी को स्वीकृति रद्द करने और भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की ब्याज सहित वसूली करने के लिए कहा गया है और त्रुटिपूर्ण वार्षिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

राज्य सरकार ने आगे सूचित किया (सितम्बर 2021) कि राजएसएसपी को *पहचान*<sup>30</sup> के साथ जन-आधार पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है जिसके कारण लाभार्थियों की मृत्यु की सूचना अब राजएसएसपी पर प्राप्त हो रही है। लेखापरीक्षा जांच (सितम्बर 2021) में पाया गया कि यह सुविधा परीक्षण के चरण में है।

(iii) उपखंड अधिकारी अलवर के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान पांच मामले<sup>31</sup> ऐसे देखे गए (अक्टूबर 2020) जहां लाभार्थियों को जीवित रहते हुए भी भौतिक सत्यापन के आधार पर मृत घोषित कर दिया गया था और उनकी पेंशन रोक दी गई थी। उपखंड अधिकारी अलवर ने बताया (अक्टूबर 2020) कि इन मामलों में पेंशन भुगतान शुरू कर दिया गया है। तथापि, राजएसएसपी पर उपलब्ध सूचना की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इन लाभार्थियों को ₹ 18,000 की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था (अगस्त 2021)। उपखंड अधिकारी अजमेर का ऐसा एक मामला **प्रकरण अध्ययन 2** में वर्णित है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि उपखंड अधिकारी अलवर को मामले की जांच करने और जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। लाभार्थियों को बकाया भुगतान के संबंध में शासन का उत्तर मौन था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

---

<sup>28</sup> 15 फील्ड स्टडी और 17 लाभार्थी सर्वेक्षण

<sup>29</sup> आठ फील्ड स्टडी और 11 लाभार्थी सर्वेक्षण

<sup>30</sup> राजस्थान के नागरिकों को जन्म, मृत्यु और विवाह के पंजीकरण की सुविधा के लिए राजस्थान सरकार की नागरिक पंजीकरण प्रणाली

<sup>31</sup> पीपीओ संख्या आरजे-एस-8707117, आरजे-एस-7822990, आरजे-एस-8639625, आरजे-एस-3465240, आरजे-एस-2958223

## प्रकरण अध्ययन 2

उपखंड अधिकारी अजमेर, (अक्टूबर 2020) में अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वार्षिक भौतिक सत्यापन के दौरान एक सीएमओएसपीएस लाभार्थी<sup>32</sup> को मृत घोषित कर दिया गया था और अप्रैल 2018 में उसकी पेंशन रोक दी गई थी। हालांकि, पेंशनभोगी जीवित था और अपनी पेंशन की बहाली के लिए बार-बार अनुरोध कर रहा था जो कि विभाग द्वारा अंततः नवंबर 2020 में अप्रैल 2020 से लागू करते हुए बहाल कर दी गई थी। हालांकि, लाभार्थी को मई 2018 से मार्च 2020 की अवधि के लिए ₹11,500 की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया (जुलाई 2021)।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और सूचित किया (अगस्त 2021) कि बकाया राशि का भुगतान अगस्त 2021 में किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने सत्यापित किया (सितंबर 2021) कि बकाया भुगतान अगस्त 2021 में कर दिया गया था।

(iv) नगर परिषद, दौसा में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 14 मामलों<sup>33</sup> में, लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन के दौरान सत्यापन प्राधिकारी द्वारा 'अपात्र' के रूप में चिह्नित किया गया था। परन्तु, राजएसएसपी पर इन लाभार्थियों की वस्तुस्थिति से पता चला (जुलाई 2021) कि इन पेंशनभोगियों को सत्यापित के रूप में चिह्नित किया गया है और सत्यापन टिप्पणियों की उपेक्षा करते हुए इन लाभार्थियों को नियमित पेंशन का भुगतान किया जा रहा था।

राज्य सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2021) कि कोविड-19 के कारण पेंशनभोगियों के सत्यापन की समय-सीमा शुरू में 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई थी और बाद में इसे अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सत्यापन की समय सीमा बढ़ाने से पहले ही इन मामलों का सत्यापन किया गया था जिसके कारण इन मामलों को राजएसएसपी पर सत्यापित प्रदर्शित किया गया था।

(v) दांतारामगढ़ खण्ड के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया (जनवरी 2021) कि दो लाभार्थियों<sup>34</sup> के आवेदनों में पटवारी द्वारा सत्यापन टिप्पणी 'पुत्र सरकारी नौकरी में' थी। इसलिए नियमों के अनुसार, इन आवेदनों को स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जाना

<sup>32</sup> पीपीओ संख्या आरजे-एस-07223785

<sup>33</sup> पीपीओ संख्या आरजे-एस-09124340, 09124408, 09354188, 09529022, 09529173, 09617517, 09617610, 09622848, 09921609, 09274761, 09275253, 08576211, 08576226 एवं 09352817.

<sup>34</sup> पीपीओ संख्या आरजे-एस-08350782, 08512471

आवश्यक था। हालाँकि, स्वीकृति प्राधिकारी सत्यापन टिप्पणियों को ध्यान में रखने में विफल रहे और पेंशन को मानदंडों का उल्लंघन कर स्वीकृत किया गया जिसके कारण मई 2018 से जुलाई 2020 की अवधि के लिए ₹ 35,500 की राशि का भुगतान किया गया।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि खंड विकास अधिकारी दांतरामगढ़ को लाभार्थियों से ब्याज सहित राशि की वसूली करने के लिए कहा गया है, दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी और प्रगति से अवगत कराया जाएगा। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया (सितम्बर 2021) कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के डेटाबेस को जन-आधार पोर्टल से जोड़ा गया है जिसके माध्यम से अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। तथापि, इस दावे के समर्थन में प्रतिवेदन/सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई है (दिसम्बर 2021)।

ये मामले विभाग द्वारा लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली में आवश्यक दृढ़ता की कमी की ओर इशारा करते हैं।

इसके अलावा, वार्षिक सत्यापन की प्रणाली केवल पेंशन जारी रखने के लिए लाभार्थी के जीवित होने का प्रमाण प्रदान करती है। विभाग में लाभार्थियों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवधिक समीक्षा के लिए एक तंत्र का अभाव है क्योंकि कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पेंशन की स्वीकृति के बाद लाभार्थी पुत्र/पति/पत्नी को रोजगार, वार्षिक आय में वृद्धि, पुनर्विवाह आदि कारकों के कारण योजनाओं के लिए पात्र न रहे। ऐसी व्यवस्था के अभाव में विभाग यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि पेंशन का भुगतान पात्र लाभार्थियों को ही किया जा रहा है। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए दो प्रासंगिक उदाहरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

(vi) उपखंड अधिकारी, दौसा में लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि लाभार्थी<sup>35</sup> का पुत्र राजस्थान सरकार के एक उपक्रम में कार्यरत था। अतः लाभार्थी पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन पाने के लिए अपात्र था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि उपखंड अधिकारी, दौसा को लाभार्थी से ब्याज सहित राशि की वसूली करने के लिए कहा गया है और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

(vii) उपखंड अधिकारी, टोंक (जनवरी 2021) में लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि एक विधवा पेंशनभोगी<sup>36</sup> ने दिसंबर 2015 में पुनर्विवाह किया। तथापि, पुनर्विवाह के बाद भी उसे चार साल तक विधवा पेंशन मिलती रही।

---

<sup>35</sup> पीपीओ संख्या आरजे-एस-07596693

<sup>36</sup> पीपीओ संख्या आरजे-एस-02439480

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि उपस्वंड अधिकारी, टॉक को लाभार्थी से ब्याज सहित राशि की वसूली करने के लिए कहा गया है तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

इन दोनों मामलों में, वार्षिक सत्यापन यह पता लगाने में विफल रहा कि लाभार्थी अब पेंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं थे। चूंकि लेखापरीक्षा द्वारा लाभार्थी सर्वेक्षण सीमित पैमाने पर किया गया था, इसलिए राज्य में व्यापक स्तर पर ऐसे मामले होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लाभार्थियों की पात्रता की आवधिक समीक्षा से विभाग को ऐसे मामलों को हटाने में मदद मिलेगी जहां पेंशन की स्वीकृति के बाद लाभार्थी अब पात्र नहीं हैं और विभाग को गलत सत्यापन और पेंशन स्वीकृति के मामलों (जैसा कि ऊपर सूचीबद्ध उदाहरणों में दिखाया गया है) की पहचान करने में भी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह प्रणाली विभाग को लाभार्थियों को होने वाली समस्याओं जैसे कि भुगतान में देरी (पैरा 4.1 में दर्शाया गया), पेंशन का रुकना (पैरा 4.3 में दर्शाया गया) आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा लाभार्थियों को होने वाली समस्याओं के निवारण करने के लिए त्वरित कार्यवाही करने में सक्षम कर सकती है।

## 2.6 स्वतः स्वीकृत आवेदनों की पश्च-लेखापरीक्षा

2 जुलाई 2019 को संशोधित पेंशन नियमों के अध्याय-4 के नियम 5 के अनुसार, यदि किसी आवेदन का सत्यापन/स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा क्रमशः 30/15 दिनों की निर्धारित समयावधि के भीतर निपटारा नहीं किया गया, तो इसे पेंशन प्रक्रिया के अगले चरण में स्वतः बढ़ाया और अग्रप्रेषित किया जाएगा। भुगतान के लिए कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को भेजे गए स्वतः स्वीकृत आवेदनों को राजएसएसपी की एक अलग रिपोर्ट में कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को प्रदर्शित किया जाता है। स्वीकृति प्राधिकारी के स्तर पर उन मामलों की पश्च-लेखापरीक्षा के लिए स्वीकृति प्राधिकारी को 60 दिनों का समय दिया जाता है जिसमें स्वतः सत्यापित/स्वीकृत आवेदनों के आधार पर पेंशन का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा के बाद यदि कोई आवेदन जो स्वतः स्वीकृत/सत्यापित किया गया था, गलत/अनियमित पाया जाता है, तो अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जा सकती है और ऐसे लाभार्थियों से गलत/अनियमित भुगतान की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

उपस्वंड अधिकारी सीकर (दिसंबर 2020) के कोषाधिकारी द्वारा प्रदान की गई राजएसएसपी रिपोर्ट<sup>37</sup> की समीक्षा से पता चला कि 341 स्वतः-स्वीकृत मामलों में से 35 मामलों (10.26 प्रतिशत) में पेंशन स्वतः स्वीकृत की गई थी लेकिन पश्च-लेखापरीक्षा का कार्य 60 दिनों के भीतर नहीं किया गया था जैसा कि नियमों में निर्धारित है (*परिशिष्ट च*)।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और सूचित किया (अगस्त 2021) कि उपस्वंड अधिकारी सीकर को पश्च-लेखापरीक्षा के दौरान अपात्र पाए गए लाभार्थियों से ब्याज सहित राशि की वसूली करने के लिए कहा गया है और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित

<sup>37</sup> राजएसएसपी की 'स्टेटस ऑफ़ ऑटो वेरीफाई ओर सैंकशंड एप्लीकेशन' रिपोर्ट

कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि पूरे राजस्थान में पश्च-लेखापरीक्षा के लिए 10,046 स्वतः स्वीकृत मामले लंबित थे, जिसके लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए थे।

इसके अलावा, चयनित स्वण्डों के कोषाधिकारी द्वारा प्रदान की गई राजएसएसपी रिपोर्टों (अक्टूबर से दिसंबर 2020) की जांच से पता चला कि स्वतः स्वीकृत मामलों की पश्च-लेखापरीक्षा के दौरान, विभाग ने 178 मामलों<sup>38</sup> से संबंधित ₹ 4,00,500 की राशि की पहचान की (**विवरण परिशिष्ट छ में**) जहां स्वतः सत्यापन एवं स्वीकृति के कारण लाभार्थियों को गलत तरीके से पेंशन का भुगतान किया गया एवं वसूली लंबित थी। तथापि, विभाग ने पेंशन नियमों के अनुसार अपात्र आवेदकों को पेंशन के अनियमित/गलत भुगतान की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि संबंधित स्वीकृति प्राधिकारियों को अपात्र लाभार्थियों से ब्याज सहित अतिरिक्त राशि की वसूली करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार ने यह भी बताया (सितंबर 2021) कि सभी जिला कलेक्टरों को 60 दिनों के भीतर स्वीकृति अधिकारियों द्वारा पश्च-लेखापरीक्षा किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

## 2.7 लाभार्थियों को भुगतान की गई पेंशन की दरें

28 फरवरी 2019 को लागू संशोधित पेंशन नियमों के नियम 2(iv) के अनुसार विभिन्न आयु वर्गों के लिए पेंशन की दरें नीचे दी गई हैं:

तालिका 5: सीएमओएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस के तहत पेंशन की दरें

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	लाभार्थी की श्रेणी (आयु)	सीएमओएसपीएस	सीएमईएनएसपीएस
1	18 से 55 वर्ष	-	500
2	55 से 60 वर्ष	750	750
3	60 से 74 वर्ष	750	1000
4	75 वर्ष एवं ऊपर	1000	1500

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, '60 से 74 वर्ष' और '75 वर्ष और उससे अधिक' की श्रेणियों के लिए पेंशन की तुलनात्मक दरें सीएमईएनएसपीएस की तुलना में सीएमओएसपीएस में कम हैं। विभाग के आदेश दिनांक 21 मई 2018 के अनुसार, 'विधवा' के रूप में वैवाहिक स्थिति वाले पात्र सीएमओएसपीएस के लाभार्थियों को बढ़ी हुई दरों पर पेंशन प्राप्त करने के लिए स्वतः रूप से सीएमईएनएसपीएस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

<sup>38</sup> उपस्वंड अधिकारी अलवर (64), दौसा (10), सांभर (7), सीकर (32), टोंक (5) और स्वंड विकास अधिकारी बानसूर (20), दांतारामगढ़ (2), किशनगढ़ (11), लालसोट (27)

राजएसएसपी डेटा के विश्लेषण से पता चला कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सीएमओएसपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने वाली 13,367 महिला लाभार्थियों (8,722 आयु वर्ग '60-74' वर्ष से संबंधित और 4,645 '75 वर्ष और उससे अधिक' की श्रेणी से संबंधित) की वैवाहिक स्थिति को 'विधवा' के रूप में दर्शाया गया था। तथापि, विभाग ने इन लाभार्थियों को सीएमईएनएसपीएस में स्थानांतरित नहीं किया जिसके कारण इन लाभार्थियों को कम दरों पर पेंशन मिल रही थी।

इसके अलावा, डेटा विश्लेषण से यह भी पता चला कि सीएमओएसपीएस की 491 ऐसी महिला लाभार्थी थीं जिनकी वैवाहिक स्थिति 'परित्यक्ता' और 'तलाकशुदा' थी, जिन्हें बढ़ी हुई दरों पर पेंशन प्राप्त करने के लिए 'विधवा' वैवाहिक स्थिति वाले लाभार्थियों की तरह सीएमईएनएसपीएस में स्थानांतरित किया जा सकता था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि लाभार्थियों की श्रेणी बदलने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

समापन परिचर्चा के दौरान, राज्य सरकार ने कहा (सितंबर 2021) कि 'विधवा' लाभार्थियों के मामलों में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी और 'परित्यक्ता' और 'तलाकशुदा' लाभार्थियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया (सितम्बर 2021) कि विभाग ने सीएमओएसपीएस की 'विधवा' पेंशनभोगियों को सीएमईएनएसपीएस में स्थानांतरित करने के संबंध में एनआईसी को पत्र<sup>39</sup> लिखा है। हालांकि, सा.न्या.एवं अधि.वि. से एनआईसी को लिखे पत्र में सीएमओएसपीएस की 'विधवा' पेंशनरों को सीएमईएनएसपीएस में स्थानांतरित करने का उल्लेख है और इसमें सीएमओएसपीएस के 'परित्यक्ता' और 'तलाकशुदा' लाभार्थियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

## 2.8 भामाशाह/जन-आधार/आधार संख्या का विवरण

7 जून 2017 को संशोधित पेंशन नियमों के नियम 5 (i) के अनुसार, पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदकों को भामाशाह संख्या/नामांकन संख्या और आधार संख्या/नामांकन संख्या प्रदान करना आवश्यक था। 10 जून 2020 को नियमों में किये गये संशोधन ने भामाशाह संख्या/नामांकन संख्या को जन-आधार संख्या/नामांकन संख्या से प्रतिस्थापित किया।

राजएसएसपी डेटा के विश्लेषण से पता चला कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभाग द्वारा सीएमओएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस के लिए स्वीकृत 20,81,656 आवेदनों में से 1016 पेंशन मामले (0.05 प्रतिशत) विशिष्ट आईडी के बिना स्वीकृत किए गए थे। इसके अलावा, इन 1016 मामलों में से 513 में पेंशन आवेदनों को 7 जून 2017 से 10 जनवरी 2018 के दौरान

<sup>39</sup> पत्र दिनांक 13 सितम्बर 2021

संसाधित और स्वीकृत किया गया था। 10 जनवरी 2018 के बाद संसाधित और स्वीकृत सभी पेंशन आवेदनों में विशिष्ट आईडी थे।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इन 1016 मामलों में से चार मामले ऐसे थे जिनमें एक ही लाभार्थी के लिए दो पीपीओ जारी किए गए थे और इस प्रकार इन लाभार्थियों को दोहरी पेंशन मिल रही थी। इन लाभार्थियों का एक पीपीओ विशिष्ट आईडी से जुड़ा था और दूसरा पीपीओ बिना विशिष्ट आईडी के था। विवरण **परिशिष्ट ज** में दिया गया है।

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान पाए गए विशिष्ट आईडी के अभाव में पेंशन के दोहरे भुगतान के ऐसे तीन उदाहरण **प्रकरण अध्ययन 3** में वर्णित हैं।

### प्रकरण अध्ययन 3

किशनगढ़ स्वण्ड (अजमेर) की ग्राम पंचायत रूपनगढ़ में मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया (फरवरी 2021) कि तीन मामलों में, लाभार्थियों को ₹ 1,89,000 की राशि का दोहरा पेंशन भुगतान<sup>40</sup> किया गया था (**परिशिष्ट झ**)। इन लाभार्थियों को एक पेंशन उनके बैंक खाते में और दूसरी पेंशन मनीआर्डर के माध्यम से प्राप्त हो रही थी। आगे जांच से पता चला कि इन मामलों में विभाग ने लाभार्थियों को दोहरे पीपीओ, एक पीपीओ जन-आधार/आधार संख्या सहित और दूसरा पीपीओ जन-आधार/आधार संख्या रहित, जारी किये थे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि संबंधित स्वण्ड विकास अधिकारी को मनीआर्डर के माध्यम से किए जा रहे दोहरे भुगतान को रोकने और संबंधित लाभार्थियों से ब्याज सहित भुगतान की गई राशि की वसूली करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर में यह भी कहा गया कि गलती करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी और प्रगति से अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि विभाग ने सभी पीपीओ को जन-आधार/आधार के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ना सुनिश्चित किया होता तो इन मामलों को रोका जा सकता था।

आगे, 12 चयनित स्वण्डों की राजएसएसपी रिपोर्टों की जांच के दौरान यह देखा गया कि दोनों योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले 2,66,119 लाभार्थियों में से 607 मामले ऐसे थे जहां

<sup>40</sup> अप्रैल 2016 से जुलाई 2020 तक की गणना के रूप में पेंशन भुगतान रिपोर्ट, ओएपी 7 में भुगतान की जानकारी अप्रैल 2016 से पहले की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं थी। पीपीओ में उल्लिखित स्वीकृति तिथियों (**परिशिष्ट झ**) के आधार पर इन लाभार्थियों को अप्रैल 2016 से पहले भी दोहरी पेंशन भुगतान की प्रबल संभावना है।

भामाशाह/जन-आधार/आधार संख्या के बिना भी पेंशन भुगतान किया जा रहा था (विवरण **परिशिष्ट ज** में)।

पीपीओ से विशिष्ट आईडी के जुड़ने के अभाव में लाभार्थियों के दोहराव और पेंशन के दोहरे भुगतान की घटनाओं को रोकना मुश्किल हो जाता है। यद्यपि भामाशाह/आधार संख्या के बिना लाभार्थियों की सूची से सम्बंधित रिपोर्ट<sup>41</sup> राजएसएसपी पर उपलब्ध है, विभाग इस सूचना के उपयोग द्वारा उपयुक्त हस्तक्षेप करने में विफल रहा ताकि इन लाभार्थियों को विशिष्ट आईडी प्राप्त करने के साथ-साथ सभी पीपीओ को प्राथमिकता के साथ विशिष्ट आईडी से जोड़ने में सहायता मिलती।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और सूचित किया (जुलाई 2021) कि आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के अनुसार, केंद्र/राज्य सरकार आधार की कमी के कारण किसी व्यक्ति को किसी भी सेवा/लाभ से वंचित नहीं कर सकती है। उत्तर उचित नहीं है क्योंकि पेंशन नियमों<sup>42</sup> के नियम 5 में स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि आवेदक को आवेदन के समय अनिवार्य रूप से अपना भामाशाह/जन-आधार/आधार संख्या<sup>43</sup> देनी होगी, जिसके अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी निर्धारित विशिष्ट आईडी के अभाव के कारण दोहरे पेंशन भुगतान के मामले सामने आए हैं। सरकार ने आगे कहा (अगस्त 2021) कि दोहरे पेंशन भुगतान के मामलों में, संबंधित स्वीकृति अधिकारियों को ब्याज सहित भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए निर्देशित किया गया है और जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भी उचित कार्यवाही की जाएगी।

समापन परिचर्चा के दौरान राज्य सरकार ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि लगभग 5 प्रतिशत लाभार्थी ऐसे थे जिनकी विशिष्ट आईडी उनके पीपीओ से जुड़ी नहीं थी और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया (सितंबर 2021) कि विभाग जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर रहा है कि वार्षिक भौतिक सत्यापन के दौरान बिना जन-आधार के लाभार्थियों और दोहरी पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

## 2.9 लाभार्थी की मृत्यु के मामलों में डेटा का अद्यतन

पेंशन नियमों के नियम 9(1) के अनुसार पेंशनभोगी की मृत्यु के दिन पेंशन बंद हो जाती है। उक्त नियम 13 में प्रावधान है कि लाभार्थी की मृत्यु के मामले में, पटवारी/ग्राम सेवक/स्थानीय

<sup>41</sup> राजएसएसपी की "ब्लाकवाइज ब्लॉक भामाशाह ओर आधार नंबर" रिपोर्ट

<sup>42</sup> 07 जून 2017 को संशोधित

<sup>43</sup> या भामाशाह/जन-आधार/आधार की नामांकन संख्या



निकाय या डाकघर/बैंक के नामित प्राधिकारी पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी<sup>44</sup> को सूचना भेजेंगे। सूचना प्राप्त होने पर, स्वीकृति प्राधिकारी पेंशन रोकने के लिए राजएसएसपी के माध्यम से मृत्यु के संबंध में सूचना आहरण एवं संवितरण अधिकारी को भेजेगा।

राजएसएसपी डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 13 जनवरी 2021 को वसूली के 3605 मामलों में से 2447 (67.88 प्रतिशत) में कारण "मृत्यु" के रूप में उल्लेखित किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि वास्तविकता में विभाग पेंशन तभी रोकता है जब लाभार्थियों के परिवार के सदस्य मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृत्यु के बारे में संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी को सूचित करते हैं या वार्षिक सत्यापन के पश्चात विभाग द्वारा अतिरिक्त भुगतान की वसूली उस बैंक खाते से की जाती है जिसमें पेंशन भुगतान किया जा रहा था।

विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2021) कि भारत के महापंजीयक/स्थानीय निकाय/अस्पताल/शमशान आदि से पेंशनभोगियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र नहीं है और लाभार्थी की मृत्यु के बाद पेंशनभोगियों के वार्षिक भौतिक सत्यापन के दौरान ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर या पेंशनभोगियों के रिश्तेदारों द्वारा सूचित किए जाने पर पेंशन रोक दी जाती है।

जबकि पेंशन नियमों द्वारा परिकल्पित तंत्र गैर-कार्यात्मक है, यह भी उल्लेखनीय है कि पेंशन नियम ऐसे संस्थानों से स्वीकृति प्राधिकारी को एवं स्वीकृति प्राधिकारी से आहरण एवं संवितरण अधिकारी को लाभार्थी की मृत्यु के संबंध में पेंशन रोकने के लिए सूचना के प्रवाह के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं। इसके अलावा, अस्पतालों/दाहगृहों/शमशानों आदि से स्वीकृति प्राधिकारी को ऐसी जानकारी के प्रवाह के लिए कोई तंत्र निर्धारित नहीं किया गया है जिससे ऐसी जानकारी नियमित और व्यवस्थित तरीके से विभाग को उपलब्ध कराई जा सके।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और सूचित किया (अगस्त 2021) कि राजएसएसपी को जन-आधार और पहचान पोर्टल से इस तरह जोड़ा जा रहा है कि लाभार्थी की मृत्यु की सूचना राजएसएसपी पर तुरंत अद्यतन हो जाये और ऐसे लाभार्थियों को पेंशन भुगतान रोक दिया जावे। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया (सितम्बर 2021) कि राजएसएसपी को पहचान के साथ जन-आधार पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है जिसके कारण लाभार्थियों की मृत्यु की सूचना अब राजएसएसपी पर प्राप्त हो रही है। लेखापरीक्षा जांच (सितम्बर 2021) से पता चला कि राजएसएसपी के साथ लिंकिंग परीक्षण चरण में है। इस संबंध में आगे की प्रगति की सूचना मांगे जाने पर भी नहीं दी गई (दिसंबर 2021)।

---

<sup>44</sup> 10 जून 2020 तक संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को रिपोर्ट भेजना आवश्यक था

## 2.10 राजएसएसपी के प्रणालीगत मुद्दे

### 2.10.1 मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय परिपत्र सं. 20(7)/2017-सीएलइएस दिनांक 11/4/2018 ने मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिए सुरक्षित साइबर वातावरण हेतु सर्वोत्तम प्रथाएं जारी की। साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुझाई गई प्रथाओं में से एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) था। एमएफए जो कुछ भी सुरक्षित किया जा रहा है उसे एक्सेस करने के लिये उपयोगकर्ता से दो या दो से अधिक प्रकार की सूचनाओं के संयोजन द्वारा साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करता है जोकि पासवर्ड या व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) या उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन पर भेजा गया कोड या फिंगरप्रिंट हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राजएसएसपी के माध्यम से पेंशन प्रोसेसिंग और भुगतान की पूरी प्रक्रिया में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2एफए) का उपयोग केवल स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के स्तर पर किया जा रहा था। यह पाया गया कि सत्यापन प्राधिकारी और भुगतान प्राधिकारी (आहरण एवं संवितरण अधिकारी)<sup>45</sup> के मामले में, सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (केवल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड) का उपयोग किया जा रहा था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि आवेदन की स्वीकृति पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण है और 2एफए स्वीकृति स्तर पर उपलब्ध है। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि केंद्रीकृत भुगतान प्रोसेसिंग के लिए एकल आहरण एवं संवितरण अधिकारी प्रणाली<sup>46</sup> के लागू होने के बाद अब 2एफए आवश्यक नहीं है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित संशोधित पेंशन नियमों में स्वतः सत्यापन, स्वतः जाँच एवं स्वतः स्वीकृति के प्रावधानों के मद्देनजर 2एफए की जरूरत न होने पर पुनः बल दिया (सितम्बर 2021)।

मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कार्यान्वयन साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण उपाय है और वर्तमान परिदृश्य में, जहां सभी सरकारी प्रणालियों को ऑनलाइन लाया जा रहा है और साइबर हमलों के मामले बढ़ रहे हैं, यह और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यद्यपि पेंशन प्रोसेसिंग के सभी स्तरों पर एमएफए महत्वपूर्ण है, एकल आहरण एवं संवितरण अधिकारी के स्तर पर सुरक्षा स्वामी के भारी प्रभाव के कारण यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

<sup>45</sup> सा.न्या.एवं अ.वि. की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए मार्च 2020 तक आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी थे। अप्रैल 2020 से अतिरिक्त निदेशक, पेंशन (सा.न्या.एवं अ.वि.) को आहरण एवं संवितरण अधिकारी बनाया गया है।

<sup>46</sup> 30 अप्रैल 2020 से

### 2.10.2 पासवर्ड साझा करना

राजस्थान सरकार की आईटी नीति 2015 के पैरा 6.6 (B) (b) और (E) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को विशिष्ट यूजर आईडी प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपने काम के लिए स्वयं जिम्मेदार हों। लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि आईटी नीति का उल्लंघन कर तीनों स्तरों अर्थात् सत्यापन, स्वीकृति और पेंशन भुगतान के अधिकारी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्रोसेसिंग से संबंधित कार्यों के निपटान के लिए अपने अधीनस्थों के साथ अपने राजएसएसपी यूजर आईडी/पासवर्ड साझा कर रहे थे। यह पेंशन नियमों का भी उल्लंघन है जो पेंशन प्रोसेसिंग के प्रत्येक चरण के लिए विशिष्ट प्राधिकार निर्धारित करते हैं।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि संबंधित अधिकारी अपने राजएसएसपी पोर्टल पासवर्ड के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं और पासवर्ड साझा न करने के निर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं।

### 2.10.3 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एसआरएस) का अद्यतन

एसआरएस, विकसित किए जाने वाले सॉफ्टवेयर/सिस्टम से जुड़ी विभिन्न आवश्यकताओं के सख्त मूल्यांकन पर आधारित सॉफ्टवेयर/सिस्टम का एक व्यापक विवरण है। इसमें सॉफ्टवेयर के विकास, संचालन, गुणवत्ता आश्वासन और रखरखाव के विवरण शामिल हैं और यह इस प्रकार सॉफ्टवेयर और उसके अपेक्षित प्रदर्शन का एक संरचित ढांचा प्रदान करता है। चूंकि प्रौद्योगिकी परिदृश्य परिवर्तनशील है और नीतियों/कानूनों/नियमों में परिवर्तन के कारण प्रणालीगत संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए सॉफ्टवेयर/सिस्टम की आवश्यकताओं और प्रदर्शन के आवधिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर सॉफ्टवेयर/सिस्टम का रूपांतरण करने के लिए एसआरएस को अद्यतन किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी (अक्टूबर 2020) के आधार पर यह देखा गया कि राजएसएसपी का उपलब्ध एसआरएस दस्तावेज संस्करण 1.1 था जिसे वर्ष 2011 में अंतिम रूप दिया गया था। पेंशन प्रोसेसिंग में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों सहित बाद के सभी परिवर्तन और राजएसएसपी की भुगतान प्रक्रिया एसआरएस में बदलाव किए बिना ही की गई थी।

एसआरएस का अद्यतन किए बिना इस तरह के बदलाव करना उभरती आवश्यकताओं के आवधिक और व्यवस्थित मूल्यांकन, पुरानी सुविधाओं और प्रौद्योगिकी और डिजिटल सुरक्षा वातावरण में बदलावों के कारण आवश्यक प्रणालीगत परिवर्तनों की कमी की ओर भी इशारा करता है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2021) और कहा कि राजएसएसपी में समय-समय पर आवश्यकताओं के आधार पर संशोधन किए जाते हैं।

समापन परिचर्चा के दौरान राज्य सरकार ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि एसआरएस को अद्यतन कर दिया गया है। नवीनतम एसआरएस की एक प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई (सितम्बर 2021)।

यद्यपि एसआरएस लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर दस वर्षों की अवधि के बाद अद्यतन किया गया है, राज्य सरकार परिवर्तनों का उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के लिए एसआरएस के अद्यतन को राजएसएसपी की परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाने पर विचार कर सकती है जो पोर्टल में परिवर्तन/अद्यतन से उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या की पहचान करने और उसका समाधान करने में उपयोगी साबित हो सकता है।

#### 2.10.4 बिजनेस कन्टीन्यूटी प्लान एवं डिजास्टर रिकवरी प्लान

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी 'राज्य डेटा केंद्र के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता के लिए दिशानिर्देश' के अनुसार राज्यों को राज्य डेटा केंद्र (एसडीसी) के लिए डिजास्टर रिकवरी प्लान (आपदा पुनर्प्राप्ति योजना) और बिजनेस कन्टीन्यूटी प्लान (कार्य निरन्तरता योजना) स्थापित करने की आवश्यकता है। बिजनेस कन्टीन्यूटी प्लान (बीसीपी) आपदा/आपातकाल की स्थिति में पूर्व निर्धारित स्वीकृत स्तर पर काम करने तथा बाद में सामान्य कार्यों को पुनरारंभ करने की रूपरेखा प्रदान करता है। इसमें डिजास्टर रिकवरी प्लान (डीआरपी) शामिल है जिसे किसी व्यवधान/आपदा के बाद सिस्टम/डेटा की रिकवरी में संगठन की सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन योजनाओं का अस्तित्व संगठन के सिस्टम और डेटा के सामने आने वाले खतरों जैसे आग की घटना, बाढ़, साइबर हमले आदि के लिए तैयारियों का प्रतिबिंब है।

एसडीसी के भौतिक सत्यापन के दौरान विभाग ने बताया कि राजएसएसपी के लिए बीसीपी और डीआरपी तैयार कर लिए गये हैं और डेटा की बैकअप प्रतियां लेने के लिए जोधपुर में एक डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। तथापि मांगे जाने पर इन योजनाओं के दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए (दिसम्बर 2021)।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि बीसीपी/डीआरपी वर्तमान में सक्रिय नहीं हैं और जल्द ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। समापन परिचर्चा के दौरान राज्य सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2021) कि शीघ्र ही बीसीपी/डीआरपी को सक्रिय कर दिया जाएगा। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

बीसीपी/डीआरपी के कार्यान्वयन की कमी लाभार्थियों के डेटा और पेंशन प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जा रही प्रणालियों को आपदाओं के कारण सेवाओं में रुकावट के प्रति संवेदनशील बनाती है।

### 2.10.5 राजएसएसपी में एप्लिकेशन कन्ट्रोल

एप्लिकेशन कन्ट्रोलस आईटी सिस्टम में सम्मिलित किए गए वे उपाय हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि डेटा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट पूर्ण, सटीक और वैध हैं। एप्लिकेशन कन्ट्रोलस में पूर्णता और वैधता जांच, इनपुट कन्ट्रोल, प्रोसेसिंग योग का संतुलन, त्रुटि रिपोर्टिंग आदि सम्मिलित हैं।

#### (क) इनपुट कन्ट्रोलस

(i) किसी एप्लिकेशन में, कुछ डेटा फ़िल्ड्स को अनिवार्य निर्दिष्ट करना एक महत्वपूर्ण इनपुट कन्ट्रोल है जो यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम में एप्लिकेशन द्वारा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध है। एनआईसी के एसएसओ लॉगिन यूजर्स मैनुअल<sup>47</sup> में राजएसएसपी के लिए वार्षिक आय, धर्म, पिन कोड, नाम, पिता / पति का नाम आदि जैसे अनिवार्य फ़िल्ड्स<sup>48</sup> का प्रावधान है। ये अनिवार्य फ़िल्ड्स राजएसएसपी को उन सभी लाभार्थियों के उन डेटा फ़िल्ड्स को प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं जो पेंशन नियम 2013 के अनुपालन में पेंशन आवेदनों के प्रोसेसिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं।

राजएसएसपी डेटा डंप के विश्लेषण में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त 20,99,362 आवेदन जिन्हें बाद में स्वीकृत किया गया, में से 9,65,921 मामलों (46.01 प्रतिशत) में 'वार्षिक आय' फ़िल्ड रिक्त छोड़ दिया गया था और 99,121 मामलों (4.72 प्रतिशत) में 'पिन कोड' फ़िल्ड रिक्त छोड़ दिया गया था जबकि ये दोनों फ़िल्ड्स अनिवार्य थे। यह इंगित करता है कि सिस्टम यह सुनिश्चित करने में असमर्थ है कि सभी अनिवार्य फ़िल्ड्स भर दिए गये हैं।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (सितम्बर 2021) कि राजएसएसपी में 'वार्षिक आय' फ़िल्ड को हटा दिया गया है और अब आवेदक द्वारा केवल स्व-घोषणा की आवश्यकता है तथा 'पिन कोड' फ़िल्ड केवल मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिए आवश्यक है।

(ii) सीएमईएनएसपीएस के 42,995 लाभार्थी (557-तलाकशुदा, 42,143-विधवा और 295-परित्यक्त) जिनकी पेंशन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान स्वीकृत की गई थी, में से 9,602 मामलों<sup>49</sup> (22.33 प्रतिशत) में यह पाया गया कि "हजबेंड डाइवोर्स इश्यूइंग ऑथोरिटी" फ़िल्ड में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की गई थी जैसा कि अनुच्छेद 2.3 में दर्शाया गया है। ऐसे मामलों का स्क्रीनशॉट परिशिष्ट ट में दिया गया है।

<sup>47</sup> <https://ssp.rajasthan.gov.in/LoginContent/MidLogin.aspx> पर उपलब्ध

<sup>48</sup> चूंकि इन क्षेत्रों को लाल तारांकन से चिह्नित किया गया है जो अनिवार्य जानकारी का सूचक है।

<sup>49</sup> 2550 मामलों में फ़िल्ड खाली छोड़ा गया और 7052 मामलों में संख्यात्मक मान/विशेष वर्ण भरा गया।

यह दर्शाता है कि सिस्टम ने पेंशन नियमों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों/सूचनाओं के अभाव में भी ऐसी पेंशनो के आवेदन, आवेदनों की प्रोसेसिंग और स्वीकृति की अनुमति दी। इस फील्ड को इस योजना के तहत पेंशन के आवेदन के लिए अनिवार्य बनाया जा सकता है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि आवेदक के विवरण जैसे वैवाहिक स्थिति आवेदन के समय जन-आधार डेटाबेस से प्राप्त किए जाते हैं और चूंकि जन-आधार की जानकारी सत्यापित है, इसलिए इसे पुनः सत्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन के समय लाभार्थियों के मूल जनसांख्यिकीय विवरण, वैवाहिक स्थिति सहित, जन-आधार डेटाबेस से प्राप्त किए जाते हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है कि पेंशन की स्वीकृति के लिए अन्य आवश्यकताएं, जैसे वैवाहिक स्थिति के समर्थन में पेंशन नियमों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों को पूरा किया गया है और संबंधित जानकारी राजएसएसपी पर प्रदान की गई है।

(iii) डेटा विश्लेषण से यह भी पता चला कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लाभार्थियों द्वारा दायर की गई 17,921 शिकायतों/प्रश्नों/परिवेदनों में से 575 प्रकरणों (3.21 प्रतिशत) में परिवाद/शिकायतें बिना विवरण के दर्ज की गई थी। ऐसी शिकायतों का स्क्रीनशॉट **परिशिष्ट 8** में दिखाया गया है।

शिकायतों को दर्ज करने के लिए विवरण को एक अनिवार्य फील्ड बनाया जा सकता है जिससे कि सिस्टम विवरण के बिना शिकायतों/परिवेदनों को दर्ज करने की अनुमति नहीं दें क्योंकि विवरण के अभाव में विभाग के लिए समाधान प्रदान करना या दर्ज की जा रही शिकायतों की प्रवृत्ति और प्रकृति का विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता है।

मामला राज्य सरकार को इंगित किया गया (जुलाई 2021)। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि शिकायतों/परिवेदनों/प्रश्नों को दर्ज करते समय विवरण को अनिवार्य फील्ड बनाने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

इन उदाहरणों से पता चलता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम में दर्ज की गई जानकारी वैध, सटीक और पूर्ण है, इनपुट कंट्रोल्ल्स को मजबूत करने की गुंजाइश है।

### (ख) प्रोसेसिंग कंट्रोल्ल्स

प्रोसेसिंग कंट्रोल्ल्स यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्वचालित साधन प्रदान करते हैं कि सिस्टम में दर्ज किए गए डेटा का प्रोसेसिंग पूर्ण, सटीक और अधिकृत है। राजएसएसपी डेटा और रिपोर्टों के विश्लेषण से ऐसे उदाहरण मिले जहां प्रोसेसिंग नियंत्रणों की कमियों का पता चला जैसा कि नीचे बताया गया है:

(i) सिस्टम को उपलब्ध जन्म तिथि से लाभार्थी की आयु की गणना करनी चाहिए और ऐसे

आवेदनों की प्रोसेसिंग को रोकना चाहिए जहां लाभार्थी आयु मानदंड को पूरा नहीं करता है। तथापि, लाभार्थी की न्यूनतम निर्धारित आयु प्राप्त किए बिना भी पेंशन आवेदनों को प्रोसेस और स्वीकृत किए जाने के प्रकरण देखे गए, जैसा कि **अनुच्छेद 2.4** में दर्शाया गया है।

(ii) सिस्टम में पेंशन आवेदनों की स्वतः स्वीकृति का प्रावधान होने के बावजूद भी पेंशन आवेदनों के सत्यापन और स्वीकृति में देरी हुई थी जैसा कि **अनुच्छेद 2.2** में बताया गया है।

पर्याप्त और प्रभावी प्रोसेसिंग कंट्रोल विभाग को योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आसानी से पता लगाने, हल करने और कम करने में सुविधा प्रदान करेगा।

### (ग) आउटपुट कंट्रोल

आउटपुट कंट्रोल यह सुनिश्चित करते हैं कि सिस्टम द्वारा प्रदान की गई जानकारी पूर्ण, वैध और सटीक है। वे यह भी जांचते हैं कि सिस्टम से प्राप्त सूचना अपेक्षित/मांगी गयी जानकारी है और सिस्टम में उपलब्ध अन्य सूचनाओं से प्रमाणित होती है। सिस्टम के आउटपुट कंट्रोल में निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

(i) राजएसएसपी डेटा के विश्लेषण से लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित 2,73,653 मामलों का पता चला, जहां राजएसएसपी भुगतान रिपोर्ट (ओएपी 7) की भुगतान जानकारी में टी वी संख्या का उल्लेख नहीं था, जिसका अर्थ यह है कि इन मामलों में भुगतान के बिल रद्द कर दिए गए थे। तथापि, भुगतान रिपोर्ट गलत सूचना दिखा रही थी कि इन मामलों में पेंशन का भुगतान किया गया था। **परिशिष्ट ड** के स्क्रीनशॉट में एक उदाहरणात्मक प्रकरण दिखाया गया है।

अतः राजएसएसपी द्वारा प्रदान की गई भुगतान जानकारी सही नहीं थी। राजएसएसपी की भुगतान रिपोर्ट आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बिलों के पारित होते ही पेंशन को भुगतान के रूप में दर्शाती है। तथापि, ऐसे बिलों को ई-कुबेर<sup>50</sup> द्वारा विभिन्न कारणों जैसे कि ई-भुगतान फाइल में गलत आईएफएससी<sup>51</sup> के कारण अस्वीकार किया जा सकता है। इसलिए राजएसएसपी पर भुगतान रिपोर्ट का अद्यतन ई-कुबेर से सफल/असफल लेनदेन की पुष्टि प्राप्त होने पर किया जाना चाहिए, न कि बिलों के पारित होने पर।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2021) कि पूर्व में राजकोष के साथ राजएसएसपी का उचित लिंक नहीं था जिसके कारण कुछ मामलों के लिए टी वी संख्या उपलब्ध नहीं थी। वर्तमान में सभी पेंशन भुगतानों में टी वी संख्या अंकित की जा रही है।

<sup>50</sup> ई-कुबेर भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) है।

<sup>51</sup> भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड

हालांकि, लेखापरीक्षा जाँच (अगस्त 2021) से पता चला कि जुलाई 2021 में भी, राजएसएसपी की पेंशन भुगतान रिपोर्ट के कुछ मामलों में लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान दिखाया गया है जहां टी वी संख्या उपलब्ध नहीं है (**परिशिष्ट ढ**)। इससे पुष्टि होती है कि राजएसएसपी के आउटपुट कन्ट्रोल्ल्स में कमी बनी हुई है। इसके अलावा, ई-कुबेर से प्राप्त संव्यवहार की पुष्टि के बजाय बिलों के पारित होने पर भुगतान रिपोर्ट को अद्यतन करने के बारे में प्रत्युत्तर मौन है।

राज्य सरकार ने बाद में अवगत कराया (अगस्त 2021) कि भुगतान उन मामलों में किया जाता है जहां टी वी संख्या प्रदर्शित है और जिन मामलों में टी वी संख्या उपलब्ध नहीं है, वहां कोई भुगतान नहीं किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कुछ लाभार्थियों की भुगतान रिपोर्ट<sup>52</sup> की नमूना जांच (सितंबर 2021) से पता चला कि पेंशन भुगतान उन मामलों में भी प्रदर्शित हो रहा है जहां टी वी संख्या उपलब्ध नहीं थी।

(ii) लेखापरीक्षा के दौरान राजएसएसपी की दो अलग-अलग रिपोर्टों के बीच सूचना के बेमेल होने के मामले भी देखे गए थे। उदाहरण के लिए राजएसएसपी की 'सर्विस गारंटी रिपोर्ट' में प्रथम भुगतान की तारीखें उन्हीं मामलों के लिए राजएसएसपी भुगतान रिपोर्ट 'ओएपी 7' में दर्शाई गई पेंशन के प्रथम भुगतान के भुगतान की तारीखों से अलग थीं। **परिशिष्ट ७** में दिये गये स्क्रीनशॉट में उदाहरणात्मक प्रकरण दिखाया गया है।

आगे की जांच से पता चला कि 'सर्विस गारंटी रिपोर्ट' की जानकारी को इस तरह से दिखाया गया था कि वह राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हो, जबकि राजएसएसपी की ओएपी-7 रिपोर्ट में भुगतान के लिए बिलों के पारित होने की तिथि दर्शाई गई थी। इन रिपोर्टों में दी गई जानकारी विरोधाभासी थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि प्रथम भुगतान के संबंध में लोक सेवा गारंटी रिपोर्ट पर उपलब्ध तिथि वास्तव में पेंशन के प्रथम भुगतान की देय तिथि है जो माह का पहला दिन है जबकि प्रथम पेंशन का वास्तविक भुगतान अगले महीने किसी भी दिन किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लोक सेवा गारंटी रिपोर्ट सूचना को 'प्रथम भुगतान तिथि' के रूप में प्रदर्शित करती है। इसके अलावा, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के आधार पर, लोक सेवा गारंटी रिपोर्ट में सेवा की देय तिथि के बजाय जिस तिथि पर लाभार्थी को सेवा प्रदान की जाती है की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।

<sup>52</sup> राजएसएसपी की ओएपी 7



उपर्युक्त मामले दर्शाते हैं कि राजएसएसपी द्वारा प्रदान की जा रही आउटपुट जानकारी कुछ मामलों में गलत थी।

### सारांश

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पेंशन आवेदनों की स्वीकृति में काफी विलम्ब था जिस पर राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद सुधारात्मक कार्यवाही की। विभाग ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना सीएमईएनएसपीएस के तहत पेंशन स्वीकृत की। ऐसे आवेदकों को पेंशन स्वीकृत की गई, जिन्होंने आवेदन की तिथि पर पात्रता की न्यूनतम आयु प्राप्त नहीं की थी और कुछ प्रकरणों में पेंशन की स्वीकृति की तारीख तक भी न्यूनतम आयु प्राप्त नहीं की और कुछ अन्य प्रकरणों में पात्र आवेदकों के आवेदन स्वारिज कर दिए गए थे, जो निगरानी की विफलताओं को दर्शाता है। निर्धारित अधिकारियों के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे सत्यापन के साथ भौतिक सत्यापन की प्रणाली में अनियमितताएं पाई गई, मृत लाभार्थियों को 'जीवित' के रूप में सत्यापित किया गया, गलत तरीके से 'मृत' घोषित होने पर जीवित लाभार्थियों की पेंशन रोकी गई और सत्यापन के दौरान अपात्र पाए गए आवेदकों को बाद के भुगतानों के लिए सत्यापित के रूप में चिह्नित किया गया। स्वतः स्वीकृत आवेदनों की अनिवार्य पश्च-लेखापरीक्षा नहीं की गई थी तथा अपात्र स्वतः स्वीकृत आवेदनों को पेंशन के भुगतान के प्रकरणों में वसूली लम्बित थी। सभी पात्र विधवा लाभार्थियों को उच्च दरों पर पेंशन प्राप्त करने के लिए सीएमओएसपीएस से सीएमईएनएसपीएस में स्थानांतरित नहीं किया गया था तथा 'परित्यक्ता' और 'तलाकशुदा' लाभार्थियों के लिए भी इस तरह की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में निर्धारित सूचना प्रवाह तंत्र गैर-कार्यात्मक था तथा ऐसी सूचनाओं के प्रवाह के लिए समय-सीमा भी निर्धारित नहीं की गई थी।

राजएसएसपी के प्रणालीगत मुद्दे जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की कमी, पासवर्ड साझा करना, सिस्टम रिकवायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अद्यतन की कमी और बिजनेस कन्टीन्यूटी प्लान/डिजास्टर रिकवरी प्लान के कार्यान्वयन की कमी को देखा गया। राजएसएसपी के इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट कंट्रोल्ल्स में कमियां पाई गई।

### अनुशंसाएं:

- पेंशन नियमों को जन-आधार के अनुरूप किया जाए क्योंकि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पात्रता संबंधी जानकारी जन-आधार से प्राप्त की रही है।
- राजएसएसपी में एक ऐसी विशेषता सम्मिलित की जाए जो जन-आधार डेटाबेस में लाभार्थी के पात्रता सम्बन्धी विवरणों के संशोधन से जुड़े मामलों को विभाग द्वारा आगे की जांच के लिए उजागर करे।
- गलत सत्यापन और स्वीकृति के मामलों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए भौतिक

सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाएं।

- वार्षिक भौतिक सत्यापन की प्रणाली में प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों की पात्रता का व्यापक मूल्यांकन और बैंक खाता संख्या जैसे मूलभूत विवरणों का सत्यापन सम्मिलित किया जाए।
- राजएसएसपी पर पात्र लाभार्थियों के सीएमओएसपीएस से सीएमईएनएसपीएस में स्वतः स्थानान्तरण की सुविधा लागू हो और इस सुविधा को 'विधवाओं' के अलावा 'परित्यक्ता' और 'तलाकशुदा' लाभार्थियों तक भी पहुँचाया जाए। सीएमईएनएसपीएस में स्थानान्तरण के लिए पात्र सीएमओएसपीएस के लाभार्थियों के सम्बन्ध में राजएसएसपी पर एक एमआईएस रिपोर्ट ऐसे स्थानान्तरणों में किसी भी बकाया की निगरानी के लिए सहायक हो सकती है।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि शेष लाभार्थियों की जन-आधार आईडी राजएसएसपी पर अद्यतन की गई है और सभी पीपीओ को समयबद्ध तरीके से जन-आधार आईडी से जोड़ा जाए ताकि राजएसएसपी डुप्लीकेट लाभार्थियों तथा दोहरे भुगतान के मामलों का पता लगाने और उन्हें रोकने में सक्षम हो।
- डेटा सुरक्षा, सटीकता, वैधता सुनिश्चित करने और योजनाओं के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन में राजएसएसपी की क्षमता को बढ़ाने के लिए राजएसएसपी के एप्लीकेशन कंट्रोलस में स्वामियों को दूर करने के प्रयास किये जाएं।
- विभाग के आईटी सिस्टम में डेटा की वैधता, अखंडता और सुरक्षा जैसे पहलुओं की समर्पित और केंद्रित तरीके से निगरानी और प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जा सकता है।

## अध्याय – III

राज्य में डीबीटी का बुनियादी ढांचा,  
संगठन और प्रबंधन

राज्य में डीबीटी का बुनियादी ढांचा, संगठन और प्रबंधन

*लेखापरीक्षा उद्देश्य 2: क्या डीबीटी का बुनियादी ढांचा, संगठन और प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी थे*

डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा राज्य डीबीटी प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गये। राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ मुख्य रूप से विभिन्न योजनाओं में डीबीटी के कार्यान्वयन के समन्वय की दिशा में काम करेगा और राज्य में डीबीटी संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों और मामलों के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करेगा। सचिव, कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली ने 12 मई 2016 के समसंख्यक अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक "राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ" स्थापित करने का अनुरोध किया, जो केंद्रीय योजनाओं के डीबीटी ओनबोर्डिंग के प्रयासों का समन्वय करेगा और राज्यों को राज्य द्वारा संचालित योजनाओं में भी डीबीटी ढांचे को अपनाने का अवसर प्रदान करेगा।

राजस्थान सरकार के आयोजना (संस्थागत वित्त) विभाग की सूचना (जुलाई 2020) के अनुसार राज्य में भामाशाह योजना के तहत राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ का गठन किया गया था और सचिव, आयोजना विभाग को अक्टूबर 2016 में डीबीटी के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट (एसपीओसी) के रूप में नामित किया गया था।

**3.1 राज्य डीबीटी पोर्टल तथा डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एकीकरण**

राज्यों को संबोधित संयुक्त सचिव, कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या डी-20011/02/2017-डीबीटी (कैब) दिनांक 11 मई 2017 के अनुसार, डीबीटी ओनबोर्डिंग की प्रक्रिया में लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और योजना विशिष्ट प्रबंधन सूचना तंत्र (एमआईएस) की तैयारी आवश्यक है। प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता वाले विषयों में डीबीटी भारत पोर्टल पर राज्य पोर्टल<sup>53</sup> का निर्माण, योजना विशिष्ट कोड की उत्पत्ति, डीबीटी कार्यान्वयन से बचत की रिपोर्टिंग और राज्य स्तर पर प्रमुख डीबीटी पहल शामिल हैं। उक्त कार्य को पूरा करने के लिए राज्य डीबीटी प्रकोष्ठों को पर्याप्त कौशल और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय तंत्र की आवश्यकता है।

राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के अभिलेखों की जांच से पता चला कि डीबीटी भारत पोर्टल पर राज्य डीबीटी पोर्टल नहीं बनाया गया था। हालांकि, योजना विभाग ने अवगत कराया (जुलाई

<sup>53</sup> www.dbtbharat.gov.in

2021) कि राजस्थान के लिए जन-आधार प्लेटफॉर्म (पहले भामाशाह पोर्टल) का उपयोग राज्य डीबीटी पोर्टल के रूप में किया जा रहा है। इसके अलावा, भामाशाह अधिनियम (जन-आधार अधिनियम के साथ प्रतिस्थापित) के तहत 164 योजनाओं को अधिसूचित किया गया था। इन सभी योजनाओं का प्रबंधन सम्बंधित विभागों द्वारा संचालित योजना पोर्टलों के माध्यम से किया जा रहा है। जन-आधार पोर्टल पर इन 164 योजनाओं में से केवल 59 योजनाओं<sup>54</sup> की ही जानकारी उपलब्ध थी।

यह देखा गया कि राज्य का जन-आधार पोर्टल डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एकिकृत नहीं है। यद्यपि राजस्थान से संबंधित डीबीटी की केंद्रीय योजनाओं के संबंध में कुछ जानकारी डीबीटी भारत पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन राज्य डीबीटी योजनाओं की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक की जन-आधार पोर्टल पर भी राज्य डीबीटी योजनाओं के महत्वपूर्ण योजना-वार विवरण जैसे-लाभार्थियों की संख्या, प्रति लाभार्थी लाभ हस्तांतरण की राशि, माह-वार/वर्ष-वार डीबीटी हस्तांतरण, और डीबीटी के कारण बचत आदि उपलब्ध नहीं है। यह भी देखा गया कि राज्य डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध सीमित योजना डेटा वास्तविक समय में अद्यतन नहीं किया जाता है।

पोर्टल पर योजनाओं के वास्तविक समय के डेटा की कमी के संबंध में विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2020) कि वर्तमान में सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं से संबंधित डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है तथा संबंधित विभागों द्वारा डेटा को वास्तविक समय में अद्यतन कराने के लिए प्रकोष्ठ द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि इन कारणों से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की डीबीटी प्रदर्शन रैंकिंग के सूचकांकों<sup>55</sup> जैसे 'पोर्टल अनुपालन', 'डेटा रिपोर्टिंग', 'बचत रिपोर्टिंग अनुपालन' और 'बचत व्यय अनुपात', में राजस्थान का स्कोर रहा और 100 में से 57.5 के स्कोर के साथ 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान 18वें स्थान पर रहा।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि राज्य डीबीटी पोर्टल को डीबीटी भारत पोर्टल से जोड़ा गया है तथा जब डीबीटी योजनाओं का डेटा डीबीटी भारत पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा तब डीबीटी प्रदर्शन रैंकिंग में राजस्थान के प्रदर्शन में सुधार हो जाएगा। राज्य डीबीटी पोर्टल पर वास्तविक समय में डीबीटी योजनाओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध न होने के संबंध में सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि उस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

राज्य डीबीटी पोर्टल पर सभी योजनाओं की वास्तविक समय में जानकारी की अनुपलब्धता पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी की उपयोगिता और प्रासंगिकता को सीमित करती है।

---

<sup>54</sup> 16 जुलाई 2021 तक

<sup>55</sup> <https://dbtbharat.gov.in/state/state-ranking>

### 3.2 सलाहकार बोर्ड का गठन

डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय डीबीटी प्रकोष्ठ के समानांतर निकाय के रूप में एक 'सलाहकार बोर्ड' का गठन किया जा सकता है। इसमें डीबीटी के विभिन्न सहायकों और हितधारकों जैसे सभी सरकारी विभाग जो डीबीटी के दायरे में आने वाली योजनाएं चलाते हैं, यूआईडीएआई, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), आईटी टीम, एनआईसी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) आदि के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस बोर्ड में राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के संचालन के लिए उनकी तकनीकी क्षमता का उपयोग करने हेतु विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) आदि जैसी बहु-पक्षीय एजेंसियों का भी प्रतिनिधित्व हो सकता है। इस बोर्ड की मुख्य भूमिका राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के कार्यकारी निकाय को समग्र, समुचित सलाह और परामर्श प्रदान करने की होगी। यह निकाय तिमाही में एक बार या किसी अन्य नियमित अंतराल जिसे उचित समझा जाए पर बैठक कर सकता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि दिशा-निर्देशों में परिकल्पित सलाहकार बोर्ड का राज्य में गठन नहीं किया गया है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ, राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ और सलाहकार बोर्ड दोनों के रूप में कार्य कर रहा है और पृथक राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन प्रगति पर है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी (अक्टूबर 2021) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, एनआईसी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, टीएसपी, विश्व बैंक और एडीबी आदि की भागीदारी के साथ, डीबीटी राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।

### 3.3 राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली


डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रमुख सचिव (आयोजना/आईटी/वित्त) या समकक्ष स्तर के अधिकारी को राज्य डीबीटी समन्वयक के रूप में नामित किया जा सकता है, जो राज्य के डीबीटी संबंधित मामलों के लिए नोडल अधिकारी का कार्य करेगा। इसके अलावा, डीबीटी प्रकोष्ठ में एक कार्यान्वयन सहायक स्तर का गठन किया जाना चाहिए जिसमें तीन समन्वयक शामिल हों, जो प्रकोष्ठ के संचालन के लिए तकनीकी, गैर-तकनीकी और वित्त/प्रशासनिक सहायता के लिए जिम्मेदार होंगे और इसमें निदेशक या विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के स्तर के अधिकारी हो सकते हैं।

तकनीकी सहायता समन्वयक को विभिन्न योजनाओं में डीबीटी को लागू करने के लिए आईटी सहायता प्रदान करना और विकासशील योजना/विभाग-विशिष्ट आईसीटी एप्लीकेशन में शोध

इकाई के रूप में कार्य करना था। इसके अलावा, गैर-तकनीकी सहायता की जिम्मेदारियों में डीबीटी के संबंध में राज्य के अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की सुविधा सम्मिलित थी।

राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ का प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार है:

#### चार्ट 4



लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (दिसंबर 2020) कि राजस्थान सरकार ने सचिव, कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली को सूचित किया (अक्टूबर 2016) कि सचिव (आयोजना विभाग), राजस्थान सरकार को राज्य में डीबीटी से संबंधित मामलों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट (एसपीओसी) के रूप में नामित किया गया था। तथापि, अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि संयुक्त सचिव (संस्थागत वित्त, आयोजना विभाग) एसपीओसी के रूप में कार्यरत थे (दिसंबर 2020)। यह भी देखा गया कि राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ, योजना/विभाग-विशिष्ट आईसीटी एप्लीकेशन्स के विकास में सम्मिलित नहीं है और ऐसे एप्लीकेशन्स का विकास संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, अभिलेखों की जांच (दिसंबर 2020) से पता चला कि राज्य के कार्मिकों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला आयोजित नहीं किए गए हैं।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि राज्य के आयोजना विभाग के सचिव राज्य डीबीटी समन्वयक हैं और राज्य के डीबीटी से संबंधित मामलों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। तथापि, अभिलेखों के अनुसार संयुक्त सचिव (संस्थागत वित्त, योजना विभाग) राज्य के डीबीटी संबंधित मामलों के लिए एसपीओसी के रूप में कार्यरत थे। प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला के अभाव के संबंध में राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि दिनांक 10.04.2019, 19.09.2020 और 30.01.2020 को संबंधित विभागों के

लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने आगे बताया कि दिनांक 15.09.2021 को डीबीटी के संबंध में संबंधित विभागों के साथ एक संगोष्ठी/कार्यशाला आयोजित की गई थी और सभी विभागों के साथ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 27.09.2021 से 10.10.2021 तक निर्धारित किया गया है।

हालांकि, संबंधित अभिलेखों की जांच (सितंबर 2021) से पता चला कि ये सभी समीक्षा बैठकें थी जहां डीबीटी के कार्यान्वयन में प्रगति का आंकलन किया गया था और आगे के लिये निर्देश दिए गए थे। तथ्य यह है कि राज्य सरकार द्वारा डीबीटी के संबंध में अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए कदम नहीं उठाए गए।

### **सारांश**

राज्य डीबीटी पोर्टल के रूप में कार्यरत जन-आधार प्लेटफॉर्म का डीबीटी भारत पोर्टल के साथ प्रभावी लिंकिंग का अभाव है तथा इसमें राज्य डीबीटी योजनाओं के महत्वपूर्ण योजना विवरण जैसे कि योजना में लाभार्थियों की संख्या, लाभार्थियों को हस्तांतरित राशि, माह-वार /वर्ष-वार डीबीटी हस्तांतरण, डीबीटी के कारण बचत आदि सम्मिलित नहीं हैं, जिसके कारण डीबीटी प्रदर्शन रैंकिंग में राजस्थान का स्कोर खराब है। राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के कार्यकारी निकाय को समग्र, समुचित सलाह और परामर्श इनपुट प्रदान करने के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन राज्य में नहीं किया गया था। कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमीनार और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए हैं।

### **अनुशंसाएं**

राज्य सरकार:

- राज्य डीबीटी पोर्टल पर राज्य में सभी डीबीटी योजनाओं की योजना-वार जानकारी की उपलब्धता तथा डीबीटी भारत पोर्टल के साथ इसकी उचित लिंकिंग सुनिश्चित कर सकती है।
- राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ को राज्य के डीबीटी से संबंधित मामलों के लिए नोडल बिन्दु के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए विशेषज्ञ तकनीकी सहायता का प्रावधान करे।



## अध्याय – IV

अभीष्ट लाभार्थियों को लाभों का  
वितरण और शिकायत निवारण तंत्र

## अध्याय IV

### अभीष्ट लाभार्थियों को लाभों का वितरण और शिकायत निवारण तंत्र

लेखापरीक्षा उद्देश्य 3: क्या लाभार्थियों को वास्तव में लाभ प्राप्त हुए

#### 4.1 पेंशन का समय पर भुगतान

14 जून 2013 को संशोधित पेंशन नियमों के नियम 16 (v) के अनुसार पेंशन का नियमित भुगतान कोषाधिकारी द्वारा संभवतः माह के प्रथम सप्ताह में किया जाना है तथा पेंशन का प्रथम भुगतान ऑनलाइन स्वीकृति प्राप्त होने के चार दिनों के भीतर किया जाना है।

राजएसएसपी डेटा की संवीक्षा में पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रथम पेंशन भुगतान के 17,88,380 प्रकरणों में से 17,62,736 (98.56 प्रतिशत) प्रकरणों में पेंशन का भुगतान 1 से 726 दिनों के विलम्ब से किया गया था। विलम्ब का अवधि विश्लेषण नीचे दी गई तालिका और चार्ट में दर्शाया गया है:


तालिका 6: पेंशन के प्रथम भुगतान में विलम्ब

(₹ लाख में)

प्रथम भुगतान में विलम्ब (दिनों की संख्या)	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	6,429	40.99
2 से 5	77,705	497.30
6 से 30	9,90,550	6609.62
31 से 60	5,58,995	3873.22
61 से 90	85,468	583.33
91 से 200	40,770	273.72
201 से 400	2,768	18.00
401 से अधिक	51	0.35
योग	17,62,736	11,896.53


स्रोत: राजएसएसपी डेटा डंप से प्राप्त सूचना

#### चार्ट 5



राजएसएसपी डेटा विश्लेषण में आगे पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नियमित पेंशन भुगतान के कुल 19,80,18,851 संव्यवहारों में से 10,65,06,098 (53.79 प्रतिशत) प्रकरणों में, पेंशन का भुगतान 1 से 597 दिनों के विलम्ब<sup>56</sup> से किया गया था। विलम्ब का अवधि विश्लेषण नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

**चार्ट 6**



पेंशन भुगतान में विलम्ब की समग्र वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

**तालिका 7: पेंशन भुगतान में वर्षवार विलम्ब**

क्र. सं.	वर्ष	विलम्बित भुगतान		
		प्रथम भुगतान	नियमित भुगतान	योग
1	2017-2018	2,38,323	2,42,85,366	2,45,23,689
2	2018-2019	5,90,440	2,42,83,995	2,48,74,435
3	2019-2020	9,32,212	4,14,36,415	4,23,68,627
4	2020-2021 (जुलाई 2020 तक)	1,761	1,65,00,322	1,65,02,083
	<b>योग</b>	<b>17,62,736</b>	<b>10,65,06,098</b>	<b>10,82,68,834</b>

स्रोत: राजएसएसपी डेटा डंप से प्राप्त सूचना

<sup>56</sup> गणना महीने के आठवें दिन, जब पेंशन का भुगतान किया जाना होता है, से वास्तविक भुगतान की तारीख तक की गई है।

चयनित 14 कोषालयों की राजएसएसपी रिपोर्ट<sup>57</sup> के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सीएमओएसएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस से संबंधित 78,17,623 लाभार्थियों की पेंशन का भुगतान समय पर नहीं किया गया था। विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 8: पेंशन भुगतान में विलम्ब

क्र. सं.	कोषालय/उप कोषालय का नाम	बिलों एवं लाभार्थियों की संख्या				विलम्ब के साथ तैयार किये गये बिल
		कुल तैयार किये गये बिल		विलम्ब के साथ बिलों का भुगतान		
		बिलों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	बिलों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	
1	उप कोषालय, बानसूर	उपलब्ध नहीं		152	उपलब्ध नहीं	--
2	उप कोषालय, दांतारामगढ़	1,528	12,75,861	715	6,88,091	390
3	उप कोषालय, दुदू	864	3,38,738	347	1,37,273	223
4	उप कोषालय, किशनगढ़	1,958	9,19,341	907	2,97,904	671
5	उप कोषालय, लालसोट	1,233	11,68,794	919	7,66,461	668
6	उप कोषालय, मालपुरा	1,179	9,42,294	512	3,04,381	373
7	उप कोषालय, मोजमाबाद	1,564	6,27,673	862	3,07,044	526
8	उप कोषालय, रूपनगढ़	1,114	4,12,906	635	2,28,001	478
9	उप कोषालय, सांभर	2,016	12,82,741	1,107	6,37,812	717
10	कोषालय, अजमेर	1,597	14,92,313	846	7,00,773	661
11	कोषालय, अलवर	1,583	13,00,687	598	4,69,183	395
12	कोषालय, दौसा	2,157	15,64,189	1,378	7,14,365	1,107
13	कोषालय, सीकर	1,879	26,89,619	1,136	17,94,423	738
14	कोषालय, टोंक	1,876	13,76,442	1077	7,71,912	810
	<b>योग</b>	<b>20,548</b>	<b>1,53,91,598</b>	<b>11,191</b>	<b>78,17,623</b>	<b>7,757</b>

स्रोत: राजएसएसपी की 'बिल समरी डेट वाइज' रिपोर्ट

यह देखा जा सकता है कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान चयनित कोषालयों/ उप कोषालयों में तैयार किये गए 20,548 बिलों में से 11,191 बिलों (54.46 प्रतिशत) में विलम्बित भुगतान किया गया। यह देखा गया कि इन विलम्बित भुगतान के बिलों में से 7,757 बिल (69.31 प्रतिशत) विलम्ब से तैयार किये गए एवं शेष प्रकरणों में बिलों को समय पर तैयार/ पारित करने के बावजूद भी भुगतान में देरी हुई थी।

<sup>57</sup> नामित 'बिल समरी डेट वाइज'

प्रकरण राज्य सरकार (अगस्त 2021) के ध्यान में लाया गया। राज्य सरकार ने उत्तर (अगस्त 2021) दिया कि भुगतान की समय सीमा ऐसे प्रकरणों में लागू है जहाँ लाभार्थियों के सभी विवरण सही हैं। उत्तर में आगे उल्लेख किया गया कि पेंशन का भुगतान ऐसी स्थितियों में नहीं किया जा सकता है जहाँ सम्पूर्ण विवरण सही नहीं हैं।

राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पेंशन नियमों में स्पष्ट रूप से विभिन्न चरणों जैसे आवेदन सत्यापन स्वीकृति एवं भुगतान की समय सीमा को निर्धारित किया गया है। किसी भी कमी का सुधार इस समय सीमा में किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, लाभार्थियों के विवरण में कोई त्रुटि/ बेमेल, लेखापरीक्षा द्वारा पाये गए अत्यधिक विलम्ब के मामलों तथा दिनों की संख्या को न्यायोचित नहीं ठहराते हैं।

समापन परिचर्चा में राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2021) कि विलम्ब वित्त एवं मार्गोपाय अग्रिम के सम्बन्ध में राज्य की स्थिति को ध्यान रखते हुए वित्त विभाग द्वारा निधियाँ जारी करने के कारण हैं तथा उल्लेख किया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए एकल आहरण एवं संवितरण अधिकारी और एकल कोषालय प्रणाली के कार्यान्वयन ने कोषालय/ उप-कोषालय कार्यालयों से सम्बन्धित विलम्ब को समाप्त कर दिया है। लेखापरीक्षा विलम्बित पेंशन भुगतान के मुद्दों पर राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करती है और मानती है कि इस मुद्दे को उपयुक्त रूप से संबोधित करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि लाभार्थियों को विलम्ब की अवधि के लिए देय लाभों से वंचित किया जाता है क्योंकि इस अवधि के लिए ब्याज के भुगतान के रूप में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है।

#### 4.2 सीएमओएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान

पेंशन नियम परिशिष्ट 'क' के अनुच्छेद 2 के अनुसार पेंशन योजना के लाभार्थी को अधिक/ अनियमित/ दोहरे भुगतान के मामलों में भुगतान की सम्पूर्ण राशि लाभार्थी से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूल की जाएगी।

राजएसएसपी डेटा विश्लेषण में पाया गया कि चयनित योजनाओं के अन्तर्गत अधिक/ अनियमित/ दोहरे भुगतान के 9,176 प्रकरणों में राशि ₹ 3.44 करोड़ में से 3,605 (32.29 प्रतिशत) प्रकरणों में सम्मिलित राशि ₹ 1.98 करोड़ (57.56 प्रतिशत) की वसूली 13 जनवरी 2021 को

लम्बित थी, जिसको तत्रैव नियमों के अनुसार ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित था। लम्बित वसूली की वर्षवार स्थिति को नीचे दिखाया गया है:

तालिका 9: अधिक/ अनियमित भुगतान के प्रकरणों में लम्बित वसूली की स्थिति

(₹ लाख में)

वर्ष	अधिक/ अनियमित भुगतान के कुल प्रकरण	कुल वसूलनीय राशि	वसूली के लम्बित प्रकरण	वसूलनीय लम्बित राशि
2015-16	410	10.57	35	1.42
2016-17	777	35.94	150	5.59
2017-18	941	35.46	504	16.23
2018-19	1,087	59.02	693	26.83
2019-20	1,398	90.58	1,227	77.45
2020-21 (13.01.21 को)	4,563	112.80	996	70.64
<b>योग</b>	<b>9,176</b>	<b>344.37</b>	<b>3,605</b>	<b>198.16</b>

स्रोत: राजएसएसपी डेटा डंप से प्राप्त सूचना

वसूली के कारणों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 10: वसूली के कारणों का विवरण

क्र. सं.	प्रकरणों की संख्या	राजएसएसपी डेटा के अनुसार वसूली के कारण	टिप्पणी
1	2,447	मृत्यु	लाभार्थी की मृत्यु के बाद भी पेंशन का भुगतान
2	908	असंगत/ अमान्य सूचना	कारण कॉलम में असंगत/ अमान्य जानकारी है जैसे विशेष अक्षर इत्यादि
3	65	सरकारी नौकरी	स्वयं/ पत्नी/ पति/ पुत्र आदि की सरकारी नौकरी जो लाभार्थी को अपात्र बनाती है।
4	54	दोहरा भुगतान	एक ही पीपीओ पर दो बार पेंशन का भुगतान
5	47	डुप्लीकेट भुगतान	एक ही लाभार्थी के दो पीपीओ
6	42	आयु में अन्तर	आवेदन में लाभार्थी द्वारा दर्शायी गयी आयु में विसंगतियाँ
7	17	-	डेटा में कोई कारण नहीं दिया गया
8	16	लेखापरीक्षा वसूली	लेखापरीक्षा के द्वारा चिन्हित अनियमित भुगतान
9	8	स्वतः स्वीकृति	स्वतः स्वीकृत आवेदनों के प्रकरणों में गलत भुगतान
10	1	राज्य से बाहर	पेंशनभोगी राज्य से बाहर विस्थापित
<b>योग</b>	<b>3,605</b>		

स्रोत: राजएसएसपी डेटा डंप से प्राप्त सूचना

जैसा कि ऊपर तालिका में दिखाया गया है, राजएसएसपी में 17 प्रकरणों में अधिक/ अनियमित/ दोहरे भुगतान के कारण उपलब्ध नहीं कराए गए थे और 908 प्रकरणों में असंगत मान प्रदान

किए गए थे। ऐसे कारणों की उपलब्धता का अभाव विभाग द्वारा ऐसे दृष्टान्तों के घटित होने के मुद्दों का विश्लेषण करने और उन पर आवश्यक कार्यवाही करने की क्षमता में बाधा डालता है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि विभिन्न कारणों जैसे लाभार्थी की मृत्यु के बाद भी पेंशन का भुगतान आदि के कारण हुए अधिक भुगतान की वसूली के प्रावधान है। सरकार का उत्तर लम्बित वसूलियों एवं ऐसे प्रकरणों में की जा रही कार्यवाही के साथ-साथ राजएसएसपी में उपलब्ध कराये गये वसूली के असंगत कारणों अथवा कारणों के अभाव के बारे में मौन था। समापन परिचर्चा के दौरान राज्य सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2021) कि बकाया राशि की वसूली कर जवाबदेही तय की जाएगी। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

#### 4.3 पेंशन भुगतान विफलता के निवारण की प्रक्रिया

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए, बिल राजकोष मॉड्यूल पर कोषाधिकारी द्वारा पारित किए जाते हैं जिन्हें बाद में ई-पेमेंट फाइलों के निर्माण के लिए पे मैनेजर मॉड्यूल पर संसाधित किया जाता है। राजस्थान कोषागार नियम 2012 के नियम 144 (a) (2) के अनुसार कोषालय और उप कोषालय सभी ई-पेमेंट फाइलों को, सम्बन्धित विभागों के व्यय शीर्षों<sup>58</sup> को नामे करके एवं शीर्ष 8670-113 (01), इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस में जमा करके, ई-कुबेर पर उपलब्ध कराएंगे। इन संव्यवहारों के लिए सिस्टम जनरेटेड रेफरेंस नंबर प्रदान किए जाएंगे। वित्त विभाग (रा.स.) द्वारा जारी परिपत्र<sup>59</sup> दिनांक 21 मार्च 2018 के अनुसार ई-कुबेर आईएफएमएस के माध्यम से ई-पेमेंट फाइलें प्राप्त करने के लिए बुनियादी सत्यापन संधारित करेगा। यदि इन बुनियादी सत्यापनों को ई-पेमेंट फाइलों द्वारा परिपूर्ण नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण ई-पेमेंट फाइलें अस्वीकार कर दी जाती हैं तथा ऐसी ई-पेमेंट फाइलों के लिए सिस्टम में कोई टी वी संख्या जनरेट नहीं की जाती है। ऐसे असफल संव्यवहारों (बिना टी वी संख्या के) की कोई रिपोर्ट राजएसएसपी पर उपलब्ध नहीं है।

अपूर्ण बिल/ भुगतान एडवाइस/ टोकन (एक ई-पेमेंट फाइल में एक से अधिक बिल/ टोकन हो सकते हैं) ई-कुबेर द्वारा अस्वीकार नहीं किये जा सकते हैं और ऐसी फाइलों के लिए, सही विवरण वाले लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है और अन्य के लिए अस्वीकार कर दिया जाता है। संव्यवहारों के निष्पादन पर, ई-कुबेर द्वारा सफल और असफल संव्यवहारों के विवरण वाला ई-स्कॉल तैयार किया जाएगा और कोषाधिकारी/ उप कोषाधिकारी/ आहरण एवं संवितरण अधिकारी को आईएफएमएस के पे मैनेजर मॉड्यूल पर उपलब्ध कराया जाएगा। कोषाधिकारी/ उप कोषाधिकारी ई-पेमेंट रिपोर्ट/ई-स्कॉल प्राप्त होने पर बिल/ भुगतान के मुख्य भाग पर टी वी

<sup>58</sup> उदाहरणार्थ सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामले में मुख्य शीर्ष 2235

<sup>59</sup> एफ.एस (टीएच-75)/डीटीए/आईएफएमएस/ई-कुबेर/21475-874 दिनांक 21 मार्च 2018

संख्या सहित भुगतान चिन्ह लगा देंगे। ऐसे असफल संव्यवहारों (टी वी संख्या सहित) के बारे में जानकारी 'पेमेंट रिटर्न डेट वाइज' रिपोर्ट के रूप में राजएसएसपी पर उपलब्ध है।

जहां लाभार्थी को पेंशन का भुगतान मनी आर्डर (म.आ.) के माध्यम से किया जा रहा है, वहां आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा संबंधित प्रधान पोस्टमॉस्टर के विभागीय स्वाते में भुगतान के लिए बिल तैयार किए जाते हैं और बिल पारित करने तथा विभागीय स्वाते में भुगतान के पश्चात् लाभार्थियों की सूची प्रधान पोस्टमॉस्टर को प्रेषित की जाती है। मनी आर्डर का वितरण संबंधित क्षेत्र के डाकपाल के माध्यम से प्रधान पोस्टमॉस्टर द्वारा किया जाता है। मनी आर्डर का वितरण नहीं होने की स्थिति में, भुगतान नहीं की गई राशि का चेक, कारणों तथा सम्बन्धित लाभार्थियों की सूची सहित सम्बन्धित कोषाधिकारी/ उपकोषाधिकारी को वापस प्रेषित कर दिया जाता है। प्रधान पोस्टमॉस्टर से प्राप्त अवितरित राशि को चालान के माध्यम से सम्बन्धित बजट मद में जमा किया जाता है।

(i) राजएसएसपी के डेटा विश्लेषण और राजएसएसपी रिपोर्ट्स की जांच से प्रकट हुआ कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कुल 20,13,94,050 संव्यवहारों में से 16,97,117 (0.84 प्रतिशत) संव्यवहारों में भुगतान असफल रहा। विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 11: असफल संव्यवहारों का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	कुल संव्यवहार	कुल संव्यवहारों में सम्मिलित राशि	असफल संव्यवहार			असफल संव्यवहारों में सम्मिलित राशि
				टी वी संख्या सहित	बिना टी वी संख्या	योग	
1	2017-18	5,33,72,434	2,984.02	3,72,621	44,699	4,17,320	24.52
2	2018-19	5,70,37,699	3,847.01	3,64,934	20,909	3,85,843	27.94
3	2019-20	6,69,28,276	5,463.66	5,86,394	1,11,977	6,98,371	58.95
4	2020-21 (जुलाई 2020 तक)	2,40,55,641	1,969.41	99,515	96,068	1,95,583	16.90
<b>योग</b>		<b>20,13,94,050</b>	<b>14,264.10</b>	<b>14,23,464</b>	<b>2,73,653</b>	<b>16,97,117</b> <b>(0.84 प्रतिशत)</b>	<b>128.31</b>


स्रोत: राजएसएसपी डेटा डंप से प्राप्त सूचना

संव्यवहारों की असफलता के विभिन्न कारणों<sup>60</sup> को नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है:

<sup>60</sup> 'अन्य कारण' – निलंबित स्वाता, गलत नाम, अधिकतम स्वाता शेष पार होना, स्टेशन से बाहर, लाभार्थी के नाम में भिन्नता आदि।



चार्ट 7



जैसा कि देखा जा सकता है कि पेंशन भुगतान की असफलता का मुख्य कारण बैंक खाते का गलत विवरण था।

(ii) फील्ड स्टडी के दौरान, चयनित 14 कोषालयों की राजएसएसपी रिपोर्ट<sup>61</sup> के विश्लेषण में पाया गया कि 1,02,338 संव्यवहार विभिन्न कारणों से लौटाए गए थे, जिनमें से ₹ 2.74 करोड़ के 36,677 (35.78 प्रतिशत) प्रकरणों को लौटाने का कारण गलत बैंक विवरण था। असफल संव्यवहारों की कोषालयवार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 12: लौटाए गए पेंशन संव्यवहारों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कोषालय/ उप कोषालय का नाम	लौटाए गए संव्यवहारों की कुल संख्या	लौटाए गए संव्यवहारों में सम्मिलित राशि
1	कोषाधिकारी अलवर	9,017	62.65
2	उपकोषाधिकारी बानसूर (अलवर)	4,035	27.13
3	कोषाधिकारी टोंक	7,457	54.45
4	उपकोषाधिकारी मालपुरा ( टोंक)	4,219	33.61
5	कोषाधिकारी अजमेर	7,625	52.55
6	उपकोषाधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	3,176	22.51
7	उपकोषाधिकारी रुपनगढ़ (अजमेर)	2,289	16.53
8	कोषाधिकारी सीकर	19,381	126.08
9	उपकोषाधिकारी दांतारामगढ़ (सीकर)	12,502	91.03
10	कोषाधिकारी दौसा	10,615	82.65
11	उपकोषाधिकारी लालसोट (दौसा)	8,733	63.40
12	उपकोषाधिकारी दुदू (जयपुर)	1,763	13.17
13	उपकोषाधिकारी सांभर (जयपुर)	7,349	50.41
14	उपकोषाधिकारी मोजमाबाद (जयपुर)	4,177	27.69
<b>योग</b>		<b>1,02,338</b>	<b>723.86</b>

स्रोत: राजएसएसपी की 'पेमेंट रिटर्न डेट वाइज रिपोर्ट'

<sup>61</sup> "पेमेंट रिटर्न डेट वाइज"


कोषाधिकारी दुदू और मोजमाबाद के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (नवम्बर 2020) कि 316 प्रकरण ऐसे थे जिनमें 01 अगस्त 2017 से 30 जून 2019 की अवधि के बीच पेंशन का भुगतान पुनः शुरू किया गया था, लेकिन सम्बन्धित लाभार्थियों को ₹ 22.50 लाख के बकाया का भुगतान अभी भी लम्बित था। विवरण **परिशिष्ट त** में दिया गया है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि लाभार्थियों के लम्बित बकाया भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अन्य चयनित कोषालयों में संधारित नहीं किए जा रहे थे। इसके अलावा, राजएसएसपी पर भी ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(iii) लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 मामलों (1.81 प्रतिशत) में जहां लाभार्थियों को मनी आर्डर के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जा रहा था, पेंशन का भुगतान बंद हो गया था। इन लाभार्थियों की राजएसएसपी पर उपलब्ध सूचना की जांच में प्रकट हुआ कि सात प्रकरणों में पेंशन बंद करने के कारण उपलब्ध नहीं थे और तीन प्रकरणों में पेंशन बंद होने के कारणों का अंकन 'गलत बैंक विवरण' के रूप में किया गया था, जबकि इन प्रकरणों में पेंशन का भुगतान मनी आर्डर के माध्यम से किया जा रहा था। विवरण **परिशिष्ट थ** में प्रदान किया गया है।

(iv) आगे के विश्लेषण में पाया गया कि पेंशन भुगतान विफलता के प्रकरणों में, लाभार्थी को भुगतान विफलता या इसके कारणों के बारे में सूचित करने के लिए तंत्र नहीं है। जब पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है तो पेंशन का भुगतान नहीं करने के कारणों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को पहले स्वीकृति प्राधिकारी या कोषालय अधिकारी से संपर्क करना पड़ता है। कुछ प्रकरणों में विशिष्ट/ सही कारण राजएसएसपी पर भी उपलब्ध नहीं है, जैसा कि ऊपर दिए लाभार्थी सर्वेक्षण के प्रकरणों में दिखाया गया है। ऐसे प्रकरणों में जहां लाभार्थी को लाभार्थी विवरण में विशिष्ट त्रुटि जैसे कि बैंक खाते का विवरण आदि के बारे में सूचित किया जाता है तो लाभार्थी को पहले ई-मित्र किओस्क के माध्यम से जन-आधार डेटाबेस में विवरण को सुधरवाना पड़ता है जिसके बाद दो स्तर पर सत्यापन किया जाता है (प्रक्रिया नीचे **चार्ट 8** में प्रदान की गयी है)।

## चार्ट 8

### लाभार्थी डेटा में संशोधन की प्रक्रिया



चूँकि जन-आधार डेटाबेस और राजएसएसपी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से जुड़े हुए हैं, संशोधित/ अद्यतन किया गया जन-आधार विवरण राजएसएसपी में उपलब्ध है लेकिन पेंशन भुगतान के पुनरारंभ के लिए राजएसएसपी में संशोधन/ अद्यतन स्वतः रूप से प्रभावी नहीं होता और लाभार्थी को स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा राजएसएसपी पर अद्यतन जन-आधार जानकारी को अनुमोदित करवाना पड़ता है। यह ध्यान देने योग्य है कि जन-आधार विवरण को अद्यतन करते समय द्वितीय स्तर का सत्यापन उसी अधिकारी द्वारा किया जाता है जो सा.न्या.एवं अधि.वि. की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए स्वीकृति प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि राजएसएसपी पर अद्यतन जन-आधार विवरण के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे लाभार्थियों के संबंध में राजएसएसपी पर रिपोर्ट/ एमआईएस का अभाव है और इसलिए, लाभार्थियों को फिर से स्वीकृति प्राधिकारी से संपर्क करने की आवश्यकता होती है जो तब राजएसएसपी डेटाबेस में जन-आधार विवरण के आवश्यक अद्यतन को अनुमोदित करते हैं। विवरण में सुधार पर पेंशन का भुगतान फिर से शुरू किया जाता है।

इसकी पुष्टि स्वंड विकास अधिकारी मालपुरा, स्वंड विकास अधिकारी बानसूर, उपकोषाधिकारी मोजमाबाद, उपकोषाधिकारी दुदू, उपस्वंड अधिकारी अजमेर और उपस्वंड अधिकारी सीकर के उत्तरों से हुई जिन्होंने अवगत कराया कि लाभार्थी को बैंक खाते के विवरण के अद्यतन हेतु स्वीकृति प्राधिकारी से संपर्क करना आवश्यक है।

इस प्रकार, राजएसएसपी में लाभार्थी को पेंशन भुगतान विफलता और उसके कारणों के बारे में एसएमएस या अन्य माध्यमों से स्वतः रूप से सूचित करने अथवा विभाग द्वारा लाभार्थी को सूचित करने के लिए कदम उठाने और विवरण में सुधार हेतु प्रयास करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। न तो दो स्तर पर सत्यापन के पश्चात् जन-आधार विवरण को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

के पुनरारंभ के लिए राजएसएसपी में स्वतः अद्यतन किया जाता है और न ही लाभार्थियों के अद्यतन और सत्यापित जन-आधार विवरण के लम्बित अनुमोदन के सम्बन्ध में राजएसएसपी में कोई रिपोर्ट है। इस तरह के प्रावधानों के अभाव में, पेंशन का भुगतान न होने के कारणों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने और विवरण में सुधार के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने का भार पूर्णतया लाभार्थी पर है।

समापन परिचर्चा के दौरान, राज्य सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2021) कि वर्तमान में पेंशनभोगी अपने बैंक विवरण को जन-आधार के माध्यम से अद्यतन कर सकता है जो 24 घंटे में राजएसएसपी पर स्वतः अद्यतन हो जाता है और इसके लिए राजएसएसपी पर किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। यह लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किया गया था (सितम्बर 2021)। परन्तु, बैंक खाते के विवरण के अलावा अन्य परिवर्तनों के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई।

जिन 316 प्रकरणों में बकाया भुगतान किए जाने थे, उनके संबंध में राज्य सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। पूछे जाने के बावजूद इस संबंध में आगे की प्रगति सूचित नहीं की गयी (दिसम्बर 2021)।

**लेखापरीक्षा उद्देश्य 4: क्या योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रभावी शिकायत निवारण सुनिश्चित किया गया**

#### 4.4 शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

मंत्रिमंडल सचिवालय (भा.स.) द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (मा.स.प्र.) के अनुसार, डीबीटी प्रकोष्ठ द्वारा लाभार्थियों की शिकायतों/ परिवेदनाओं के उचित और समयबद्ध तरीके से निपटान हेतु एक समर्पित निकाय का गठन करना आवश्यक है। यह परिकल्पित था कि विभिन्न स्तरों पर स्थापित उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र, प्रणाली के विभिन्न हितधारकों से संबंधित शिकायतों का निवारण करेंगे। पेंशन नियमों में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि न तो राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ द्वारा और न ही सा.न्या. एवं अ.वि. द्वारा शिकायत निवारण के लिए समर्पित निकाय/ प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि विभाग में कार्यरत *संपर्क*<sup>62</sup> पोर्टल एवं कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायतों का पंजीयन एवं निवारण किया जा रहा है।

<sup>62</sup> आईटी और संचार विभाग के अन्तर्गत राजस्थान *संपर्क* में राजकीय सेवाओं से संबंधित राजस्थान के नागरिकों के प्रश्नों और शिकायतों के निपटान के लिए एकीकृत वेब पोर्टल के साथ एक राज्य स्तरीय कॉल सेंटर शामिल है।

राज्य सरकार ने आगे अवगत कराया (सितम्बर 2021) कि *संपर्क* पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय के भीतर निवारण किया जाना आवश्यक है, जिसके कारण एक अलग शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की आवश्यकता नहीं है। ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निपटान के सम्बन्ध में सरकार का उत्तर मौन था। लेखापरीक्षा का मत है कि लाभार्थियों की शिकायतों/ परिवेदनाओं/ प्रश्नों के उचित और समयबद्ध तरीके से निपटान के अतिरिक्त, शिकायत निवारण तंत्र का डीबीटी प्रक्रिया में अन्य हितधारकों जैसे राज्य के कार्मिकों, बैंकों आदि की समस्याओं/शिकायतों को दूर करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, इसका गठन न केवल लम्बित शिकायतों को कम करने में सहायक होगा, बल्कि यह विभाग के लिए शिकायतों/ परिवेदनाओं/ प्रश्नों की प्रवृत्ति और प्रकृति के विश्लेषण में योजना प्रक्रियाओं के अग्रतर परिशोधन हेतु मूल्यवान जानकारी उत्पन्न करने के लिए भी सहायक होगा।

#### 4.5 राजएसएसपी पोर्टल पर पंजीकृत शिकायतों का निवारण

लाभार्थियों/ आवेदकों द्वारा सीएमओएसएसपीएस और सीएमईएनएसएसपीएस से सम्बन्धित शिकायतों को राजएसएसपी पोर्टल पर पंजीकृत कराया जा सकता है। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से सम्बन्धित शिकायतों/ परिवेदनाओं के निवारण के लिए समय-सीमा पेंशन नियम, राजएसएसपी प्रणाली और यहां तक कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, (आरजीडीपीएस) 2011 में भी प्रावधित नहीं की गई है।

प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र (12 अगस्त 2014) जारी किया जिसमें सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आरजीडीपीएस अधिनियम, 2011 के तहत आवरित नहीं की गई सेवाओं के आवेदन/ शिकायतों के निवारण के लिए अधिकतम 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, ऐसे प्रकरण जिनमें आवेदन/ शिकायत/ परिवेदना सम्बन्धित अधिकारी के अलावा अन्य प्राधिकारी को सम्बोधित की गई हो, उनमें आवेदन/ शिकायत/ परिवेदना संबंधित अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए 7 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राजएसएसपी पर प्राप्त शिकायतों की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 13: शिकायतों की वर्षवार स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	पंजीकृत शिकायतें
1	2017-2018	4,579
2	2018-2019	5,695
3	2019-2020	5,839
4	2020-2021 (जुलाई 2020 तक)	1,808
<b>योग</b>		<b>17,921</b>

स्रोत: राजएसएसपी डेटा डंप से प्राप्त सूचना

राजएसएसपी डेटा विश्लेषण में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पंजीकृत 17,921 प्रश्नों/ शिकायतों में से 8,060 (44.98 प्रतिशत) प्रश्नों/ शिकायतों का निवारण 13 जनवरी 2021 तक नहीं किया गया था (जैसा कि **परिशिष्ट द** में दिए गए स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है) और 4,746 प्रश्नों/ शिकायतों का निवारण पंजीकरण से 22 दिनों की अवधि के भीतर किया गया। शेष 5,115 (28.54 प्रतिशत) शिकायतों का निवारण 1 से 1173 दिनों के विलम्ब<sup>63</sup> से किया गया। प्रश्नों/ शिकायतों के निवारण का अवधि विश्लेषण नीचे तालिका में दिया गया है:

**तालिका 14: शिकायतों/ प्रश्नों के निवारण में विलम्ब का अवधि विश्लेषण**

क्र. सं.	दिन	शिकायतों/ प्रश्नों की संख्या
1	1-30	1247
2	31-100	1300
3	101-500	1982
4	500 से अधिक	586
<b>योग</b>		<b>5115</b>

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि लाभार्थी/ आवेदक को शिकायत पंजीकृत कराने अथवा राजएसएसपी पर इसके बाद की प्रक्रिया के सम्बन्ध में एसएमएस जैसे माध्यमों से सूचित करने की प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि चूंकि *संपर्क* पोर्टल सभी विभागों के लिए एक राज्य स्तरीय पोर्टल है, राजएसएसपी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतें आमतौर पर राजस्थान *संपर्क* पोर्टल पर भी प्राप्त होती हैं। अतः राजस्थान *संपर्क* पोर्टल पर सम्बोधित शिकायतों का निवारण राजएसएसपी पोर्टल पर स्वतः ही हो जाता है। उत्तर में आगे अवगत कराया कि शिकायत निवारण के लिए समय सीमा राजस्थान *संपर्क* पोर्टल पर निर्धारित है, राजएसएसपी में नहीं।

समापन परिचर्चा के दौरान, राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा अनुशंसा को स्वीकार किया (सितम्बर 2021) और अवगत कराया कि दोहराव से बचने के लिए एक पृथक शिकायत पंजीकरण सुविधा के बजाय राजएसएसपी पर *संपर्क* पोर्टल का लिंक दिया जा सकता है। लेखापरीक्षा (सितम्बर 2021) जाँच में पाया गया कि राजएसएसपी पर पेंशनभोगी शिकायत सुविधा<sup>64</sup> पेंशनभोगी को शिकायत दर्ज कराने या उसकी ट्रैकिंग के लिए राजस्थान *संपर्क* पोर्टल पर पुनर्निर्देशित करती है। यहां यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि लाभार्थी को *संपर्क* पोर्टल पर शिकायतों के पंजीकरण एवं निवारण के लिए एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है। लेखापरीक्षा

<sup>63</sup> विलंब की गणना  $15+7 = 22$  दिनों की समाप्ति के पश्चात् की गयी है अर्थात् शिकायत/ परिवेदना दर्ज करने के 23वें दिन से।

<sup>64</sup> RajSSP (<https://ssp.rajasthan.gov.in/>) -> Reports -> Pensioner Complaint

अनुशांसा पर आधारित उपचारात्मक कार्यवाही करने में राज्य सरकार के प्रयासों की लेखापरीक्षा सराहना करती है। परिष्कृत शिकायत निवारण तंत्र की कार्यप्रणाली को आगामी लेखापरीक्षा में सत्यापित किया जाएगा।

### **सारांश**

पेंशन भुगतान, प्रथम भुगतान तथा नियमित भुगतान सहित, पेंशन नियमों में निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किए गए थे। अधिक/ अनियमित पेंशन भुगतान की वसूलियां लम्बित थी। पेंशन भुगतान विफलताओं के निराकरण करने की प्रक्रिया सहित लाभार्थियों को ऐसी विफलताओं के सम्बन्ध में सूचित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं होने की कमियां पाई गयीं और लाभार्थियों को विवरण में सुधार हेतु अनावश्यक प्रयासों सहित एक लंबी प्रक्रिया के अधीन किया जा रहा था।

लाभार्थियों की शिकायतों/ परिवेदनाओं/ प्रश्नों पर ध्यान देने एवं समय पर निवारण के लिए न तो राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ द्वारा और न ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एक समर्पित निकाय/ प्रकोष्ठ स्थापित किया गया। राजएसएसपी पर पंजीकृत सीएमओएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस से सम्बन्धित परिवेदनाओं/ प्रश्नों के निवारण में अत्यधिक विलम्ब पाया गया। लाभार्थी/ आवेदक को शिकायत पंजीकरण और राजएसएसपी पर उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में सूचित करने हेतु कोई तंत्र नहीं था।

### **अनुशांसाएं**

#### **राज्य सरकार:**

- विलंबित भुगतान के कारणों का विश्लेषण और पेंशन नियमों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करे;
- लाभार्थियों को पेंशन भुगतान विफलता के प्रकरणों में एसएमएस जैसे माध्यमों से आवश्यक जानकारी देने के साथ सहायता प्रदान करे;
- लाभार्थी विवरण के सुधार की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कदम उठाए ताकि जन-आधार विवरण, उचित सत्यापन के बाद अद्यतन होने पर, जन-आधार से जुड़े सभी पेंशन भुगतानों के लिए स्वतः स्वीकृत हो जाएं;


- शिकायतों/ परिवेदनाओं के त्वरित और प्रभावी समाधान करने के लिए एक समर्पित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन करे।

जयपुर,  
12 अप्रैल, 2022

अनादि मिश्र  
(अनादि मिश्र)  
महालेखाकार  
(लेखापरीक्षा-1), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,  
13 अप्रैल, 2022

  
(गिरीश चंद्र मुर्मू)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट

## परिशिष्ट क

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.2.2 ख)

## जिलों, निम्न स्तर की इकाइयों और लाभार्थियों के चयन को दर्शाने वाला विवरण

(i) **जिले:** कोविड-19 के प्रसार को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र लेखापरीक्षा केवल जयपुर और निकटवर्ती जिलों तक ही सीमित रखी गई थी। इसलिए, छह जिलों अर्थात् जयपुर, दौसा, टोंक, सीकर, अजमेर और अलवर का चयन क्षेत्र लेखापरीक्षा हेतु किया गया था।

(ii) **खण्ड और ग्राम पंचायत/ वार्ड का चयन:** योजना के कार्यान्वयन तथा शहरी और ग्रामीण दोनों लाभार्थियों तक डीबीटी की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, प्रत्येक जिले में एक शहरी खण्ड और एक ग्रामीण खण्ड, जिसमें क्रमशः एक वार्ड और एक ग्राम पंचायत का चयन किया गया था। चयनित जिलों में से प्रत्येक में एक शहरी/ ग्रामीण खण्ड के साथ-साथ उन शहरी/ ग्रामीण खण्डों में क्रमशः एक वार्ड/ ग्राम पंचायत का चयन दोनों योजनाओं के उच्चतम संयुक्त कुल व्यय के आधार पर किया गया था। अग्रेत्तर, उपरोक्त के अलावा, फील्ड स्टडी के दौरान सम्बन्धित खण्ड, वार्ड, ग्राम पंचायत के कोषालय/ उप कोषालय कार्यालयों की भी लेखापरीक्षा की गई थी। जिलों, खण्डों और वार्ड/ ग्राम पंचायत के चयन का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	जिला	खण्ड	शहरी/ ग्रामीण	ग्राम पंचायत/ वार्ड	सम्बन्धित कोषालय कार्यालय (को.का.)/ उप कोषालय कार्यालय (उ.को.का.)
1	अजमेर	किशनगढ़	ग्रामीण	रूपनगढ़	उ.को.का. किशनगढ़
					उ.को.का. रूपनगढ़
		अजमेर	शहरी	अजमेर	को.का. अजमेर
2	अलवर	बानसूर	ग्रामीण	बानसूर	उ.को.का. बानसूर
		अलवर	शहरी	वार्ड 42	को.का. अलवर
3	दौसा	लालसोट	ग्रामीण	डीडवाना	उ.को.का. लालसोट
		दौसा	शहरी	दौसा	को.का. दौसा
4	जयपुर	दुदू	ग्रामीण	नारायणा	उ.को.का. दुदू
					उ.को.का. मोजमाबाद
					उ.को.का. सांभर
		जोबनेर	शहरी	वार्ड 07	उ.को.का. सांभर
5	सीकर	दांतारामगढ़	ग्रामीण	दांता	उ.को.का. दांतारामगढ़
		सीकर	शहरी	वार्ड 45	को.का. सीकर
6	टोंक	मालपुरा	ग्रामीण	पचेवर	उ.को.का. मालपुरा
		टोंक	शहरी	वार्ड 19	को.का. टोंक
योग	6	12		12	14

(iii) **सर्वेक्षण हेतु लाभार्थियों का चयन:** कोविड -19 महामारी द्वारा लाभार्थियों को प्रश्नावली देने में अधिरोपित सीमाओं के कारण प्रत्येक योजना के लिए प्रति जिले से 40 लाभार्थियों का चयन किया गया। लाभार्थियों का चयन सरल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट (एसआरएसडब्ल्यूओआर) आधार पर किया गया।

अतः प्रत्येक योजना के लिए अपने स्वातंत्र्य में पेंशन प्राप्त करने वाले कुल 240 लाभार्थियों का चयन किया गया।

इन लाभार्थियों के चयन के मापदंडों के सम्बन्ध में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण से शहरी आबादी का अनुपात<sup>65</sup> लगभग 3:1 था। इसलिए, प्रत्येक जिले में चयनित इन 40 लाभार्थियों में से 30 ग्रामीण क्षेत्रों से और 10 शहरी क्षेत्रों से चुने गए थे अर्थात् प्रत्येक योजना के लिए प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत से 30 लाभार्थियों और प्रत्येक चयनित वार्ड से 10 लाभार्थियों को यादृच्छिक/रैंडम रूप से चुना गया था।

उपरोक्त अपने बैंक खातों में पेंशन प्राप्त कर रहे 480 लाभार्थियों (प्रति योजना 240 लाभार्थी) के अलावा चयनित ग्राम पंचायत/ वार्ड से मनी आर्डर (म.आ.) के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे 72 लाभार्थियों (सीएमओएएसपीएस:45, सीएमईएनएसपीएस:27) का भी चयन म.आ. के माध्यम से पेंशन भुगतान की प्रक्रिया की जाँच की लिए किया गया था।

---

<sup>65</sup> जनगणना 2011 के अनुसार

राजस्थान की कुल जनसंख्या = 68,548,437

ग्रामीण जनसंख्या = 51,500,352

शहरी जनसंख्या = 17,048,085

## परिशिष्ट ख

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.2.2 (ग))

डेटा डंप का विश्लेषण करते समय उपयोग किए गए फिल्टर और तालिकाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	तालिका का नाम	कार्य विवरण	टिप्पणी	अनुच्छेद का विषय
1.	1. एसएसपी पेमेंट रिकवरी 2. एसएसपी पेंशनर एमएसटी	“ऐप आईडी” से जुड़ा हुआ निम्नलिखित फिल्टर लागू किया गया: “सोशल स्कीम आईडी”- 1,3,13,14,17,18 “रिमैनिंग आरसीवी एएमटी” - ‘0’ से अधिक	ऐप आईडी कॉलम द्वारा ‘एसएसपी पेमेंट रिकवरी’ तालिका को ‘एसएसपी पेंशनर एमएसटी’ तालिका के साथ जोड़ा गया है। फिर चयनित योजनाओं से सम्बन्धित डेटा प्राप्त करने के लिए “सोशल स्कीम आईडी” फिल्टर का उपयोग किया गया और 1- सीएमडब्ल्यूपीएस, 13- सीएमडब्ल्यूपीएस-एससी, 14- सीएमडब्ल्यूपीएस-एसटी, 3- सीएमओएपीएस, 17- सीएमओएपीएस-एससी, 18 सीएमओएपीएस का चयन किया गया। उसके पश्चात् फिल्टर का उपयोग “रिमैनिंग आरसीवी एएमटी” कॉलम में रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए किया गया जिसमें शेष वसूली हैं और ‘0’ से अधिक सभी मानों का चयन किया गया है।	सीएमओए-एसपीएस और सीएमईएन-एसपीएस के अंतर्गत पेंशन का भुगतान (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 4.2)
2.	1. एसएसपी पेंशनर एमएसटी	ऐप डेट (आवेदन तिथि) और सैंकशन डेट (स्वीकृति तिथि) की गणना में अंतर-45 दिन लागू फिल्टर “ऐप डेट”- 01.04.2017 से 31.07.2020 “सोशल स्कीम आईडी”- 1,3,13,14,17,18 “सैंकशन नंबर” - शून्य नहीं “ऐप डेट और सैंकशन डेट में अंतर” 45 दिनों से अधिक है।	कॉलम ‘सोशल स्कीम आईडी’ में फिल्टर का उपयोग किया गया है और 1-सीएमडब्ल्यूपीएस, 13 सीएमडब्ल्यूपीएस-एससी, 14- सीएमडब्ल्यूपीएस-एसटी, 3- सीएमओएपीएस, 17- सीएमओएपीएस-एससी, 18 सीएमओएपीएस का चयन किया गया। उसके पश्चात् 01.04.2017 से 31.07.2020 की अवधि के रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए कॉलम ‘ऐप डेट’ में फिल्टर का उपयोग किया गया है। फिर सभी स्वीकृत आवेदन प्राप्त करने के लिए ‘सैंकशन नंबर’ को फिल्टर किया गया। उसके पश्चात् ऐप डेट और सैंकशन डेट के बीच अंतर की गणना की गई है तथा उन सभी रिकॉर्ड को फिल्टर किया गया है जहां ऐप डेट और सैंकशन डेट के बीच का अंतर 45 दिनों से अधिक है।	आवेदनों की स्वीकृति (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 2.2)
3.	1. एसएसपी पेंशनर एमएसटी	डीओबी (जन्म तिथि) और ऐप डेट के बीच अंतर की गणना (वर्षों में) निम्नलिखित फिल्टर लागू किया गया: “सोशल स्कीम” -3,17,18 “जेंडर”-1,2 “ डीओबी -ऐप डेट के बीच अंतर” - 55 और 58 से कम “सैंकशन नंबर”-शून्य नहीं “ऐप डेट”- 01.04.2017 से 31.07.2020”	डीओबी और ऐप डेट के बीच अंतर की गणना (वर्षों में) की गयी है। फिर निम्नलिखित फिल्टर लागू किए गए हैं जहां “सोशल स्कीम आईडी” 3- सीएमओएपीएस, 17- सीएमओएपीएस-एससी, 18- सीएमओएपीएस-एसटी और “जेंडर” 1 महिला तथा “सैंकशन नंबर” - शून्य नहीं है और “ऐप डेट”- 01.04.2017 से 31.07.2020 और “ डीओबी और ऐप डेट के बीच अंतर” - 55 से कम चयनित (उन महिला आवेदकों के रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए जिनके आवेदन न्यूनतम आयु मानदंड प्राप्त किए बिना स्वीकार किये गये थे) इसके अतिरिक्त, जहां “सोशल स्कीम आईडी” 3- सीएमओएपीएस, 17- सीएमओएपीएस-एससी, 18- सीएमओएपीएस-एसटी और “जेंडर” 2 (पुरुष) है और “स्वीकृति संख्या- शून्य नहीं है और” ऐप दिनांक- 01.04.2017 से 31.07.2020 और “ डीओबी और ऐप डेट के बीच अंतर” - 58 से कम (उन पुरुष आवेदकों के रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए जिनकी पेंशन न्यूनतम आयु मानदंड प्राप्त किए बिना स्वीकृत की गई थी)	वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 2.4)
4.	1. एसएसपी पेंशनर एमएसटी 2. एसएसपी पेंशनर सर्टिफिकेट डिटेल्स	“ऐप आईडी” से जुड़ा हुआ निम्नलिखित फिल्टर लागू किया गया “सोशल स्कीम”-1,13,14 “मैरिटल स्टेटस” 1,2,3 “जेंडर”-1 (महिला)	“ऐप आईडी” द्वारा “एसएसपी पेंशनर एमएसटी” तालिका को “एसएसपी पेंशनर सर्टिफिकेट डिटेल्स” तालिका के साथ जोड़ा गया है। निम्नलिखित फिल्टर लागू किए गए हैं जहां “सोशल स्कीम आईडी” 1-सीएमडब्ल्यूपीएस, 13 सीएमडब्ल्यूपीएस-एससी, 14- सीएमडब्ल्यूपीएस-एसटी, और “जेंडर” 1 (महिला) है, वैवाहिक स्थिति 1-तलाक, 2-विधवा और 3- परित्यक्ता है, “सैंकशन डेट” 01.04.2017 से	एकलनारी पेंशन की स्वीकृति (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 2.3)

क्र. सं.	तालिका का नाम	कार्य विवरण	टिप्पणी	अनुच्छेद का विषय
		“सैंकशन डेट” 01.04.2017 से 31.07.2020 “हज्बैंड डाइवोर्स इस्सुइंग ऑथोरिटी”- शून्य, अंकीय, विशेष मान	31.07.2020 और “हज्बैंड डाइवोर्स इस्सुइंग ऑथोरिटी” या तो शून्य, अंकीय अथवा कोई विशेष अक्षर है।	
5.	1. एसएसपी पेंशनर एमएसटी	31.07.2020 को आयु की गणना  निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किया गया: “जेंडर” - 1 (महिला), “मैरिटल स्टेटस” 1,2,3, (विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता) “सैंकशन नं.” - शून्य नहीं  “स्टॉप डेट”-1.1.1900 (डिफ़ॉल्ट रूप से) जहां पेंशन बंद नहीं हुई “सोशल स्कीम आईडी” - (3,17,18) “आयु की गणना 31.07.2020 को की गई” - 75 से ऊपर की आयु, 60-74 के बीच की आयु	“डीओबी कॉलम” का उपयोग करके आयु की गणना 31.07.2020 को की गई है। सीएमओएपीएस में पेंशन प्राप्त करने वाली महिला लाभार्थियों का रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए, जिनकी वैवाहिक स्थिति विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा है, निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किए गए हैं जहां “सोशल स्कीम आईडी” 3-सीएमओएपीएस, 17- सीएमओएपीएस-एससी, 18- सीएमओएपीएस-एसटी और “जेंडर” 1 (महिला) है और वैवाहिक स्थिति 1-तलाकशुदा, 2-विधवा, 3-परित्यक्ता और “सैंकशन नं.” शून्य नहीं है और “स्टॉप डेट” 1.1.1900 है (डिफ़ॉल्ट तिथि से जहां पेंशन बंद नहीं हुई है)। इसके अलावा, 31.07.2020 को आयु के आधार पर महिला लाभार्थियों को विभाजित करने के लिए फ़िल्टर लागू किया गया और 75 से ऊपर की आयु और 60-74 के बीच की आयु वाले रिकॉर्ड को अलग किया गया।	लाभार्थियों को भुगतान की गई पेंशन की दरें (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 2.7)
6.	1. एसएसपी पेंशनर क्वेरी 2. एसएसपी पेंशनर एमएसटी	एप आईडी और क्वेरी डेट (प्रश्न तिथि) तथा सोल्यूशन डेट में अन्तर की गणना के साथ जुड़ाव के बाद फ़िल्टर लागू किया गया: “सोल्यूशन”- शून्य “डिस्क्रिप्शन” - शून्य नहीं क्वेरी डेट और समाधान तिथि में अंतर- “22” से ऊपर “क्वेरी डेट”- 01.04.2017 से 31.07.2020 “सोशल स्कीम आईडी” - 1,3,13,14,17,18	एप आईडी द्वारा एसएसपी पेंशनर क्वेरी तालिका को एसएसपी पेंशनर एमएसटी के साथ जोड़ा गया और निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किए गए: जहां “सोशल स्कीम आईडी” 3-सीएमओएपीएस, 17- सीएमओएपीएस-एससी, 18- सीएमओएपीएस-एसटी है। 1- सीएमडब्ल्यूपीएस, 13 सीएमडब्ल्यूपीएस-एससी, 14- सीएमडब्ल्यूपीएस-एसटी और “क्वेरी डेट” 01.04.2017 से 31.07.2020 है। उसके पश्चात्, 1. जहां विवरण शून्य है वहां शून्य प्रश्नों का रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए “डिस्क्रिप्शन” फ़िल्टर का उपयोग किया गया है। 2. जहां पेंशनभोगियों के प्रश्नों का समाधान नहीं किया गया है और समाधान शून्य है, का रिकॉर्ड प्राप्त कराने के लिए फ़िल्टर का उपयोग किया गया है। 3. प्रश्नों के समाधान हेतु लिए गए दिनों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्वेरी डेट और सोल्यूशन डेट के बीच अंतर की गणना की गई है और जहां अंतर 22 दिनों से अधिक है, का रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए फ़िल्टर लागू किया गया है।	शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 4.4)
7.	1. एसएसपी पेंशनर एमएसटी 2. एसएसपी पेंशनर पेमेंट 3. एसएसपी बिल एन्ट्री	“एप आईडी” के द्वारा एसएसपी पेंशनर एमएसटी को एसएसपी पेंशनर पेमेंट के साथ जोड़ा गया तथा “रेफेरेंस नं.” के द्वारा एसएसपी पेंशनर पेमेंट को एसएसपी बिल एन्ट्री के साथ जोड़ा गया। फ़िल्टर लागू किया गया: “सोशल स्कीम आईडी”- 1,3,13,14,17,18 भुगतान माह और भुगतान वर्ष 04-2017 से 07-2020 बिल प्रकार- “2” (प्रथम भुगतान) स्वीकृति दिनांक +4	एप आईडी द्वारा “एसएसपी पेंशनर पेमेंट” तालिका को “एसएसपी पेंशनर एमएसटी” तालिका के साथ और “रेफेरेंस नं.” द्वारा “एसएसपी बिल एन्ट्री” तालिका के साथ जोड़ा गया है। निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किए गए: जहां “सोशल स्कीम आईडी” 3-सीएमओएपीएस, 17- सीएमओएपीएस-एससी, 18- सीएमओएपीएस-एसटी 1-सीएमडब्ल्यूपीएस, 13 सीएमडब्ल्यूपीएस-एससी, 14- सीएमडब्ल्यूपीएस-एसटी और भुगतान माह तथा वर्ष 4-2017 से 7-2020 तक और बिल प्रकार 2 (प्रथम भुगतान) है। इसके अलावा, सैंकशन डेट +4 दिन और टीवी तिथि के बीच अंतर की गणना की गई है और सभी रिकॉर्ड जहां अंतर 1 दिन से अधिक है, का चयन किया गया है।	पेंशन का समय पर भुगतान (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 4.1)

क्र. सं.	तालिका का नाम	कार्य विवरण	टिप्पणी	अनुच्छेद का विषय
		और टीवी दिनांक- '1' दिन से अधिक में अंतर		
8.	1. एसएसपी पेंशनर एमएसटी 2. एसएसपी पेंशनर पेमेंट 3. एसएसपी बिल एन्ट्री	“ऐप आईडी” के द्वारा एसएसपी पेंशनर एमएसटी को एसएसपी पेंशन पेमेंट के साथ जोड़ा गया तथा “रेफेरेंस नं.” के द्वारा एसएसपी पेंशन पेमेंट को एसएसपी बिल एन्ट्री के साथ जोड़ा गया। फ़िल्टर लागू किया गया: “टीवी नं.” – शून्य “सोशल स्कीम आईडी”- 1,3,13,14,17,18 “भुगतान माह और भुगतान वर्ष-04-2017 से 07-2020	ऐप आईडी द्वारा “एसएसपी पेंशन पेमेंट” तालिका को “एसएसपी पेंशनर एमएसटी” तालिका के साथ तथा “रेफेरेंस नं.” द्वारा “एसएसपी बिल एन्ट्री” तालिका के साथ जोड़ा गया है। निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किए गए: जहां “सोशल स्कीम आईडी” 3-सीएमओएपीएस, 17- सीएमओएपीएस-एससी, 18- सीएमओएपीएस-एसटी 1-सीएमडब्ल्यूपीएस, 13 सीएमडब्ल्यूपीएस-एससी, 14- सीएमडब्ल्यूपीएस-एसटी और भुगतान माह तथा भुगतान वर्ष 4-2017 से 7-2020 तक तथा “टीवी नं.” शून्य है।	पेंशन भुगतान के विफलता के निवारण की प्रक्रिया (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 4.3)
9.	1. एसएसपी पेंशनर एमएसटी 2. एसएसपी पेंशनर पेमेंट 3. एसएसपी बिल एन्ट्री	“ऐप आईडी” के द्वारा एसएसपी पेंशनर एमएसटी को एसएसपी पेंशन पेमेंट के साथ जोड़ा गया तथा “रेफेरेंस नं.” के द्वारा एसएसपी पेंशन पेमेंट को एसएसपी बिल एन्ट्री के साथ जोड़ा गया। फ़िल्टर लागू किया गया: “सोशल स्कीम आईडी”- 1,3,13,14,17,18 “बिल टाइप;-1” (नियमित भुगतान) “पेमेंट ड्यू डेट” तथा “टीवी डेट” में अंतर (भुगतान की देय तिथि आगामी माह की 7वीं तारीख के रूप में सृजित की गई है) - '1' दिन से अधिक “भुगतान माह और भुगतान वर्ष 04-2017 से 07-2020	ऐप आईडी द्वारा “एसएसपी पेंशन पेमेंट” तालिका को “एसएसपी पेंशनर एमएसटी” तालिका के साथ तथा “रेफेरेंस नं.” द्वारा “एसएसपी बिल एन्ट्री” तालिका के साथ जोड़ा गया है। निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किए गए: जहां “सोशल स्कीम आईडी” 3-सीएमओएपीएस, 17- सीएमओएपीएस-एससी, 18- सीएमओएपीएस-एसटी 1-सीएमडब्ल्यूपीएस, 13 सीएमडब्ल्यूपीएस-एससी, 14- सीएमडब्ल्यूपीएस-एसटी और भुगतान माह तथा भुगतान वर्ष 4-2017 से 7-2020 तक तथा बिल प्रकार 1 (नियमित भुगतान) है। इसके अलावा, भुगतान की देय तिथि की गणना आगामी माह के 7वें दिन के रूप में की गई है और भुगतान की देय तिथि और टीवी तिथि के बीच अंतर की गणना की गई है और सभी रिकॉर्ड जहां अंतर 1 दिन से अधिक है, का चयन किया गया है।	पेंशन का समय पर भुगतान (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 4.1)
10.	1. एसएसपी पेंशनर एमएसटी 2. एसएसपी पेंशनर पेमेंट 3. एसएसपी पेंशन रिटर्नड	“ऐप आईडी” के द्वारा एसएसपी पेंशनर एमएसटी को एसएसपी पेंशन पेमेंट के साथ जोड़ा गया तथा “पे आईडी” के द्वारा एसएसपी पेंशन रिटर्नड को एसएसपी पेंशन रिटर्नड के साथ जोड़ा गया। फ़िल्टर लागू किया गया: “सोशल स्कीम आईडी”- 1,3,13,14,17,18 “भुगतान माह और वर्ष 01.04.2017 से 31.07.2020 तक”	ऐप आईडी द्वारा “एसएसपी पेंशन पेमेंट” तालिका को “एसएसपी पेंशनर एमएसटी” तालिका के साथ तथा “पे आईडी” द्वारा “एसएसपी पेंशन रिटर्नड” तालिका के साथ जोड़ा गया है। निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किए गए: जहां “सोशल स्कीम आईडी” 3-सीएमओएपीएस, 17- सीएमओएपीएस-एससी, 18- सीएमओएपीएस-एसटी 1-सीएमडब्ल्यूपीएस, 13 सीएमडब्ल्यूपीएस-एससी, 14- सीएमडब्ल्यूपीएस-एसटी और भुगतान माह तथा भुगतान वर्ष 4-2017 से 7-2020 तक है।	पेंशन भुगतान के विफलता के निवारण की प्रक्रिया (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 4.3)
11.	1. एसएसपी अदर डॉक एमएसटी 2. एसएसपी पेंशनर एमएसटी	“ऐप आईडी” से जुड़ा निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किया गया यूआईडी नं. - शून्य जनाधार आईडी - शून्य भामाशाह नं. - शून्य ऐप आईडी- 1,3,13,14,17,18	ऐप आईडी द्वारा “एसएसपी पेंशनर एमएसटी” तालिका को “एसएसपी अदर डॉक एमएसटी” तालिका के साथ जोड़ा गया है और निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किए गए:- जहां “सोशल स्कीम आईडी” 3-सीएमओएपीएस, 17- सीएमओएपीएस-एससी, 18- सीएमओएपीएस-एसटी, 1-सीएमडब्ल्यूपीएस, 13 सीएमडब्ल्यूपीएस-एससी, 14- सीएमडब्ल्यूपीएस-एसटी और आवेदन स्टेटस 15 (नियमित पेंशनर) है तथा यूआईडी	भामाशाह/ जन-आधार/ आधार संख्या का विवरण (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 2.8)

क्र. सं.	तालिका का नाम	कार्य विवरण	टिप्पणी	अनुच्छेद का विषय
		एप्लीकेशन स्टेटस-15 स्वीकृति दिनांक- 01.04.2017 से 31.07.2020	शून्य है, जनाधार आईडी नं. शून्य है और भामाशाह नं. शून्य है। स्वीकृति दिनांक- 01.04.2017 से 31.07.2020	
12.	1. एसएसपी पेमेंट रिकवरी 2. एसएसपी पेंशनर एमएसटी	“एप आईडी” से जुड़ा निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किया गया “सोशल स्कीम आईडी” - 1,3,13,14,17,18 “रिमैनिंग आरसीवी एएमटी” - ‘0’ से ऊपर और फ़िल्टर “रिकवरी रीजन” लागू किया गया और अंकीय तथा संख्या मान का चयन किया गया।	एप आईडी कॉलम द्वारा ‘एसएसपी पेमेंट रिकवरी’ तालिका को ‘एसएसपी पेंशनर एमएसटी’ के साथ जोड़ा गया। फिर चयनित योजनाओं से सम्बन्धित डेटा प्राप्त करने के लिए कॉलम “सोशल स्कीम आईडी” में फ़िल्टर का उपयोग किया गया और 1-सीएमडब्ल्यूपीएस, 13 सीएमडब्ल्यूपीएस-एससी, 14- सीएमडब्ल्यूपीएस-एसटी, 3-सीएमओपीएस, 17- सीएमओपीएस-एससी, 18- सीएमओपीएस-एसटी का चयन किया गया। उसके पश्चात्, “रिमैनिंग आरसीवी एएमटी” कॉलम में फ़िल्टर लागू किया गया ताकि उन रिकॉर्डों को प्राप्त किया जा सके जिनमें शेष वसूली है और ‘0’ से अधिक के सभी मूल्यों का चयन किया गया और अंकीय तथा संख्या मूल्य के रिकॉर्ड्स का चयन करने के लिए “रिकवरी रीजन” पर फ़िल्टर लागू किया गया।	राजएसएसपी में एप्लीकेशन कन्ट्रोल (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 2.10.5)
13.	1. एसएसपी पेंशनर क्वेरी 2. एसएसपी पेंशनर एमएसटी	एप आईडी द्वारा एसएसपी पेंशनर क्वेरी तालिका को एसएसपी पेंशनर एमएसटी के साथ जोड़ा गया तथा फ़िल्टर लागू किया गया:  “क्वेरी डेट”- 01.04.2017 से 31.07.2020 “सोशल स्कीम आईडी” - 1,3,13,14,17,18 “सोल्यूशन” - निरर्थक मूल्यों का चयन	एप आईडी द्वारा एसएसपी पेंशनर क्वेरी तालिका को एसएसपी पेंशनर एमएसटी के साथ जोड़ा गया तथा निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किए गए:- जहां “सोशल स्कीम आईडी” 3-सीएमओपीएस, 17- सीएमओपीएस-एससी, 18- सीएमओपीएस-एसटी, 1-सीएमडब्ल्यूपीएस, 13 सीएमडब्ल्यूपीएस-एससी, 14- सीएमडब्ल्यूपीएस-एसटी और “क्वेरी डेट” 01.04.2017 से 31.07.2020 तक है। उसके पश्चात्, निरर्थक मान वाले रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए “सोल्यूशन” फ़िल्टर का उपयोग किया गया और निरर्थक मानों का चयन किया गया।	राजएसएसपी में एप्लीकेशन कन्ट्रोल (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 2.10.5)
14.	1. एसएसपी किओस्क ऐप आरईसी वेरिफिकेशन 2. एसएसपी पेंशनर एमएसटी	एप आईडी द्वारा एसएसपी किओस्क ऐप आरईसी वेरिफिकेशन तालिका को एसएसपी पेंशनर एमएसटी के साथ जोड़ा गया तथा फ़िल्टर लागू किया गया:  “ऐप डेट”- 01.04.2017 से 31.07.2020 “सोशल स्कीम आईडी” - 1,3,13,14,17,18 तथा “वेरीफाई रिमार्क” - निरर्थक मूल्यों का चयन	एप आईडी द्वारा एसएसपी किओस्क ऐप आरईसी वेरिफिकेशन तालिका को एसएसपी पेंशनर एमएसटी के साथ जोड़ा गया तथा निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किए गए:- जहां “सोशल स्कीम आईडी” 3-सीएमओपीएस, 17- सीएमओपीएस-एससी, 18- सीएमओपीएस-एसटी, 1-सीएमडब्ल्यूपीएस, 13 सीएमडब्ल्यूपीएस-एससी, 14- सीएमडब्ल्यूपीएस-एसटी और “ऐप डेट” 01.04.2017 से 31.07.2020 तक है। उसके पश्चात्, “वेरीफाई रिमार्क” कॉलम में निरर्थक मान वाले रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए फ़िल्टर का उपयोग किया गया और निरर्थक मानों का चयन किया गया।	राजएसएसपी में एप्लीकेशन कन्ट्रोल (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 2.10.5)
15.	1. एसएसपी पेंशनर सर्टिफिकेट 2. एसएसपी पेंशनर एमएसटी	एप आईडी द्वारा एसएसपी पेंशनर सर्टिफिकेट तालिका को एसएसपी पेंशनर एमएसटी के साथ जोड़ा गया तथा फ़िल्टर लागू किया गया:  “ऐप डेट”- 01.04.2017 से 31.07.2020 “सोशल स्कीम आईडी” - 1,3,13,14,17,18 तथा “हज्बैंड डाइवोर्स इस्सुइंग ऑथोरिटी”, “ऐज इस्सुइंग ऑथोरिटी”, “ऐज इस्सुइंग	एप आईडी द्वारा एसएसपी पेंशनर सर्टिफिकेट तालिका को एसएसपी पेंशनर एमएसटी के साथ जोड़ा गया तथा निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किए गए: जहां “सोशल स्कीम आईडी” 3-सीएमओपीएस, 17- सीएमओपीएस-एससी, 18- सीएमओपीएस-एसटी, 1-सीएमडब्ल्यूपीएस, 13 सीएमडब्ल्यूपीएस-एससी, 14- सीएमडब्ल्यूपीएस-एसटी और “ऐप डेट” 01.04.2017 से 31.07.2020 तक है। उसके पश्चात्, असंगत मान वाले रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए “हज्बैंड डाइवोर्स इस्सुइंग ऑथोरिटी”, “ऐज इस्सुइंग ऑथोरिटी” फ़िल्टर का उपयोग किया गया और असंगत मानों का चयन किया गया।	राजएसएसपी में एप्लीकेशन कन्ट्रोल (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 2.10.5)

क्र. सं.	तालिका का नाम	कार्य विवरण	टिप्पणी	अनुच्छेद का विषय
		ऑथोरिटी" - निरर्थक मूल्यां का चयन		
16.	1. एसएसपी पेंशनर एमएसटी 2. एसएसपी विलेज एमएसटी 3. एसएसपी डॉक् एमएसटी	1. विलेज आईडी द्वारा एसएसपी पेंशनर एमएसटी तालिका को एसएसपी विलेज एमएसटी के साथ जोड़ा गया तथा फ़िल्टर लागू किया गया: “ऐप डेट”- 01.04.2017 से 31.07.2020 “सोशल स्कीम आईडी” - 1,3,13,14,17,18 “सैंकशन नं. - शून्य मूल्य नहीं” और “पिनकोड” में - शून्य 2. ऐप आईडी द्वारा एसएसपी पेंशनर एमएसटी तालिका को एसएसपी डॉक् एमएसटी के साथ जोड़ा गया तथा फ़िल्टर लागू किया गया: “ऐप डेट”- 01.04.2017 से 31.07.2020 “सोशल स्कीम आईडी” - 1,3,13,14,17,18 “सैंकशन नं. - शून्य मूल्य नहीं” और “ऐन्युअल इनकम” - शून्य	1. विलेज आईडी द्वारा एसएसपी विलेज एमएसटी तालिका को एसएसपी पेंशनर एमएसटी के साथ जोड़ा गया तथा निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किए गए: जहां “सोशल स्कीम आईडी” 3-सीएमओपीएस-एससी, 17- सीएमओपीएस-एससी, 18- सीएमओपीएस-एसटी, 1-सीएमडब्ल्यूपीएस, 13 सीएमडब्ल्यूपीएस-एससी, 14- सीएमडब्ल्यूपीएस-एसटी और “ऐप डेट” 01.04.2017 से 31.07.2020 तक है तथा “सैंकशन नं.” - शून्य मूल्य नहीं और “पिनकोड” - शून्य मूल्य है। 2. ऐप आईडी द्वारा एसएसपी डॉक् एमएसटी तालिका को एसएसपी पेंशनर एमएसटी के साथ जोड़ा गया तथा निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किए गए: जहां “सोशल स्कीम आईडी” 3-सीएमओपीएस, 17- सीएमओपीएस-एससी, 18- सीएमओपीएस-एसटी, 1-सीएमडब्ल्यूपीएस, 13 सीएमडब्ल्यूपीएस-एससी, 14- सीएमडब्ल्यूपीएस-एसटी और “ऐप डेट” 01.04.2017 से 31.07.2020 तक है तथा “सैंकशन नं.” - शून्य मूल्य नहीं और “ऐन्युअल इनकम” - शून्य मूल्य है।	राजएसएसपी में एप्लीकेशन कन्ट्रोल (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 2.10.5)
17.	1. एसएसपी पेंशनर एमएसटी 2. एसएसपी किओस्क टोकन डिटेल्स	ऐप आईडी द्वारा एसएसपी पेंशनर एमएसटी तालिका को एसएसपी किओस्क टोकन डिटेल्स के साथ जोड़ा गया। “एसएसपी किओस्क टोकन डिटेल्स” और “सैंकशन डेट” की ट्रांस तिथि में अंतर फ़िल्टर लागू किया गया: “ट्रांस डेट ऑफ़ एसएसपी किओस्क टोकन डिटेल्स” - 01.04.2017 से 31.07.2020 “सोशल स्कीम आईडी” - 1,3,13,14,17,18 “सैंकशन नंबर” - शून्य मूल्य नहीं “एसएसपी किओस्क टोकन डिटेल्स और सैंकशन डेट” की ट्रांस तिथि में अंतर” 45 दिनों से अधिक है।	ऐप आईडी द्वारा एसएसपी पेंशनर एमएसटी तालिका को एसएसपी किओस्क टोकन डिटेल्स के साथ जोड़ा गया तथा कॉलम ‘सोशल स्कीम आईडी’ में फ़िल्टर का उपयोग (1- सीएमडब्ल्यूपीएस, 13 सीएमडब्ल्यूपीएस-एससी, 14- सीएमडब्ल्यूपीएस-एसटी, 3-सीएमओपीएस, 17- सीएमओपीएस-एससी, 18- सीएमओपीएस-एसटी) योजनाओं का चयन करने के लिए किया गया। उसके पश्चात् 01.04.2017 से 31.07.2020 की अवधि का रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए कॉलम “ट्रांस डेट ऑफ़ एसएसपी किओस्क टोकन डिटेल्स” में फ़िल्टर का उपयोग किया गया। फिर सभी स्वीकृत आवेदन प्राप्त करने के लिए ‘सैंकशन नं. एक शून्य मूल्य नहीं है’ फ़िल्टर किया गया। फिर ट्रांस डेट ऑफ़ एसएसपी किओस्क टोकन डिटेल्स और सैंकशन डेट के बीच अंतर की गणना की गई और उन सभी रिकार्ड्स को फ़िल्टर किया गया जहां ट्रांस तिथि और सैंकशन डेट के बीच का अंतर 45 दिनों से अधिक था।	आवेदनों की स्वीकृति (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 2.2)

## लेखापरीक्षा के दौरान राजएसएसपी रिपोर्ट को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	रिपोर्ट का नाम	कार्य विवरण	टिप्पणी	अनुच्छेद का विषय
1	पब्लिक सर्विस गारंटी रिपोर्ट	चयनित योजनाओं से सम्बन्धित रिपोर्ट्स प्राप्त की गई। एप्लीकेशन डेट तथा सैंकशन डेट में अंतर की गणना की गई, उसके पश्चात्		आवेदनों की स्वीकृति (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 2.2)



		रिकाइर्स को फ़िल्टर किया गया जहां अंतर 45 दिनों से अधिक है।		
2	पोस्ट ऑडिट रिकवरी एएमटी ऐप्टर कैन्सलड ऑटो सैंकशंड	रिपोर्ट्स प्राप्त की गई तथा चयनित योजनाओं से सम्बन्धित रिकाइर्स फ़िल्टर किए गए।		स्वतः स्वीकृत आवेदनों की पश्च-लेखापरीक्षा (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 2.6)
3	बिल समरी टीवी डेट वाइज	रिपोर्ट्स प्राप्त की गई तथा चयनित योजनाओं के रिकाइर्स जहाँ टीवी की तारीख माह की 7वीं तारीख से अधिक है, को फ़िल्टर किया गया। इसके अलावा, जहां बिल की तारीख 25 तारीख से कम है वहां के तैयार किए गए विलम्बित बिलों का रिकाइर्स प्राप्त करने के लिए फ़िल्टर लागू किए गए।		पेंशन का समय पर भुगतान (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 4.1)
4	पेमेंट रिटर्न डेट वाइज	रिपोर्ट्स प्राप्त की गई तथा चयनित योजनाओं से सम्बन्धित रिकाइर्स फ़िल्टर किए गए।		पेंशन भुगतान विफलता के निवारण की प्रक्रिया (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 4.3)
5	स्टेटस ऑफ़ ऑटो वेरीफाई ऑर सैंकशंड ऐप्केशन	रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया गया		स्वतः स्वीकृत आवेदनों की पश्च-लेखापरीक्षा (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 2.6)
6	ब्लॉक वाइज ब्लॉक भामाशाह ऑर आधार नंबर	रिपोर्ट्स प्राप्त की गई तथा चयनित योजनाओं का रिकाइर्स जहाँ भामाशाह और आधार उपलब्ध नहीं हैं, फ़िल्टर किया गया।		भामाशाह/ जन-आधार/ आधार संख्या का विवरण (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 2.8)
7	ओएपी-7 तथा 'एससर्विस गारंटी रिपोर्ट'	राजएसएसपी की दो रिपोर्ट में प्रथम भुगतान तिथियों की जानकारी का बेमेल होना		राजएसएसपी में एप्लीकेशन कन्ट्रोल (सन्दर्भ अनुच्छेद संख्या 2.10.5)

डेटा डंप के विश्लेषण को दर्शाने वाला विवरण जहां महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं पाये गए			
क्र. सं.	तालिका का नाम	कार्य विवरण	टिप्पणी
1.	1. भामाशाह यूआईडी मैरिटल स्टेटस 2. एसएसपी पेंशनर एमएसटी	ऐप आईडी से जोड़ा गया निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किए गए: "जेंडर" "सोशल स्कीम आईडी", "मैरिटल स्टेटस", "स्टॉप डेट", "सैंकशन नं." 31.07.2020 को आयु की गणना की गई	कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं पाया गया
2.	1. एसएसपी रॉग विलेज 2. एसएसपी पेंशनर एमएसटी	ऐप आईडी से जोड़ा गया निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किए गए: "सोशल स्कीम आईडी", -1,3,13,14,17,18 ऐप दिनांक-01.04.2017 से 31.07.2020	कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं पाया गया
3.	1. एसएसपी चेंज स्कीम फॉर इन्जिरिंग पेंशनर 2. एसएसपी पेंशनर एमएसटी	"ऐप आईडी" से जोड़ा गया फ़िल्टर लागू किया गया: "न्यू स्कीम" - 1,3,13,14,17,18 "ओल्ड स्कीम" - 4,5,7,8,10,11	कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं पाया गया
4.	1. एसएसपी पेंशनर एमएसटी	निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किए गए: "ऐप डेट", -01.04.2017 से 31.07.2020 "सोशल स्कीम आईडी" - 1,3,13,14,17,18 "सैंकशन डेट", 01.04.2017 से 31.07.2020 "इज सीडेड" "एप्लीकेशन स्टेटस-15"	कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं पाया गया
5.	1. एसएसपी पेंशनर एमएसटी	पात्रता तिथि की गणना जैसे कि डीओबी +55 वर्ष और डीओबी +58 वर्ष तथा ऐप डेट और पात्रता तिथि की गणना में अंतर फ़िल्टर लागू किए गए-	कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं पाया गया

		“ऐप डेट”, -01.04.2017 से 31.07.2020 “जेंडर” - 1 और 2 “ऐप डेट और पात्रता तिथि में अंतर” - 121 दिनों से ऊपर	
6.	एसएसपी पेमेंट	निम्नलिखित फ़िल्टर लागू किया गया: “वैल्यू डेट”,- 01.04.2017 से 31.07.2020	कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं पाया गया
7.	एसएसपी टोकन रिक्वेस्ट आईडी एसएसपी पेंशनर एमएसटी	ऐप आईडी द्वारा एसएसपी पेंशनर एमएसटी तालिका को एसएसपी टोकन रिक्वेस्ट आईडी के साथ जोड़ा गया।	कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं पाया गया
8.	एसएसपी एरियर फॉर पेड अमाउंट एसएसपी पेंशनर एमएसटी	ऐप आईडी द्वारा एसएसपी एरियर फॉर पेड अमाउंट तालिका को एसएसपी पेंशनर एमएसटी तालिका के साथ जोड़ा गया तथा राजएसएसपी रिपोर्ट्स के साथ तालिका का विश्लेषण किया गया।	कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं पाया गया
9.	एसएसपी टोटल पेंशन पेमेंट एसएसपी पेंशनर एमएसटी	ट्रेजरी आईडी द्वारा एसएसपी टोटल पेंशन पेमेंट तालिका को एसएसपी ट्रेजरी एमएसटी के साथ जोड़ा गया।	कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं पाया गया
10.	एसएसपी किओस्क टोकन डिटेल्स	ऐप आईडी द्वारा एसएसपी पेंशनर एमएसटी तालिका को एसएसपी किओस्क टोकन डिटेल्स तालिका के साथ जोड़ा गया।	कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं पाया गया
11.	पेमेंट आफ्टर डेथ एंड रीमैरिज	रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया गया।	कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं पाया गया



## परिशिष्ट घ

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.4 (ii))

उन लाभार्थियों का विवरण जिनके मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन खारिज कर दिए गए थे (खण्ड: नगरपालिका, जोबनेर, जयपुर)

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	अभिलेखों में उपलब्ध प्रमाण-पत्र	आवेदन की दिनांक को आयु	आवेदन की दिनांक	आधार अथवा जन-आधार के अनुसार जन्म दिनांक	आधार के अनुसार आवेदन की दिनांक को आयु
1	राजादेवी/रामनिवास प्रजापत	आधार, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि	54 वर्ष 9 महीने	16.10.2019	01.01.1960	59 वर्ष 11 महीने
2	इकरामुद्दीन/गुलाब	आधार, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि	56 वर्ष 9 महीने	15.10.2019	01.01.1960	59 वर्ष 11 महीने
3	किशन लाल स्वटीक/स्नेमा राम स्वटीक	आधार, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि	57 वर्ष 10 महीने	13.11.2019	01.01.1961	58 वर्ष 10 महीने
4	कमला देवी/गोपाल लाल दायमा	आधार, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि	54 वर्ष 5 महीने	11.06.2020	01.01.1965	55 वर्ष 5 महीने
5	मीना जैन पत्नी महेश जैन	आधार, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि	51 वर्ष 6 महीने	25.07.2020	19.02.1965	55 वर्ष 5 महीने

## परिशिष्ट ड

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5 (ii))

गलत वार्षिक सत्यापन के कारण मृत्यु/ विवाह के बाद पेंशन के भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला	पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी	पेंशनभोगी का नाम	योजना का नाम	पीपीओ संख्या	मृत्यु की दिनांक	पेंशनभोगी को जीवित दर्शाने वाले वार्षिक सत्यापन का वर्ष	पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात् भुगतान की राशि ( जुलाई 2020 तक)
<b>अभिलेखों की जाँच के दौरान पाये गए प्रकरण</b>								
1	सीकर	उ.स्व.अ. सीकर	अब्दुल सत्तार/फैजू खान चौहान	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस-07297171	30-03-2019	2019	10500
2			बतुल बानो/यासीन बानो	सीएमईएनएसपीएस	आरजे-एस-06767390	07-08-2019	2019	15000
3			फ़कीर मोहम्मद/ कालू	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस-02065258	22-12-2018	2018 तथा 2019	18000
4			गीता देवी/छीतर माली	सीएमईएनएसपीएस	आरजे-एस-05358620	29-04-2018	2018 तथा 2019	27000
5			केशरदेव/मोती लाल	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस-05107301	22-10-2018	2019	20500
6			लाडा/कजोड़मल	सीएमईएनएसपीएस	आरजे-एस-00033086	14-02-2019	2019	17000
7			मेना/लीलाधर भार्गव	सीएमईएनएसपीएस	आरजे-एस-00207641	03-04-2018	2018 तथा 2019	13500
8			रामेश्वर/नाथू मल	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस-2-01932803	01-01-2019	2019	19000
9			सुगनी/सागरमल छीपा	सीएमईएनएसपीएस	आरजे-एस-01316690	16-06-2019	2019	18000
10	सीकर	स्व.वि.अ. दांतरामगढ़	भागीरथ/हरी सिंह	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस-07824121	अनुपलब्ध	2017, 2018 तथा 2019	22750
11			भंवर सिंह/किशोर सिंह	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस-07704100	अनुपलब्ध	2017, 2018 तथा 2019	22750
12			लाछा/नोला राम	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस-05141772	अनुपलब्ध	2017, 2018 तथा 2019	31750
13			मनभरी/किस्तुर मल	सीएमईएनएसपीएस	आरजे-एस-01912100	अनुपलब्ध	2017, 2018 तथा 2019	54000
14			मगना राम/रतन राम	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस-02755314	अनुपलब्ध	2017, 2018 तथा 2019	31750
15	जयपुर	उ.स्व.अ. सांभर	संतोष देवी/रामावतार	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस-04010895	08-05-2019	2019	11250
<b>योग</b>								<b>332750</b>

लामार्थी सर्वेक्षण के दौरान पाए गए प्रकरण								
1	अजमेर	उ.स.अ. अजमेर	अजीज/मदारी स्नान	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस- 05177446	24-08-2019	2019	1500
2			छगनी बाई/मोहन लाल	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस-1- 04978252	06-04-2019	2019	11250
3	अजमेर	स.वि.अ. किशनगढ़	बिरदी चन्द/प्रभु राम	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस- 03180098	08-02-2016	2017, 2018 तथा 2019	10500
4			सुगनी देवी/हनुमान	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस- 05854671	04 वर्ष पहले	2017, 2018 तथा 2019	13250
5			मांगी देवी कुमावत/भेरू	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस- 07118656	30-04-2015	2016, 2017, 2018 तथा 2019	14000
6			गुलाबी देवी/नारायण नाथ	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस- 05333573	01 वर्ष पहले	2019	6000
7			नोरती देवी/भंवर लाल	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस- 05540620	17-10-2019	2019	9000
8			सूरज करन/छीतर	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस- 03113789	24-02-2015	2016, 2017, 2018 तथा 2019	14000
9	अलवर	स.वि.अ. बानसूर	ढूंडा देवी/ प्रभुदयाल सैनी	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस- 01071979	28-08-2018	2018 तथा 2019	20000
10			रामप्रताप/मोटू राम	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस- 04505559	26-01-2018	2018 तथा 2019	26,250
11			प्रेम कँवर/फ़तेह सिंह	सीएमईएनएसपीएस	आरजे-एस- 01050514	02-10-2019	2019	9000
12	अलवर	को.अ. अलवर	रमेश चन्द/गिरवर	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस- 08449692	21-09-2019	2019	7500
13	दौसा	उ.स.अ. दौसा	नुसरू स्नान/नजीर स्नान	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस- 01450869	29-09-2016	2016, 2017, 2018 तथा 2019	23000
14	सीकर	उ.स.अ. सीकर	ढोली/जगनराम	सीएमईएनएसपीएस	आरजे-एस- 04761225	20-11-2017	2017, 2018 तथा 2019	42,750
15	सीकर	स.वि.अ. दांतारामगढ़	चुनकी देवी कुमावत/ मंगला राम	सीएमईएनएसपीएस	आरजे-एस- 05729355	06-04-2019	2019	22500
16			गुल्ला राम/हीरा राम रैगर	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस- 04829759	16-09-2016	2016, 2017, 2018 तथा 2019	39250
17			बाबु स्नान/दीदार बक्स	सीएमओएसपीएस	आरजे-एस-1- 05141578	18-01-2016	2016, 2017, 2018 तथा 2019	22750
योग								292500
महायोग								625250

## परिशिष्ट च

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.6)

60 दिनों से अधिक लंबित स्वतः सत्यापित मामलों की पश्च-लेखापरीक्षा को दर्शाने वाला विवरण खण्ड सीकर (शहरी)

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	पीपीओ संख्या	योजना का नाम	आवेदन की दिनांक	स्वीकृति की दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	जमील	आरजे-एस-10980563	सीएमओएसपीएस	19-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
2	अमीना बानो	आरजे-एस-10984663	सीएमओएसपीएस	19-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
3	साजिदा बेगम	आरजे-एस-10924460	सीएमईएनएसपीएस	16-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
4	असलम/अलुदीन	आरजे-एस-10987426	सीएमओएसपीएस	19-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
5	रहीम चौहान	आरजे-एस-11015132	सीएमओएसपीएस	08-04-2020	24-05-2020	नियमित पेंशन
6	स्वातून	आरजे-एस-11013250	सीएमओएसपीएस	06-04-2020	22-05-2020	नियमित पेंशन
7	शांति देवी	आरजे-एस-11013466	सीएमओएसपीएस	06-04-2020	22-05-2020	नियमित पेंशन
8	मोहम्मद सत्तार	आरजे-एस-11010733	सीएमओएसपीएस	02-04-2020	18-05-2020	नियमित पेंशन
9	शमीम	आरजे-एस-11672140	सीएमओएसपीएस	23-09-2020	28-10-2020	नियमित पेंशन
10	गुलाब	आरजे-एस-10988509	सीएमओएसपीएस	19-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
11	रशीदा बानो	आरजे-एस-10985159	सीएमओएसपीएस	07-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
12	शमीम	आरजे-एस-10988147	सीएमओएसपीएस	19-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
13	जैबुनिशा भाटी	आरजे-एस-11015379	सीएमओएसपीएस	08-04-2020	24-05-2020	नियमित पेंशन
14	कमला देवी	आरजे-एस-10980946	सीएमओएसपीएस	18-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
15	संतोष माथुर	आरजे-एस-10983313	सीएमओएसपीएस	18-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
16	संतोष देवी	आरजे-एस-10986716	सीएमओएसपीएस	19-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
17	सुशीला देवी	आरजे-एस-10980915	सीएमईएनएसपीएस	18-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
18	बिस्मिल्ला	आरजे-एस-10983082	सीएमओएसपीएस	18-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
19	सुरेश शर्मा	आरजे-एस-10983861	सीएमओएसपीएस	07-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
20	बजरंग लाल सोनी	आरजे-एस-11015522	सीएमओएसपीएस	15-04-2020	31-05-2020	नियमित पेंशन
21	प्रेमलता सोनी	आरजे-एस-11015531	सीएमओएसपीएस	15-04-2020	31-05-2020	नियमित पेंशन
22	प्रमोद कुमार	आरजे-एस-11009092	सीएमओएसपीएस	31-03-2020	16-05-2020	नियमित पेंशन
23	अशोक	आरजे-एस-10987075	सीएमओएसपीएस	19-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
24	ममता	आरजे-एस-10980878	सीएमईएनएसपीएस	18-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
25	जमुना देवी	आरजे-एस-10981097	सीएमईएनएसपीएस	18-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
26	स्वेरुनिशा	आरजे-एस-10982399	सीएमओएसपीएस	18-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
27	चाँद स्नान	आरजे-एस-10984405	सीएमईएनएसपीएस	19-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
28	देवली देवी	आरजे-एस-10982816	सीएमईएनएसपीएस	18-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
29	संतोष देवी	आरजे-एस-10993190	सीएमईएनएसपीएस	20-03-2020	30-04-2020	नियमित पेंशन

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	पीपीओ संख्या	योजना का नाम	आवेदन की दिनांक	स्वीकृति की दिनांक	वर्तमान स्थिति
30	लक्ष्मी देवी	आरजे-एस-11661824	सीएमओएसपीएस	23-09-2020	28-10-2020	नियमित पेंशन
31	रामावतार सैनी	आरजे-एस-11663562	सीएमओएसपीएस	23-09-2020	28-10-2020	नियमित पेंशन
32	लक्ष्मी	आरजे-एस-11666071	सीएमओएसपीएस	23-09-2020	28-10-2020	नियमित पेंशन
33	कुसुम भार्गव	आरजे-एस-10986255	सीएमओएसपीएस	19-03-2020	19-04-2020	नियमित पेंशन
34	नूर जहा	आरजे-एस-11015129	सीएमओएसपीएस	08-04-2020	24-05-2020	नियमित पेंशन
35	रुस्वसाना	आरजे-एस-11019069	सीएमओएसपीएस	15-04-2020	31-05-2020	नियमित पेंशन



## परिशिष्ट छ

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.6)

पश्च-लेखापरीक्षा के बाद अपात्र पाए गए पेंशनभोगियों को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	पीपीओ संख्या	पेंशन योजना	पेंशनभोगी का नाम	पिता/पति का नाम	स्वीकृति दिनांक	कुल
1	अलवर	आरजे-एस-10011884	सीएमईएनएसपीएस	सरीता तनेजा	सावनराम तनेजा	06-09-2019	500
2		आरजे-एस-09986211	सीएमओएसपीएस	बाबू लाल	कन्हैया लाल	06-09-2019	3750
3		आरजे-एस-10032424	सीएमओएसपीएस	बीना	चजुराम राम सैनी	06-09-2019	750
4		आरजे-एस-10048491	सीएमओएसपीएस	राजेन्द्र कुमार	कोमल चन्द	06-09-2019	750
5		आरजे-एस-09995557	सीएमओएसपीएस	हरिओम गुप्ता	राम चरण गुप्ता	06-09-2019	750
6		आरजे-एस-10037390	सीएमईएनएसपीएस	अलका गुप्ता	राजेन्द्र प्रसाद	06-09-2019	500
7		आरजे-एस-10027046	सीएमओएसपीएस	रामावतार	घासी राम	06-09-2019	750
8		आरजे-एस-08650752	सीएमओएसपीएस	रमेश चन्द शर्मा	कालीचरण शर्मा	12-09-2019	750
9		आरजे-एस-08658498	सीएमओएसपीएस	कमलेश शर्मा	भागीरथ शर्मा	12-09-2019	750
10		आरजे-एस-09994216	सीएमओएसपीएस	प्रेमलता	नेम चन्द	06-09-2019	750
11		आरजे-एस-10004043	सीएमओएसपीएस	दौलत राम	स्व. सहीद राम	06-09-2019	750
12		आरजे-एस-10004084	सीएमओएसपीएस	गुलाब देवी	स्व. रूपा	06-09-2019	750
13		आरजे-एस-10028539	सीएमओएसपीएस	गीता गुप्ता	ओमप्रकाश	06-09-2019	750
14		आरजे-एस-10028590	सीएमओएसपीएस	ओमप्रकाश	रामेश्वर दयाल	06-09-2019	750
15		आरजे-एस-10037292	सीएमओएसपीएस	फूल वती	राम सिंह सैनी	06-09-2019	750
16		आरजे-एस-08441386	सीएमओएसपीएस	सरला देवी	गंगाराम	06-09-2019	750
17		आरजे-एस-10028562	सीएमओएसपीएस	लोकेश शर्मा	बिहारी लाल शर्मा	06-09-2019	750
18		आरजे-एस-10028791	सीएमओएसपीएस	उमेश शर्मा	बिहारी लाल	06-09-2019	750
19		आरजे-एस-10028915	सीएमओएसपीएस	शीला शर्मा	पूरण मल शर्मा	06-09-2019	750
20		आरजे-एस-10038177	सीएमओएसपीएस	उषा शर्मा	स्व. पूरण	06-09-2019	750
21		आरजे-एस-10012967	सीएमओएसपीएस	सुरेन्द्र सिंह चौहान	राम चरण	06-09-2019	750
22		आरजे-एस-10057454	सीएमओएसपीएस	बाबूलाल	मुन्ना लाल	06-09-2019	750
23		आरजे-एस-10074811	सीएमओएसपीएस	उषा रानी	जगदीश प्रसाद	09-09-2019	750
24		आरजे-एस-09994702	सीएमईएनएसपीएस	संतोष कुमारी	चिमन लाल	06-09-2019	750
25		आरजे-एस-09994758	सीएमओएसपीएस	जगदीश प्रसाद	हरीश चन्द	06-09-2019	750
26		आरजे-एस-10008587	सीएमओएसपीएस	सुशीला वर्मा	सुवा	06-09-2019	750
27		आरजे-एस-09981423	सीएमओएसपीएस	निहाल जैन	शिखर जैन	06-09-2019	750
28		आरजे-एस-09984769	सीएमओएसपीएस	उमेश चन्द	मदन मोहन	06-09-2019	750
29		आरजे-एस-09984878	सीएमओएसपीएस	शारदा	गंगाराम	06-09-2019	750
30		आरजे-एस-10073441	सीएमओएसपीएस	विमला देवी	संपत राम	06-09-2019	3000
31		आरजे-एस-10062912	सीएमओएसपीएस	कोयल देवी	चुन्ना लाल/नन्द लाल	06-09-2019	750

क्र. सं.	खण्ड का नाम	पीपीओ संख्या	पेंशन योजना	पेंशनभोगी का नाम	पिता/पति का नाम	स्वीकृति दिनांक	कुल
32		आरजे-एस-09981442	सीएमओएसपीएस	पुष्पा देवी	पन्नालाल	06-09-2019	750
33		आरजे-एस-10011062	सीएमओएसपीएस	जनक दुलारी	भिरम सिंह	06-09-2019	750
34		आरजे-एस-10042744	सीएमईएनएसपीएस	शीला देवी	तुलसी राम	06-09-2019	750
35		आरजे-एस-10057629	सीएमईएनएसपीएस	पार्वती सिन्धी	जलदास	06-09-2019	1500
36		आरजे-एस-10044152	सीएमओएसपीएस	पन्ना लाल	शिव दयाल गुप्ता	06-09-2019	750
37		आरजे-एस-09987870	सीएमओएसपीएस	संतोष देवी	भोरे लाल	06-09-2019	750
38		आरजे-एस-10023304	सीएमओएसपीएस	भगवान दास अग्रवाल	प्यारेलाल अग्रवाल	06-09-2019	750
39		आरजे-एस-10025696	सीएमओएसपीएस	प्रेमलता	मदन लाल	06-09-2019	750
40		आरजे-एस-10051675	सीएमओएसपीएस	रामावतार शर्मा	हजारी लाल	06-09-2019	750
41		आरजे-एस-09993142	सीएमओएसपीएस	सुशीला देवी	सोहन लाल	06-09-2019	750
42		आरजे-एस-09981153	सीएमओएसपीएस	कैलाश चन्द	घासी राम	06-09-2019	750
43		आरजे-एस-10070808	सीएमईएनएसपीएस	संतोष	फौजी/लीलू योगी	06-09-2019	500
44		आरजे-एस-10003764	सीएमओएसपीएस	आशा अग्रवाल	बद्री प्रसाद	06-09-2019	750
45		आरजे-एस-10002060	सीएमओएसपीएस	लता जैन	तेज पाल जैन	06-09-2019	750
46		आरजे-एस-10056984	सीएमओएसपीएस	दीप चन्द	राधे श्याम	06-09-2019	750
47		आरजे-एस-10003172	सीएमओएसपीएस	भगवान सहाय सैनी	बालजीराम	06-09-2019	750
48		आरजे-एस-10003327	सीएमओएसपीएस	गंगोली देवी	राम्यो सैनी	06-09-2019	750
49		आरजे-एस-10055964	सीएमओएसपीएस	मनभरी देवी	मूल चन्द	06-09-2019	1000
50		आरजे-एस-10056059	सीएमओएसपीएस	बुज मोहन स्पण्डेलवाल	गोपी लाल स्पण्डेलवाल	06-09-2019	1000
51		आरजे-एस-10066502	सीएमईएनएसपीएस	सपना शर्मा	ब्रह्मत	06-09-2019	3500
52		आरजे-एस-10041692	सीएमओएसपीएस	विमला शर्मा	नानगराम/यादराम	06-09-2019	750
53		आरजे-एस-09980653	सीएमओएसपीएस	मंजू	मन्नी राम/मन्नीराम	06-09-2019	750
54		आरजे-एस-10002089	सीएमओएसपीएस	छोटेला	आशा राम	06-09-2019	750
55		आरजे-एस-10011610	सीएमओएसपीएस	कमलेश	माणक चन्द	06-09-2019	750
56		आरजे-एस-10006641	सीएमओएसपीएस	मूलचंद जगा	किशनलाल	06-09-2019	750
57		आरजे-एस-10056460	सीएमओएसपीएस	श्री निवास गुप्ता	विशम्भर दयाल	06-09-2019	750
58		आरजे-एस-10056495	सीएमओएसपीएस	सुमन गुप्ता	प्रह्लाद राज	06-09-2019	750
59		आरजे-एस-09995552	सीएमओएसपीएस	सतीश	देशराज	23-07-2019	750
60		आरजे-एस-10062869	सीएमओएसपीएस	रघुवीर प्रसाद गुप्ता	मक्सन लाल	09-06-2020	750
61		आरजे-एस-10074510	सीएमओएसपीएस	जामोती देवी	मूल चन्द अग्रवाल	09-09-2019	1000
62		आरजे-एस-09995482	सीएमओएसपीएस	विजय कुमार	रोशन लाल	09-06-2019	750
63		आरजे-एस-09983271	सीएमओएसपीएस	पूरण चन्द	राम दयाल	09-06-2019	750
64		आरजे-एस-10057809	सीएमओएसपीएस	सरला शर्मा	गोविन्द डी जा	09-06-2019	750
65	बानसूर	आरजे-एस-10374393	सीएमओएसपीएस	केसर देवी	मूलचन	20.11.2019	2250
66		आरजे-एस-10620086	सीएमओएसपीएस	मातादीन	गिविन्दा	02.02.2020	750
67		आरजे-एस-10374310	सीएमओएसपीएस	रामरती देवी ।	शिमू दयाल	20.11.2019	2250
68		आरजे-एस-10374379	सीएमओएसपीएस	रामनिवास यादव	कन्हैया लाल	20.11.2019	2250
69		आरजे-एस-10372066	सीएमओएसपीएस	बरकत देवी	मक्सन लाल	02.12.2019	1500
70		आरजे-एस-10337305	सीएमओएसपीएस	रमेश देवी	रामस्वरूप	12.11.2019	2250
71		आरजे-एस-10370802	सीएमओएसपीएस	जसराम	दुला राम	19.11.2019	2250
72		आरजे-एस-10411134	सीएमओएसपीएस	किशोरी लाल	मदन लाल	01.12.2019	1500

क्र. सं.	खण्ड का नाम	पीपीओ संख्या	पेंशन योजना	पेंशनभोगी का नाम	पिता/पति का नाम	स्वीकृति दिनांक	कुल
73		आरजे-एस-10364880	सीएमओएसपीएस	महेश	अर्जन	18.11.2019	2250
74		आरजे-एस-10367394	सीएमओएसपीएस	हरिअल/ सुजाराम	सुजाराम	24.11.2019	2250
75		आरजे-एस-10385566	सीएमओएसपीएस	हनुमान गुजर	सुर्जन गुजर	24.11.2019	2250
76		आरजे-एस-10382311	सीएमओएसपीएस	तोताराम	कबूल चन्द	23.11.2019	2250
77		आरजे-एस-10355410	सीएमओएसपीएस	हर्दन	शयोलाल	18.11.2019	2250
78		आरजे-एस-10411060	सीएमओएसपीएस	कृष्णा	किशोरी लाल	01.12.2019	1500
79		आरजे-एस-104226714	सीएमओएसपीएस	बिमला देवी	जित राम	06.12.2019	1500
80		आरजे-एस-10338516	सीएमओएसपीएस	ग्याना देवी	सरदारा	12.11.2019	1500
81		आरजे-एस-10635762	सीएमओएसपीएस	माया देवी	मुख राम	06.02.2020	750
82		आरजे-एस-10355437	सीएमओएसपीएस	कौशयला देवी	भूरा राम	18.11.2019	2250
83		आरजे-एस-10650316	सीएमओएसपीएस	संपत राम	कालू राम	10.02.2020	750
84		आरजे-एस-10383236	सीएमओएसपीएस	पताशी देवी	चंदर दास	23-11-2019	2250
85	टोंक	आरजे-एस-10042472	सीएमओएसपीएस	मुबारक	सआदत अली	16.09.2019	6000
86		आरजे-एस-010866649	सीएमओएसपीएस	शाहिदा	नोशेस्वान	12.04.2020	750
87		आरजे-एस-10872784	सीएमओएसपीएस	मोहम्मद	जहूरस्वान	13.03.2020	1500
88		आरजे-एस-10002602	सीएमओएसपीएस	नसरीन	फारुख	16.09.2019	9750
89		आरजे-एस-11018469	सीएमओएसपीएस	मनभर	भूराजी	29.05.2020	750
90	किशनगढ़	आरजे-एस-10594301	सीएमओएसपीएस	उम्मेद सिंह	हनुमान सिंह	25/01/2020	750
91		आरजे-एस-10454723	सीएमओएसपीएस	हजारी	छीतर	17/12/2019	1500
92		आरजे-एस-10603677	सीएमओएसपीएस	लादी देवी	जगराम	27/01/2020	1500
93		आरजे-एस-10590753	सीएमओएसपीएस	गल्ला देवी	रामधन	28/01/2020	750
94		आरजे-एस-10437451	सीएमओएसपीएस	श्री किशन	रोडू जी	16/12/2019	1500
95		आरजे-एस-10586366	सीएमओएसपीएस	गुमान सिंह राजपुरोहित	शिवराज सिंह राजपुरोहित	22/01/2020	750
96		आरजे-एस-08520999	सीएमओएसपीएस	घीसा	रामा	21/09/2019	9750
97	रूपनगढ़	आरजे-एस-10695623	सीएमओएसपीएस	रमा गुर्जर	छोटू	27/02/2020	750
98		आरजे-एस-11044990	सीएमओएसपीएस	सिंगारी	मांगू राम	24/06/2020	750
99		आरजे-एस-11025063	सीएमओएसपीएस	मांगूडी	उमा राम	19/06/2020	750
100		आरजे-एस-10602745	सीएमओएसपीएस	हीरा देवी	रामा राम	27/01/2020	750
101	सीकर	आरजे-एस-10483310	सीएमओएसपीएस	नसीम बानो	गुलसेर स्वान	25/12/2019	1500
102		आरजे-एस-10395950	सीएमओएसपीएस	पतासी देवी	बोदुराम	24/12/2019	3000
103		आरजे-एस-10408057	सीएमईएनएसपीएस	लाली देवी	भेरू लाल	24/12/2019	1500
104		आरजे-एस-10454989	सीएमओएसपीएस	दुला राम	पन्ना राम	24/12/2019	1500
105		आरजे-एस-10027904	सीएमओएसपीएस	लिस्समा राम स्वामी	लादू राम	16/09/2019	1000
106		आरजे-एस-10032531	सीएमईएनएसपीएस	रामप्यारी	सुमानाराम	16/09/2019	500
107		आरजे-एस-10141730	सीएमओएसपीएस	गुलझारी	मंगलाराम	07/10/2019	7500
108		आरजे-एस-09961849	सीएमओएसपीएस	सांवर मल	किशन लाल	16/09/2019	12750
109		आरजे-एस-10466004	सीएमओएसपीएस	महावीर	जगनाथ	24/12/2019	10500
110		आरजे-एस-10288708	सीएमओएसपीएस	तेजा राम	भगवान राम	19/11/2019	2250
111		आरजे-एस-09943504	सीएमईएनएसपीएस	सुस्वी देवी	नंदलाल शर्मा	16/09/2019	17000

क्र. सं.	खण्ड का नाम	पीपीओ संख्या	पेंशन योजना	पेंशनभोगी का नाम	पिता/पति का नाम	स्वीकृति दिनांक	कुल
112		आरजे-एस-10451534	सीएमओएसपीएस	नाथी	बक्साराम	24/12/2019	1500
113		आरजे-एस-10372622	सीएमओएसपीएस	चिमना राम आदव	हनुमान राम	19/11/2019	3000
114		आरजे-एस-10001474	सीएमओएसपीएस	गोपाल राम	कुशला राम	16/09/2019	12750
115		आरजे-एस-11459612	सीएमओएसपीएस	इस्लामी बानो	मुकराब खान	17/09/2020	3750
116		आरजे-एस-10944658	सीएमईएनएसपीएस	रहमत बानो	सादुल खान	27/04/2020	5000
117		आरजे-एस-10843221	सीएमओएसपीएस	राम कँवर	उगम सिंह	07/04/2020	6750
118		आरजे-एस-10390653	सीएमओएसपीएस	गोकुल चन्द सैनी	प्रह्लाद राम सैनी	25/11/2019	11250
119		आरजे-एस-10475183	सीएमओएसपीएस	सरवती	गिदाराम	24/12/2019	1500
120		आरजे-एस-10028007	सीएमओएसपीएस	जोरा देवी	घासी राम	16/09/2019	750
121		आरजे-एस-10259821	सीएमओएसपीएस	ओम प्रकाश	परतु राम	24/12/2019	1500
122		आरजे-एस-10037381	सीएमओएसपीएस	रामदेव सिंह	मोबा राम	16/09/2019	17000
123		आरजे-एस-10441494	सीएमओएसपीएस	ग्यारसी देवी	मादेव	24/12/2019	1500
124		आरजे-एस-10475184	सीएमओएसपीएस	पप्पू राम	फुअल राम	24/12/2019	1500
125		आरजे-एस-10037802	सीएमओएसपीएस	मदन लाल	गणपत राम	24/12/2019	1500
126		आरजे-एस-09984198	सीएमओएसपीएस	सेवा राम	दुला राम	16/09/2019	12750
127		आरजे-एस-10459142	सीएमओएसपीएस	शयोपाल	नाथू राम	24/12/2019	9750
128		आरजे-एस-10407986	सीएमओएसपीएस	सोनपाल	मंगला राम	24/12/2019	1500
129		आरजे-एस-10433655	सीएमओएसपीएस	अमर सिंह	छोटू सिंह	24/12/2019	5250
130		आरजे-एस-10357034	सीएमओएसपीएस	राधा देवी	गणपत राम	16/11/2019	2250
131		आरजे-एस-09918002	सीएमओएसपीएस	रघुनाथ	गिदा राम	16/09/2019	750
132		आरजे-एस-09994622	सीएमओएसपीएस	तुलसीराम	चौखराम	16/09/2019	750
133	दांतारामगढ़	आरजे-एस-11129606	सीएमओएसपीएस	नारायण	हनमान	20/07/2020	4500
134		आरजे-एस-10531992	सीएमओएसपीएस	छोटा राम	सुवा लाल	08/01/2020	6750
135	सांभर	आरजे-एस-10983178	सीएमओएसपीएस	ललिता देवी	रामेश्वर लाल	03/05/2020	750
136		आरजे-एस-10036361	सीएमओएसपीएस	मोहनी देवी	हीरालाल सैनी	17/09/2019	1500
137		आरजे-एस-09583857	सीएमओएसपीएस	प्रेम देवी	नारायण जी सैन	16/09/2019	3000
138		आरजे-एस-10983194	सीएमओएसपीएस	सत्यनारायण शर्मा	रामनिवास	03/05/2020	750
139		आरजे-एस-09929082	सीएमओएसपीएस	राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	रामप्रसाद	16/09/2019	3750
140		आरजे-एस-10983078	सीएमओएसपीएस	राजू गुजराती	कोदना	03/05/2020	750
141		आरजे-एस-10983093	सीएमओएसपीएस	शांति	तानजी गुजराती	03/05/2020	750
142	दौसा	आरजे-एस-10030792	सीएमओएसपीएस	उमा शंकर शर्मा	बनवारी शर्मा	16/09/2019	3000
143		आरजे-एस-10031752	सीएमओएसपीएस	उर्मिला सैन	नाथू लाल	16/09/2019	3000
144		आरजे-एस-10029303	सीएमओएसपीएस	रामबाबू शर्मा	कल्याण सहाय	16/09/2019	3000
145		आरजे-एस-10038318	सीएमओएसपीएस	रामेश्वर प्रसाद शर्मा	बालू राम शर्मा	16/09/2019	3000
146		आरजे-एस-09985140	सीएमओएसपीएस	लालता प्रसाद	कल्याण सहाय	16/09/2019	3000
147		आरजे-एस-08188037	सीएमओएसपीएस	गुलाब देवी	मन फूल	22/09/2019	3000
148		आरजे-एस-09990961	सीएमओएसपीएस	जगदीश शर्मा	रामकिशोर शर्मा	16/09/2019	3000
149		आरजे-एस-08185916	सीएमओएसपीएस	गंगा राम	नारायण बैरवा	22/09/2019	3000
150		आरजे-एस-09990703	सीएमओएसपीएस	मोहन लाल गुप्ता	गंगा सहाय गुप्ता	16/09/2019	4000
151		आरजे-एस-10137623	सीएमओएसपीएस	रामनिवास बैरवा	महादेव बैरवा	06/10/2019	2250
152	लालसोट	आरजे-एस-10478727	सीएमओएसपीएस	मूल चन्द साहू	विजय नारायण साहू	23/12/2019	2250

क्र. सं.	खण्ड का नाम	पीपीओ संख्या	पेंशन योजना	पेंशनभोगी का नाम	पिता/पति का नाम	स्वीकृति दिनांक	कुल
153		आरजे-एस-11240523	सीएमईएनएसपीएस	मनभर देवी	भोरीलाल	06/08/2020	500
154		आरजे-एस-11100013	सीएमओएसपीएस	फूलचंद मीणा	रामचंद्र	23/07/2020	1500
155		आरजे-एस-11105686	सीएमओएसपीएस	अनीता देवी	रामखिलाड़ी	23/07/2020	1500
156		आरजे-एस-11169395	सीएमईएनएसपीएस	सुमन देवी सैन	बद्री लाल	26/07/2020	1000
157		आरजे-एस-11105813	सीएमओएसपीएस	रामावतार सैन	केसरी लाल	23/07/2020	1500
158		आरजे-एस-10462676	सीएमओएसपीएस	भरत लाल	चंदा गुर्जर	20/12/2019	2250
159		आरजे-एस-10483547	सीएमओएसपीएस	श्री किशन गुर्जर	हरदेव गुर्जर	25/12/2019	2250
160		आरजे-एस-11163548	सीएमओएसपीएस	पुनीराम सैनी	जयराम	25/07/2020	1500
161		आरजे-एस-11498546	सीएमओएसपीएस	भौरी देवी	रामचंद्र	28/09/2020	750
162		आरजे-एस-11114056	सीएमओएसपीएस	बसन्ती देवी	किस्तुर	18/07/2020	1500
163		आरजे-एस-11114063	सीएमओएसपीएस	रामजीलाल टेलर	भेरू लाल	18/07/2020	2000
164		आरजे-एस-10561539	सीएमईएनएसपीएस	चन्द्र बाई कँवर	गोविन्दसिंह	16/01/2020	6000
165		आरजे-एस-11146072	सीएमईएनएसपीएस	बादाम मीणा	सांवल राम मीणा	22/07/2020	1000
166		आरजे-एस-11151672	सीएमओएसपीएस	मुन्नी देवी छीपा	लल्लू छीपा	24/07/2020	1500
167		आरजे-एस-11500953	सीएमओएसपीएस	लक्ष्मी नारायण सैनी	जयनारायण	28/09/2020	750
168		आरजे-एस-09977308	सीएमईएनएसपीएस	रेखा शर्मा	कैलाशचंद शर्मा	16/09/2019	6000
169		आरजे-एस-11322300	सीएमओएसपीएस	कैलाश मीणा	कृष्ण	21/08/2020	750
170		आरजे-एस-10496045	सीएमओएसपीएस	गल्लू प्रसाद मीणा	टुंडाराम	30/12/2019	3750
171		आरजे-एस-10650146	सीएमईएनएसपीएस	भूली देवी	नारायण मीणा	10/02/2020	1500
172		आरजे-एस-10431650	सीएमओएसपीएस	भोली देवी	नानगराम	07/12/2019	5250
173		आरजे-एस-11374288	सीएमओएसपीएस	रामकरण मीणा	पांचू राम मीणा	30/08/2020	750
174		आरजे-एस-11498583	सीएमओएसपीएस	पांचू राम स्वारवाल	ग्यारसीलाल स्वारवाल	28/09/2020	750
175		आरजे-एस-10588633	सीएमओएसपीएस	गुलाब देवी	रामा नन्द शर्मा	23/01/2020	3750
176		आरजे-एस-10498127	सीएमओएसपीएस	पांची देवी	रघुनाथ	30/12/2019	1500
177		आरजे-एस-10651240	सीएमओएसपीएस	जगदीश प्रसाद	मूलचंद	10/02/2020	750
178		आरजे-एस-10412104	सीएमओएसपीएस	इंद्रा देवी शर्मा	श्यामलाल शर्मा	01/12/2019	2250
						<b>योग</b>	<b>400500</b>

## परिशिष्ट ज

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.8)

## डुप्लीकेट लाभार्थियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म दिनांक	पता	पीपीओ संख्या	स्वीकृति दिनांक	क्या आधार/जन-आधार के साथ जुड़ा हुआ है	योजना का नाम	बैंक खाता संख्या	जब तक भुगतान किया गया
1	हलकी मीणा	गुलाब	01-01-1959	करौली, स्पण्ड मण्डरॉयल, गाँव धोरेता	आरजे-एस-07801797	13-01-2017	हाँ	सीएमओए एसपीएस	41340100004034	मई 2021
2					आरजे-एस-08048001	31-07-2017	नहीं		478220791909	
3	संतोष देवी	किशन लाल	13-07-1958	झुंझुनू, वार्ड-19, पिलानी	आरजे-एस-08044368	18-07-2017	नहीं	सीएमओए एसपीएस	34227373414	फरवरी 2021
4					आरजे-एस-08045703	20-09-2017	हाँ			आईजीएन डब्ल्यूपीएस
5	विद्या देवी	बनवारी लाल	01-01-1959	वार्ड नं. 12, सादुलपुर, चुरू	आरजे-एस-08093278	12-09-2017	नहीं	सीएमओए एसपीएस	09568100005974	मई 2021
6					आरजे-एस-07816629	16-02-2017	हाँ		20005118520013551	
7	सायर कँवर	पूंजराज सिंह	01-01-1954	ग्राम गोपालसर, वालेसर, जोधपुर	आरजे-एस-07923727	12-04-2017	नहीं	सीएमओए एसपीएस	122232110006473	अप्रैल 2021
8					आरजे-एस-07177508	31-05-2015	हाँ			मई 2021

## परिशिष्ट झ

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.8, प्रकरण अध्ययन 3)

लाभार्थियों को दोहरे भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	योजना	पीपीओ संख्या	स्वीकृति दिनांक	भुगतान का तरीका	कब से	कब तक	महीने	पेंशन	कुल भुगतान
1	राजदेवी/ लाल सिंह यादव	सीएमईएन एसपीएस	आरजे-एस- 07642610	29.08.2016	बैंक खाता संख्या 01260100004119 में भुगतान, बैंक ऑफ़ बड़ोदा, रूपनगढ़	अगस्त-16	फरवरी-19	31	500	15500
						मार्च-19	जुलाई-20	17	750	12750
		सीएमओए एसपीएस	आरजे-एस-1- 03141653	23.05.2013	मनी आर्डर से भुगतान	अप्रैल-16	दिसम्बर- 18	33	500	16500
						जनवरी- 19	जुलाई-20	19	750	14250
2	मांगी देवी/ सावंत सिंह	आईजीएनओ एपीएस	आरजे-एस- 00297109	27.12.2004	बैंक खाता संख्या 01260100006484 में भुगतान, बैंक ऑफ़ बड़ोदा, रूपनगढ़	अप्रैल-17	दिसम्बर- 18	21	750	15750
						जनवरी- 19	जुलाई-20	19	1000	19000
		सीएमईएन एसपीएस	आरजे-एस-1- 01324336	27.12.2004	मनी आर्डर से भुगतान	जुलाई-16	फरवरी-18	20	500	10000
						मार्च-18	जुलाई-20	29	1000	29000
3	रामप्यारी/ प्रेमचंद	सीएमईएन एसपीएस	आरजे-एस- 05353439	29.07.2013	मनी आर्डर से भुगतान	अप्रैल-16	फरवरी-19	35	500	17500
						मार्च-19	जुलाई-20	17	750	12750
		सीएमईएन एसपीएस	आरजे-एस- 01455482	30.07.2012	बैंक खाता संख्या 50097262291 में भुगतान, इलाहाबाद बैंक, रूपनगढ़	अप्रैल-16	जुलाई-20	52	500	26000
<b>योग</b>										<b>189000</b>

## परिशिष्ट ज

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.8)

## आधार/ जन-आधार रहित लाभार्थियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	स्वीकृति संख्या	पेंशनभोगी का नाम	पिता का नाम
1	अजमेर	आरजे-एस-1-01502366	जेठी बाई	रुघा
2	अजमेर	आरजे-एस-1-01502571	नाथू देवी	प्रभु लाल
3	अजमेर	आरजे-एस-1-01510684	नैना	देवी लाल
4	अजमेर	आरजे-एस-1-01132648	शकुन्तला	अशोक चन्द
5	अजमेर	आरजे-एस-1-01128589	पार्वती देवी	रोशन लाल
6	अजमेर	आरजे-एस-1-01254134	राम प्यारी	रामेत
7	अजमेर	आरजे-एस-1-01128271	सीता	शंकर लाल
8	अजमेर	आरजे-एस-1-01529050	कृष्ण चौहान	अजितराज सिंह
9	अजमेर	आरजे-एस-2-01533528	रेनू	नरेश
10	अजमेर	आरजे-एस-1-03330292	प्रेम कुमारी	रामपाल सिंह
11	अजमेर	आरजे-एस-1-03368533	हेरा देवी	नानक राम
12	अजमेर	आरजे-एस-1-03383103	लीला	भगवान दास
13	अजमेर	आरजे-एस-1-03404127	सुधा	पन्ना लाल
14	अजमेर	आरजे-एस-1-03445584	विद्या देवी	सत्य नारायण
15	अजमेर	आरजे-एस-1-03449535	दुर्गा देवी	मदन लाल
16	अजमेर	आरजे-एस-1-03460256	राधा	रामनिवास
17	अजमेर	आरजे-एस-1-03355667	गुलाब बाई	किशन
18	अजमेर	आरजे-एस-1-03355435	रुकी	नन्द लाल
19	अजमेर	आरजे-एस-1-03348487	चन्द्र कला	मदन लाल
20	अजमेर	आरजे-एस-1-03435354	मालती	कैलाश चन्द
21	अजमेर	आरजे-एस-1-03343082	बिकी बाई	मोती राम
22	अजमेर	आरजे-एस-1-03352965	रेणुका चोरसिया	परम चन्द चोरसिया
23	अजमेर	आरजे-एस-1-03386187	लीलू देवी	श्रवण कुमार
24	अजमेर	आरजे-एस-1-03366227	मंजू देवी	शंकर लाल
25	अजमेर	आरजे-एस-1-03400081	बंशी सिंह शेखावत	भगवान सिंह
26	अजमेर	आरजे-एस-2-03453846	बाधू मल	नैनमल
27	अजमेर	आरजे-एस-2-03447427	सावित्री बाई	रामेश्वर लाल
28	अजमेर	आरजे-एस-1-03340901	मुन्नी देवी चोरसिया	सूरज नारायण चोरसिया
29	अजमेर	आरजे-एस-2-03635198	कुलवंत कौर	श्याम सिंह
30	अजमेर	आरजे-एस-1-03622407	गेन्नी	मंगल सिंह
31	अजमेर	आरजे-एस-1-03629625	बिरमा देवी	शम्भू दयाल
32	अजमेर	आरजे-एस-1-03692722	पांची देवी	रामपाल
33	अजमेर	आरजे-एस-2-03726069	बीना देवी शर्मा	अमृत कुमार शर्मा
34	अजमेर	आरजे-एस-1-03727732	मीना अग्रवाल	प्रेमनारायण
35	अजमेर	आरजे-एस-1-03748451	गुलाब	नानू राम
36	अजमेर	आरजे-एस-1-03782099	कमला देवी	कन्हैया लाल
37	अजमेर	आरजे-एस-1-03807344	शीला देवी	ओम प्रकाश
38	अजमेर	आरजे-एस-1-03814592	शीला शर्मा	ओमप्रकाश शर्मा
39	अजमेर	आरजे-एस-1-03734530	प्रेम कँवर	मोहन सिंह
40	अजमेर	आरजे-एस-1-03860017	बसन्ती देवी	स्व. रामसिंह
41	अजमेर	आरजे-एस-1-03666552	सीता देवी	रामदेव माली
42	अजमेर	आरजे-एस-1-03824767	जुबैदा बानो	अब्दुल अजीज
43	अजमेर	आरजे-एस-1-03702584	रतन लाल	सुण्डा जी
44	अजमेर	आरजे-एस-2-03622989	यशोदा देवी	मोहन लाल
45	अजमेर	आरजे-एस-1-03774171	सोनी	श्रवण
46	अजमेर	आरजे-एस-1-03889324	कृष्णा देवी	पुष्प कुमार
47	अजमेर	आरजे-एस-1-03910230	रेणुका शर्मा	कैलाश शंकर शर्मा
48	अजमेर	आरजे-एस-2-03915946	जीवनी	सरदार जी
49	अजमेर	आरजे-एस-1-04003647	ईश्वरी	लेखुमल



क्र. सं.	खण्ड का नाम	स्वीकृति संख्या	पेशनभोगी का नाम	पिता का नाम
50	अजमेर	आरजे-एस-1-03958436	सुशीला पवार	रमेश पवार
51	अजमेर	आरजे-एस-1-03733595	लाजवंती	चेलाराम
52	अजमेर	आरजे-एस-1-03649012	बरजी देवी	अम्बा लाल
53	अजमेर	आरजे-एस-1-03841452	मणि बाई	रामा
54	अजमेर	आरजे-एस-1-03660490	प्रीतम कौर	हरभजन सिंह
55	अजमेर	आरजे-एस-1-03655980	सायरी	कालाजी
56	अजमेर	आरजे-एस-1-03998672	रसीदा बेगम	गुलाम मुइनुदिन
57	अजमेर	आरजे-एस-1-03943567	फातमा बेगम	अब्बास स्नान
58	अजमेर	आरजे-एस-1-03963831	कांता देवी तापड़िया	घनश्याम दास
59	अजमेर	आरजे-एस-1-03709705	जमना बाई	मदन लाल
60	अजमेर	आरजे-एस-1-03710701	छोटी	कालूराम
61	अजमेर	आरजे-एस-1-03777984	पन्नी देवी	स्व. मोहन लाल
62	अजमेर	आरजे-एस-1-03782680	सोनी बाई	नत्थू लाल
63	अजमेर	आरजे-एस-1-03866187	सुरजा बाई	श्याम लाल
64	अजमेर	आरजे-एस-1-03992481	शांति देवी	धन्ना लाल
65	अजमेर	आरजे-एस-1-03992183	मीरा देवी	पूरण
66	अजमेर	आरजे-एस-2-03907482	नानगी देवी	राम सिंह
67	अजमेर	आरजे-एस-1-03905584	लीला देवी	कैलाश चन्द
68	अजमेर	आरजे-एस-1-03901274	मुन्नी देवी	छीतरमल
69	अजमेर	आरजे-एस-1-03734058	छोटी	मन्नाराम
70	अजमेर	आरजे-एस-1-03639240	जमना देवी	लालचंद
71	अजमेर	आरजे-एस-1-03866212	भँवरी	सूरजमल
72	अजमेर	आरजे-एस-1-03648678	शांति देवी	लादूराम
73	अजमेर	आरजे-एस-1-03665262	शारदा मारोठिया	शंकरलाल मारोठिया
74	अजमेर	आरजे-एस-1-03665402	लाछी देवी	सादुल गुर्जर
75	अजमेर	आरजे-एस-1-03775416	रुकमा देवी	मदन लाल
76	अजमेर	आरजे-एस-1-03839221	नीलू	राजकुमार
77	अजमेर	आरजे-एस-1-03779060	कमलेश गहलोत	हरी सिंह
78	अजमेर	आरजे-एस-2-03818417	श्रवणी	कन्हैयालाल
79	अजमेर	आरजे-एस-2-03905399	नानी बाई	बाबूलाल जाचक
80	अजमेर	आरजे-एस-1-03927594	कांता देवी	स्व. सत्यनारायण सेन
81	अजमेर	आरजे-एस-2-03931023	अर्चना	राजेन्द्र सेन
82	अजमेर	आरजे-एस-1-03988490	चंदा देवी	ओम प्रकाश वर्मा
83	अजमेर	आरजे-एस-1-03886432	सीता	सादुल
84	अजमेर	आरजे-एस-4-03908848	रेशमी बानो	हुसैन
85	अजमेर	आरजे-एस-2-03814237	मीना देवी	शंकर लाल
86	अजमेर	आरजे-एस-1-03799774	बीना देवी	भगवान सिंह
87	अजमेर	आरजे-एस-1-03859580	नोसर	रामा
88	अजमेर	आरजे-एस-1-03806481	भवरी देवी	अमरचन्द
89	अजमेर	आरजे-एस-1-03851543	कमला देवी	रतनलाल
90	अजमेर	आरजे-एस-1-03846520	अमरी देवी	रामधन स्परोल
91	अजमेर	आरजे-एस-1-03802077	अकिल अहमद	बशीर अहमद
92	अजमेर	आरजे-एस-1-03963970	सुरेश गुर	पेसुराम गुर
93	अजमेर	आरजे-एस-1-03976043	किशन गोपाल मित्तल	रामरतन मित्तल
94	अजमेर	आरजे-एस-1-03869874	किशन लाल	मोहन लाल
95	अजमेर	आरजे-एस-1-03731139	भंवर लाल टाक	नाथूलाल
96	अजमेर	आरजे-एस-1-03631147	फूलचंद	जोधाराम
97	अजमेर	आरजे-एस-1-03891607	अब्दुल रशीद	छोटू स्नान
98	अजमेर	आरजे-एस-1-03631635	संतोष सिंह	रामचन्द्र
99	अजमेर	आरजे-एस-1-03794737	ईश्वर	ताराचन्द
100	अजमेर	आरजे-एस-1-03738322	राम स्वरूप	नारायण सिंह
101	अजमेर	आरजे-एस-1-03902404	अजय कुमार	जम्मन लाल
102	अजमेर	आरजे-एस-1-03982203	अम्बा लाल	भवर लाल
103	अजमेर	आरजे-एस-1-03963576	रामप्रसाद	मिट्टूराम

क्र. सं.	खण्ड का नाम	स्वीकृति संख्या	पेशनभोगी का नाम	पिता का नाम
104	अजमेर	आरजे-एस-1-03877117	किशन लाल	चन्द्र जी
105	अजमेर	आरजे-एस-1-03969167	अजीत सिंह	रामदेव
106	अजमेर	आरजे-एस-1-03902589	छोटू सिंह	कम्मा सिंह
107	अजमेर	आरजे-एस-1-03820867	रूपा गुर्जर	नारायण गुर्जर
108	अजमेर	आरजे-एस-2-03938594	श्रवण कुमार चौधरी	काना राम
109	अजमेर	आरजे-एस-1-03931274	निर्मला	स्व. हासाराम
110	अजमेर	आरजे-एस-1-04558034	धापू बाई	लाल चन्द
111	अजमेर	आरजे-एस-1-04662022	मुन्नू देवी	हीरा लाल
112	अजमेर	आरजे-एस-1-04613956	छोटू लाल	लालाराम कहार
113	अजमेर	आरजे-एस-1-05190130	सीता देवी	ताजू मल
114	अजमेर	आरजे-एस-1-05162936	सरस्वती	स्व. श्री प्रीतम कुमार
115	अजमेर	आरजे-एस-1-04883812	मुन्नी बानो	बशीर मोहम्मद
116	अजमेर	आरजे-एस-1-04959938	सुगनी देवी	चिरंजी लाल
117	अजमेर	आरजे-एस-1-04979898	मधुबाला	बंसीलाल शर्मा
118	अजमेर	आरजे-एस-1-05072093	पुष्पा शर्मा	अशोक कुमार
119	अजमेर	आरजे-एस-1-05093127	कृष्णा सोनी	सत्यनारायण सोनी
120	अजमेर	आरजे-एस-1-05092863	मीरा	हरगुन दास
121	अजमेर	आरजे-एस-1-04853547	गोमती देवी स्पण्डेलवाल	अमरचन्द स्पण्डेलवाल
122	अजमेर	आरजे-एस-1-05068508	बीना बाई बाई	श्याम लाल
123	अजमेर	आरजे-एस-1-04980889	मन्ना देवी	सूरजमल
124	अजमेर	आरजे-एस-1-05091010	मांगी बाई	चतरभुज
125	अजमेर	आरजे-एस-1-04927713	तारा देवी	शोभगत अम्बा
126	अजमेर	आरजे-एस-1-04977178	गल्कू देवी	कालूराम निर्मल
127	अजमेर	आरजे-एस-1-05000066	प्रेम देवी	राजेश
128	अजमेर	आरजे-एस-1-04826297	शांति देवी	केवल चन्द चौहान
129	अजमेर	आरजे-एस-1-05067625	दुली बाई	भीमराज
130	अजमेर	आरजे-एस-2-04866595	जडाव	मगन सिंह
131	अजमेर	आरजे-एस-2-05093893	अन्वीरा	शमसुदीन
132	अजमेर	आरजे-एस-1-04927471	हजारा बानो	यासीन मोहम्मद
133	अजमेर	आरजे-एस-1-04927815	सातून बानो	ताज मोहम्मद
134	अजमेर	आरजे-एस-1-05079453	बिरजी देवी	घीसू लाल
135	अजमेर	आरजे-एस-1-04854001	अमरचन्द स्पण्डेलवाल	सुआलाल स्पण्डेलवाल
136	अजमेर	आरजे-एस-1-04852376	सज्जन सिंह मारोठिया	बन्शी लाल मारोठिया
137	अजमेर	आरजे-एस-1-04887279	चेन सिंह	मंगल सिंह
138	अजमेर	आरजे-एस-1-05093646	रामनिवास पारीक पारीक	मोहराज पारीक
139	अजमेर	आरजे-एस-1-05071698	श्याम लाल लाल	शंकर लाल
140	अजमेर	आरजे-एस-1-04890088	बाबूलाल	मूलचन्द
141	अजमेर	आरजे-एस-1-05091559	हनुमान प्रसाद सोनी	चतुर्भुज सोनी
142	अजमेर	आरजे-एस-1-05001464	दुलारी देवी	तेजपाल
143	अजमेर	आरजे-एस-1-00207350	कुन्दन कँवर	राम निवास
144	अजमेर	आरजे-एस-1-00261380	सकीना	मोटा
145	अजमेर	आरजे-एस-1-00307168	विमला देवी	गोपाल किशन शर्मा
146	अजमेर	आरजे-एस-1-00327026	सुशीला	मदन लाल
147	अजमेर	आरजे-एस-1-00277950	घुमान कँवर	हनुमान सिंह
148	अजमेर	आरजे-एस-1-00278033	रेखा	किशन चन्द
149	अजमेर	आरजे-एस-1-00274501	जगदीश शर्मा	चेत राम
150	अजमेर	आरजे-एस-1-00215611	हेमलता देवी	गोविन्द छीपा
151	अजमेर	आरजे-एस-1-00388294	पूर्णिमा	डी. एम. सक्सेना
152	अजमेर	आरजे-एस-1-00222455	विमला	सरदार बहादुर सिंह
153	अजमेर	आरजे-एस-1-00327018	नोरत मल	देवी लाल
154	अजमेर	आरजे-एस-1-00389415	फूली देवी	याकूब
155	अजमेर	आरजे-एस-1-04050954	सीता	बसन्त
156	अजमेर	आरजे-एस-1-04078807	हमीदा	अलाउद्दीन
157	अजमेर	आरजे-एस-1-04099617	सीता देवी	राधेश्याम

क्र. सं.	खण्ड का नाम	स्वीकृति संख्या	पेशनभोगी का नाम	पिता का नाम
158	अजमेर	आरजे-एस-1-04178956	मधु	लक्ष्मण
159	अजमेर	आरजे-एस-1-04042354	लीला	जयराम दास
160	अजमेर	आरजे-एस-1-04045822	जया	ओमप्रकाश
161	अजमेर	आरजे-एस-1-04112396	चम्पा	अमरचन्द
162	अजमेर	आरजे-एस-3-04169627	सुन्दर	प्रताप
163	अजमेर	आरजे-एस-1-04139514	कमला	सीरुमल
164	अजमेर	आरजे-एस-1-04066905	ब्रजमोहिनी	विजयकांत
165	अजमेर	आरजे-एस-1-04100637	नारायणी बाई	भगवान दास
166	अजमेर	आरजे-एस-1-04060379	जसतिना	अब्राहम
167	अजमेर	आरजे-एस-1-04128710	मेरु विशा	गुलाब रसूल
168	अजमेर	आरजे-एस-1-04114602	पुष्पा देवी वर्मा	राम गोपाल
169	अजमेर	आरजे-एस-1-04042973	गीता देवी	बन्सीलाल
170	अजमेर	आरजे-एस-1-04044572	सरस्वती	चमन किशोर उचेनिया
171	अजमेर	आरजे-एस-1-04075941	नाथी देवी	सीता राम
172	अजमेर	आरजे-एस-1-04114501	पनी देवी	सुखदेव
173	अजमेर	आरजे-एस-1-04159599	संतोष	सत्यनारायण
174	अजमेर	आरजे-एस-1-04176734	सीमा	मुकेश
175	अजमेर	आरजे-एस-1-04204098	पुष्पा	प्रेमचन्द
176	अजमेर	आरजे-एस-1-04124360	कमला बाई	गोविन्द दास
177	अजमेर	आरजे-एस-1-04060041	मुन्नी देवी	ब्रजेन्द्र सिंह
178	अजमेर	आरजे-एस-1-04043694	चंद्रा देवी	सुन्दर दस मनवानी
179	अजमेर	आरजे-एस-1-04273371	रामेश्वरी देवी	भँवरलाल
180	अजमेर	आरजे-एस-2-04104289	ज्ञान चन्द	अमर चन्द
181	अजमेर	आरजे-एस-1-04169135	ओमप्रकाश	पूनम चन्द
182	अजमेर	आरजे-एस-1-04183806	मदन सिंह	भँवर सिंह
183	अजमेर	आरजे-एस-1-04248411	राम गोपाल वर्मा	गणपत लाल
184	अजमेर	आरजे-एस-1-04114871	दीप चन्द टाक	बाला बक्श
185	अजमेर	आरजे-एस-1-04163221	भँवर लाल दयमा	लालू राम
186	अजमेर	आरजे-एस-1-04027819	ग्यारसी देवी	किशन लाल
187	अजमेर	आरजे-एस-1-03383608	रुकमा	समर्थ
188	अजमेर	आरजे-एस-1-03974347	नंदा जी	हमीर गुवारिया
189	अजमेर	आरजे-एस-1-04004926	कानाराम	स्व. हजारी
190	अजमेर	आरजे-एस-1-04517959	रुस्मणि	मिर्चुमल
191	अजमेर	आरजे-एस-1-04318913	मोहनी देवी	हुकम चन्द
192	अजमेर	आरजे-एस-4-04327114	लट्टू देवी	श्रवण लाल
193	अजमेर	आरजे-एस-1-04326738	रुकमा	सुखदेव
194	अजमेर	आरजे-एस-2-05108123	अस्मत बीबी	अकबर अली
195	अजमेर	आरजे-एस-1-05108662	बरकत	मुश्ताक अहमद
196	अजमेर	आरजे-एस-2-05108959	पानीबाई	मांगी लाल
197	अजमेर	आरजे-एस-1-05113653	सालिया बीबी	नजीर शेख
198	अजमेर	आरजे-एस-1-05164145	किशनबाई	श्रवण कुमार
199	अजमेर	आरजे-एस-1-05182173	लिज्जेट	विक्टर
200	अजमेर	आरजे-एस-1-05191640	तारामणि डेविड	जॉन डेविड
201	अजमेर	आरजे-एस-1-05205961	नजीरण निशा	मोहा उमर
202	अजमेर	आरजे-एस-2-05121731	सीता	मंघा राम
203	अजमेर	आरजे-एस-1-05099628	राजकुमारी चौधरी	राधेश्याम चौधरी
204	अजमेर	आरजे-एस-1-05137177	मुमताज स्नान	ज़फर अहमद स्नान
205	अजमेर	आरजे-एस-2-05136768	लीला	दयाल दास
206	अजमेर	आरजे-एस-1-05126394	केसर बाई	तोला राम
207	अजमेर	आरजे-एस-1-05095684	कंचन देवी	रामचन्द्र
208	अजमेर	आरजे-एस-1-05106507	भगवती	प्रवण
209	अजमेर	आरजे-एस-1-05144212	हरदेवी	नरेश
210	अजमेर	आरजे-एस-1-05137973	द्रोपती देवी	निहालचन्द
211	अजमेर	आरजे-एस-1-05144581	गोदावरी	बद्री प्रसाद

क्र. सं.	खण्ड का नाम	स्वीकृति संख्या	पेशनभोगी का नाम	पिता का नाम
212	अजमेर	आरजे-एस-1-05121374	पुष्पा देवी	ओम प्रकाश
213	अजमेर	आरजे-एस-1-05114206	गीता देवी	प्रह्लाद चन्द
214	अजमेर	आरजे-एस-1-05151727	रहमती बानो	महबूब
215	अजमेर	आरजे-एस-1-05109350	बानो बेगम	मुनीर अहमद
216	अजमेर	आरजे-एस-1-05100679	हलीमा बेगम	सिकन्दर स्नान
217	अजमेर	आरजे-एस-1-05134463	नोरती देवी	मोहनलाल
218	अजमेर	आरजे-एस-1-05178095	विमला देवी	नाथू लाल
219	अजमेर	आरजे-एस-1-05098404	हलीमां	इमामुदीन
220	अजमेर	आरजे-एस-1-05106518	धापू देवी रावत	भोमसिंह
221	अजमेर	आरजे-एस-1-05128806	मुन्ना लाल गुप्ता	स्थाली राम गुप्ता
222	अजमेर	आरजे-एस-1-05201298	गोविन्द राम	राजोमल
223	अजमेर	आरजे-एस-1-05150891	रामचन्द्र सोनी	जुहारमल सोनी
224	अजमेर	आरजे-एस-1-05200902	ईश्वर लाल	सूरजमल
225	अजमेर	आरजे-एस-1-05176729	पन्ना लाल	गिरधारी लाल
226	अजमेर	आरजे-एस-1-05100663	शबीर स्नान	सईदूरहमान
227	अजमेर	आरजे-एस-1-05977747	जन्नत	मंगल स्नान
228	अजमेर	आरजे-एस-1-05997734	प्रेमवती	श्याम सुन्दर
229	अजमेर	आरजे-एस-1-06051556	दुरु मंगलानी	नारायण दास मंगलानी
230	अजमेर	आरजे-एस-1-05918235	गोदावरी रोहरा	नन्दलाल रोहडा
231	अजमेर	आरजे-एस-1-06022821	जमीला	भोलू स्नान
232	अजमेर	आरजे-एस-1-05998366	गुलाब बाई	मांगी लाल
233	अजमेर	आरजे-एस-1-05884397	राजी बाई	मोती लाल
234	अजमेर	आरजे-एस-1-05806185	केसर	माधा गुर्जर
235	अजमेर	आरजे-एस-1-05904791	गफूर	रहमान
236	अजमेर	आरजे-एस-1-05887620	ज़हूर मोहद	लाल मोहद
237	अजमेर	आरजे-एस-1-05939074	सम्पत	पुष्कर नारायण सैन
238	अजमेर	आरजे-एस-1-05977910	ननकी देवी	भँवर लाल
239	अजमेर	आरजे-एस-1-05922222	जीवन लाल शर्मा	मोतीलाल
240	अजमेर	आरजे-एस-1-01850324	रमा गुप्ता	शिव शंकर गुप्ता
241	अजमेर	आरजे-एस-1-03180698	पद्मा देवी	स्व. श्री विशन दास वातवानी
242	अजमेर	आरजे-एस-1-03065073	केथरीन फ्रांसिस	फ्रांसिस स्टीफन
243	अजमेर	आरजे-एस-1-03067733	केसर देवी	मोहन लाल
244	अजमेर	आरजे-एस-1-03067586	सावित्री देवी	भगवान दास जालोटिया
245	अजमेर	आरजे-एस-1-03140596	किशानी देवी	गणपत लाल
246	अजमेर	आरजे-एस-1-03089243	कमला देवी	देवकरण जांगिड़
247	अजमेर	आरजे-एस-2-01850351	प्रेम देवी	मोहन लाल
248	अजमेर	आरजे-एस-1-03155012	शंकरलाल	केसाराम
249	अजमेर	आरजे-एस-1-03148942	जरीना	रहमान स्नान
250	अजमेर	आरजे-एस-1-03476267	गायत्री अग्रवाल	अरुण कुमार अग्रवाल
251	अजमेर	आरजे-एस-1-03478769	लीलावती जरीवाला	ठाकुर भाई जरीवाला
252	अजमेर	आरजे-एस-1-03544073	ईश्वरी देवी	सुशाल दास
253	अजमेर	आरजे-एस-1-03510976	रेखा शर्मा	ओम प्रकाश
254	अजमेर	आरजे-एस-1-03512412	मीना माथुर	ओमप्रकाश माथुर
255	अजमेर	आरजे-एस-1-03520245	प्रेम लता	ओम प्रकाश
256	अजमेर	आरजे-एस-1-03559644	मंजू शर्मा	विष्णु दत्त
257	अजमेर	आरजे-एस-1-03537939	मुन्नी देवी	भगवान दास
258	अजमेर	आरजे-एस-1-03473762	कमला	रामलाल
259	अजमेर	आरजे-एस-1-03595507	सरला देवी	भजन लाल
260	अजमेर	आरजे-एस-1-03586724	कृष्णा रावत	प्रेम प्रकाश रावत
261	अजमेर	आरजे-एस-1-03595480	हसरत बेगम	चाँद मोहम्मद
262	अजमेर	आरजे-एस-2-03595348	कंचन पालन चौहान	लाल सिंह चौहान
263	अजमेर	आरजे-एस-1-03559686	रामलाल	गोकुल गुर्जर
264	अजमेर	आरजे-एस-2-03984203	चोथी	भेरू जी
265	अजमेर	आरजे-एस-1-03793316	मांगी बाई	हीरा जी

क्र. सं.	खण्ड का नाम	स्वीकृति संख्या	पेशनभोगी का नाम	पिता का नाम
266	अजमेर	आरजे-एस-1-04143163	लीला बुलचंदानी	मूलचन्द
267	अजमेर	आरजे-एस-1-05380437	चनरा जोशी	भुवनेश्वर जोशी
268	अजमेर	आरजे-एस-1-05393934	तारा बाई	भँवर सिंह गहलोत
269	अजमेर	आरजे-एस-1-05395973	रामी देवी	गुलाब दान
270	अजमेर	आरजे-एस-1-05405123	प्रभा मुन्द्रा	सत्यनारायण मुन्द्रा
271	अजमेर	आरजे-एस-1-05413939	फातमा बेगम	फजलुद्दीन
272	अजमेर	आरजे-एस-1-05414449	कमला	रूपचन्द
273	अजमेर	आरजे-एस-1-05414452	विद्या देवी	गुलाब राय
274	अजमेर	आरजे-एस-1-05445774	अफजल बानो	असलम
275	अजमेर	आरजे-एस-1-05471871	केसर	नाथू लाल
276	अजमेर	आरजे-एस-1-05486389	फूली	हजारी
277	अजमेर	आरजे-एस-1-05455783	संतोष अग्रवाल	लक्ष्मीनारायण
278	अजमेर	आरजे-एस-1-05357702	सफेदी बानो	छोटे स्नान
279	अजमेर	आरजे-एस-1-05396031	अनीता कुमावत	मोती लाल
280	अजमेर	आरजे-एस-1-05394013	शमा वर्मा	मुकेश वर्मा
281	अजमेर	आरजे-एस-1-05445731	अमीना बेगम	वालिकुद्दीन शेर
282	अजमेर	आरजे-एस-1-05469043	नोरीन चाबड़ा	देवेन्द्र सिंह चाबड़ा
283	अजमेर	आरजे-एस-1-05448666	जुबैदा	नसरीउदीन
284	अजमेर	आरजे-एस-1-05490002	कविता तुलसानी	तोला राम
285	अजमेर	आरजे-एस-1-05406306	कृष्णा देवी	लाल सिंह
286	अजमेर	आरजे-एस-1-05486360	छोटी बाई	रणजीत सिंह
287	अजमेर	आरजे-एस-1-05492717	प्रेम देवी	अमर चन्द चौहान
288	अजमेर	आरजे-एस-1-05445713	मीना रामचंदानी	हरीराम चनदानी
289	अजमेर	आरजे-एस-1-05486322	सती देवी	सवल दास
290	अजमेर	आरजे-एस-1-05372282	कमला देवी	चन्द्र नारायण
291	अजमेर	आरजे-एस-1-05413239	कमर जेहरा	मुस्तार हुसैन
292	अजमेर	आरजे-एस-1-05451325	बिरधिबाई	स्नियाराम
293	अजमेर	आरजे-एस-1-05458379	छोटी देवी	लालचन्द
294	अजमेर	आरजे-एस-3-05486100	सुशीला शर्मा	ओम प्रकाश
295	अजमेर	आरजे-एस-1-05491866	गीता देवी	अशोक
296	अजमेर	आरजे-एस-1-05419298	शांति देवी	रामेश्वर प्रसाद
297	अजमेर	आरजे-एस-1-05455802	मेथी	बुधा
298	अजमेर	आरजे-एस-1-05489680	मुन्ना देवी	रामचन्द्र
299	अजमेर	आरजे-एस-1-05414456	रबिया बीबी	अब्दुल गफ्फार
300	अजमेर	आरजे-एस-1-05401416	मुस्तार हुसैन	रोनक हुसैन
301	अजमेर	आरजे-एस-1-05448717	अब्दुल जब्बर	अब्दुल सत्तार
302	अजमेर	आरजे-एस-2-05138232	मंजू देवी वर्मा	प्रेम प्रकाश
303	अजमेर	आरजे-एस-1-06089812	पूर्णिमा माहेश्वरी	राधे श्याम
304	अजमेर	आरजे-एस-1-06065377	घिसी	उम्मेद स्नान
305	अजमेर	आरजे-एस-1-06066180	केसर देवी	मेला सिंह
306	अजमेर	आरजे-एस-1-06067042	सजनी	हरचन्द
307	अजमेर	आरजे-एस-1-06131027	गुलाबी	छगन
308	अजमेर	आरजे-एस-3-06172204	रमती	रामचन्द्र
309	अजमेर	आरजे-एस-1-06172986	मौलाना कमरुद्दीन	बदरुद्दीन
310	अजमेर	आरजे-एस-1-06086789	जवरी स्नान	मंगला स्नान
311	अजमेर	आरजे-एस-1-06188629	जगदीश सेन	हबू लाल
312	अजमेर	आरजे-एस-1-05991519	कमला देवी	मोती भगत
313	अजमेर	आरजे-एस-1-05913147	लक्ष्मी	जगदीश गिर
314	अजमेर	आरजे-एस-2-06930204	कविता बसंतानी	घनश्याम
315	अजमेर	आरजे-एस-1-06971032	वीना असवनी असवनी	चन्द्र प्रकाश
316	अजमेर	आरजे-एस-1-06997221	पारस देवी जैन	हरक चन्द
317	अजमेर	आरजे-एस-1-07005132	गोपी बाई दमानी	साधू मल
318	अजमेर	आरजे-एस-1-06968038	सिस्टर ट्रेसी सिस्टर	मैथ्यू
319	अजमेर	आरजे-एस-1-06928760	सोहन कँवर कँवर	मंगल सिंह

क्र. सं.	खण्ड का नाम	स्वीकृति संख्या	पेशनभोगी का नाम	पिता का नाम
320	अजमेर	आरजे-एस-1-06930546	शांति देवी देवी	सूरज मल
321	अजमेर	आरजे-एस-1-06751086	गीता देवी	किशन रावत
322	अजमेर	आरजे-एस-1-06755039	किरण देवी	देवी सिंह
323	अजमेर	आरजे-एस-1-06818556	लाड देवी देवी	प्रह्लाद चन्द्र
324	अजमेर	आरजे-एस-1-06934732	आशिया बीबी बीबी	मोहम्मद हनीफ
325	अजमेर	आरजे-एस-1-06790574	दीपा काकवानी	गुल काकवानी
326	अजमेर	आरजे-एस-1-06985094	कमला देवी	हजारी लाल
327	अजमेर	आरजे-एस-1-06771234	कंचन सांखला	भूपेन्द्र सिंह
328	अजमेर	आरजे-एस-1-06960992	लीला देवी	लीला राम
329	अजमेर	आरजे-एस-1-06938316	मधु जी तंवर	ओंकार
330	अजमेर	आरजे-एस-1-06953286	मूल चन्द लालवानी	नथू मल
331	अजमेर	आरजे-एस-1-06935128	विष्णु दत्त टेलर	घीसू लाल
332	अजमेर	आरजे-एस-1-06926787	महादेव प्रसाद प्रसाद	नाथू लाल
333	अजमेर	आरजे-एस-1-06929648	शेख जलिम	शेख कादर
334	अजमेर	आरजे-एस-1-07674505	रेबेका सेन	रमेश चन्द्र
335	अजमेर	आरजे-एस-1-01633231	नर्बदा देवी	मांगीलाल
336	अजमेर	आरजे-एस-1-01789681	दुर्गा देवी	दर्शन सिंह
337	अजमेर	आरजे-एस-1-01720597	कमला बाई	चंदर लाल
338	अजमेर	आरजे-एस-1-01667509	लीना	दिनेश कुमार
339	अजमेर	आरजे-एस-2-03235655	कोशिलया मोतियानी	सोभराज मोतियानी
340	अजमेर	आरजे-एस-1-03270602	हरी बाई	पारु मल
341	अजमेर	आरजे-एस-2-03285727	भूरी देवी	मोहन लाल
342	अजमेर	आरजे-एस-2-03299593	कुसुम लता	विष्णु स्वरूप
343	अजमेर	आरजे-एस-2-03288866	राधा तोलानी	श्याम सुन्दर तोलानी
344	अजमेर	आरजे-एस-1-03319987	गुलाब देवी	ओम सिंह
345	अजमेर	आरजे-एस-1-03053268	पार्वती देवी	टीकम चन्द
346	अजमेर	आरजे-एस-1-03299305	प्रेमलता मिश्रा	रमेश दत्त
347	अजमेर	आरजे-एस-1-03208015	सावित्री देवी	पमन दास
348	अजमेर	आरजे-एस-1-03232956	लक्ष्मी देवी	अमृत कुमार
349	अजमेर	आरजे-एस-1-03321612	चंद्रकांता	ओमप्रकाश
350	अजमेर	आरजे-एस-1-03311918	मुन्नी देवी	सत्यनारायण
351	अजमेर	आरजे-एस-1-03200793	गंगा	तेजूमल
352	अजमेर	आरजे-एस-1-03295908	छोटी	रतनलाल
353	अजमेर	आरजे-एस-1-03274995	नोरती बाई	रतन लाल
354	अजमेर	आरजे-एस-1-03277834	लीला	किशन लाल
355	अजमेर	आरजे-एस-1-03242416	मस्तान शाह	कुर्बान शान
356	अजमेर	आरजे-एस-1-03478909	सलीमी देवी	हुर्रा कथात
357	अजमेर	आरजे-एस-1-06074766	सिस्टर सेलिना	एम एम जोसेफ
358	अजमेर	आरजे-एस-1-07021926	मार्था पैट्रिक पैट्रिक	रवीन्द्र कुमार
359	अजमेर	आरजे-एस-1-07114069	रेखा शर्मा शर्मा	लक्ष्मी नारायण
360	अजमेर	आरजे-एस-2-07123870	विशनी	नारायण दास
361	अजमेर	आरजे-एस-1-07298561	राधा देवी देवी	गिरधारी लाल
362	अजमेर	आरजे-एस-2-07300944	सतवंत कौर कौर	त्रिलोचन सिंह
363	अजमेर	आरजे-एस-1-07301623	माया देवी	किशन चन्द
364	अजमेर	आरजे-एस-1-07302490	राधा अग्रवाल अग्रवाल	भगवान दास
365	अजमेर	आरजे-एस-1-07134197	लता आसुदानी आसुदानी	प्रेम आसुदानी
366	अजमेर	आरजे-एस-1-07222374	दयावती	भगवान दास
367	अजमेर	आरजे-एस-2-07227572	सुनीता तुलसानी	तीर्थ दास
368	अजमेर	आरजे-एस-1-07237006	लक्ष्मी देवी गिडवानी	भाग चन्द
369	अजमेर	आरजे-एस-1-07256975	देवकी प्रह्लाद सिरवानी	प्रह्लाद
370	अजमेर	आरजे-एस-1-07260272	भागवती	मेवा राम
371	अजमेर	आरजे-एस-1-07270183	गीता देवी	नारसिंह
372	अजमेर	आरजे-एस-1-07132462	चन्दा देवी देवी	लाल दास
373	अजमेर	आरजे-एस-1-07119975	मीना देवी	प्रभु लाल

क्र. सं.	खण्ड का नाम	स्वीकृति संख्या	पेशनभोगी का नाम	पिता का नाम
374	अजमेर	आरजे-एस-2-07234642	कमला देवी	गोरधन लाल
375	अजमेर	आरजे-एस-1-07259545	झमकू	दल्ला जी
376	अजमेर	आरजे-एस-1-07294283	हीरा देवी देवी	राम प्रसाद
377	अजमेर	आरजे-एस-1-07015131	लोरेट्टा लोडेन लोडेन	जे पी लोडेन
378	अजमेर	आरजे-एस-1-07058541	मधु कँवर	शिवराज सिंह
379	अजमेर	आरजे-एस-1-07122824	रानी माथुर	विजय माथुर
380	अजमेर	आरजे-एस-1-07104509	कृष्णा देवी बिजावत बिजावत	किशन चन्द
381	अजमेर	आरजे-एस-1-07217335	दलबीर सिंह सिंह	हरबन्स सिंह
382	अजमेर	आरजे-एस-1-07262695	मोहन नागोरा नागोरा	देवी लाल
383	अजमेर	आरजे-एस-1-07103735	गणपत राय	लाला राम
384	अजमेर	आरजे-एस-1-07105371	सत्य नारायण झांवर	हरविलास
385	अजमेर	आरजे-एस-1-06221747	पुष्पा शर्मा	रवीन्द्र कुमार शर्मा
386	अजमेर	आरजे-एस-1-06341478	भावना अधिकारी	कमल सिंह
387	अजमेर	आरजे-एस-1-06357970	सन्तरा देवी	दीनदयाल
388	अजमेर	आरजे-एस-1-06577240	लक्ष्मी देवी	श्याम दास
389	अजमेर	आरजे-एस-1-06661451	राधा स्वामी	त्रिलोक चन्द
390	अजमेर	आरजे-एस-1-06625095	पूजा देवी	घनश्याम दास
391	अजमेर	आरजे-एस-1-06662789	सुन्दरी	हुंडल लाल
392	अजमेर	आरजे-एस-1-06253678	अफसरी बेगम	हाशमतुल्लाह
393	अजमेर	आरजे-एस-3-06197114	कमला देवी	बृज लाल चौहान
394	अजमेर	आरजे-एस-1-06434540	नाथी बाई	गोपी राम
395	अजमेर	आरजे-एस-1-06459740	गीता	नाहर सिंह
396	अजमेर	आरजे-एस-1-06579644	कमला	ताराचन्द
397	अजमेर	आरजे-एस-1-06297641	पाँची देवी रावत	चोगा सिंह रावत
398	अजमेर	आरजे-एस-1-06553674	किरण देवी	रतन लाल
399	अजमेर	आरजे-एस-1-06663934	मीरा मीरा	लक्ष्मण सिंह
400	अजमेर	आरजे-एस-1-06716968	कनीज फातमा	सैयद वाहिद हुसैन
401	अजमेर	आरजे-एस-1-06699638	हीरा बाई	सेवा राम
402	अजमेर	आरजे-एस-1-06434724	शांति देवी	भागचंद रावत
403	अजमेर	आरजे-एस-1-06683177	मैना	नेमी चन्द
404	अजमेर	आरजे-एस-1-06373027	विमला गहलोत	रमेश चन्द गहलोत
405	अजमेर	आरजे-एस-2-06349394	विद्याधर शास्त्री	द्वारका प्रसाद
406	अजमेर	आरजे-एस-1-06216326	वसीमा बीबी	दिलशाद हुसैन
407	अजमेर	आरजे-एस-1-06398179	जौहरी लाल जैन	लज्जाराम
408	अजमेर	आरजे-एस-1-06387635	आईशा स्नातून	मोहम्मद इस्लाम वारसी
409	अजमेर	आरजे-एस-1-06463667	नन्द लाल बंसल	दुली चन्द
410	अजमेर	आरजे-एस-1-06474021	घीसा सिंह	राजू सिंह
411	अजमेर	आरजे-एस-1-06477908	रतन देवी सोनी	सोभाग चंदर
412	अजमेर	आरजे-एस-1-06719058	निर्मल कुमार जैन	नेमी चन्द
413	अजमेर	आरजे-एस-1-07277507	रामू	बिरदा नाई
414	अजमेर	आरजे-एस-1-07212015	भँवर लाल लाल	मांगी लाल
415	अजमेर	आरजे-एस-1-06926588	धापू देवी	लादू
416	अलवर	आरजे-एस-1-00536120	जगना	भवानी सिंह
417	अलवर	आरजे-एस-1-00545955	ललता	मंगा लाल
418	अलवर	आरजे-एस-1-00553516	लक्ष्मी देवी	गोकुल चन्द
419	अलवर	आरजे-एस-2-00447967	प्यारो देवी	शंकर लाल
420	अलवर	आरजे-एस-1-00451031	पाची	पूरण मल
421	अलवर	आरजे-एस-1-00536102	फूल देवी	मोहन
422	अलवर	आरजे-एस-1-00447951	फूल देवी	भगवान
423	अलवर	आरजे-एस-1-03002408	सुमित्रा देवी	लक्ष्मी चन्द
424	अलवर	आरजे-एस-1-03002500	विमला	सोमनाथ
425	अलवर	आरजे-एस-1-03009503	राम बाई	राम लाल
426	अलवर	आरजे-एस-1-03047251	शकुन्तला	किशन लाल
427	अलवर	आरजे-एस-1-03002930	रामकली	पन्नालाल

क्र. सं.	खण्ड का नाम	स्वीकृति संख्या	पेशनभोगी का नाम	पिता का नाम
428	अलवर	आरजे-एस-1-03940464	ग्यारसी देवी शर्मा	किशन लाल
429	अलवर	आरजे-एस-1-03751568	चमली	मोहन लाल
430	अलवर	आरजे-एस-1-03942320	महेन्द्र कौर	मेवा सिंह
431	अलवर	आरजे-एस-1-03849842	गंगा	लीला राम
432	अलवर	आरजे-एस-1-03854907	नथी बाई	हीरा लाल जाटव
433	अलवर	आरजे-एस-1-03825382	त्रिवणी देवी	ओम प्रकाश
434	अलवर	आरजे-एस-1-04003767	रेवती देवी	कैलाश प्रसाद
435	अलवर	आरजे-एस-1-03646010	संगीता शर्मा	नन्द लाल
436	अलवर	आरजे-एस-1-03623962	बाघू	गिरधारी
437	अलवर	आरजे-एस-1-03651060	फूली देवी	हरया राम
438	अलवर	आरजे-एस-1-03892226	संतो देवी	शिवलाल
439	अलवर	आरजे-एस-1-03683469	मीरा सैन	राम बाबु सैन
440	अलवर	आरजे-एस-2-03679395	माया देवी	मोहनलाल
441	अलवर	आरजे-एस-2-03831873	चम्पा	किशन लाल
442	अलवर	आरजे-एस-1-03980094	लिच्चो	मोहन राम सैनी
443	अलवर	आरजे-एस-2-03987658	परम सैनी	मोहनलाल
444	अलवर	आरजे-एस-1-07018934	राधा लुहार	भजन लाल
445	अलवर	आरजे-एस-1-07130537	राधा सत्री	किशन लाल सत्री
446	अलवर	आरजे-एस-1-02364327	इमरती	शेरसिंह
447	अलवर	आरजे-एस-1-03094830	कलावती देवी	सुरेश चन्द
448	अलवर	आरजे-एस-2-03068820	फूल बाई	बालकिशन
449	अलवर	आरजे-एस-2-03061207	दीनदयाल गुप्ता	प्रभु दयाल गुप्ता
450	अलवर	आरजे-एस-1-03515528	जमनी	बालकिशन
451	अलवर	आरजे-एस-1-03471903	मालती देवी	हुकम चन्द
452	अलवर	आरजे-एस-1-03568561	राम सुखी	किशन गोपाल
453	अलवर	आरजे-एस-2-03469952	सीता देवी	मनोहर लाल
454	अलवर	आरजे-एस-1-03487941	किरण	किशोरी
455	अलवर	आरजे-एस-1-03487893	राम देवी	लक्ष्मी नारायण
456	अलवर	आरजे-एस-1-03471248	देश राज	जय दयाल
457	अलवर	आरजे-एस-1-03985128	विद्या देवी	विजय सिंह यादव
458	अलवर	आरजे-एस-1-04761136	गिरराजी देवी सैनी	कुन्दन सिंह
459	अलवर	आरजे-एस-1-04728879	सुस्वराम	श्यामबक्श
460	अलवर	आरजे-एस-1-04611851	मीना देवी सोनी	सीता राम सोनी
461	अलवर	आरजे-एस-1-07240499	मूलचन्द सैनी	ताराचन्द सैनी
462	अलवर	आरजे-एस-1-01765884	पुष्पा देवी सैनी	राजेन्द्र प्रसाद
463	अलवर	आरजे-एस-1-02558366	भोती देवी	किशोरी लाल
464	अलवर	आरजे-एस-1-03368278	किशन प्यारी	प्यारे लाल
465	अलवर	आरजे-एस-1-03407987	गुड्डी देवी	जगदीश
466	अलवर	आरजे-एस-1-03434543	शान्ति देवी	पूरण मल
467	अलवर	आरजे-एस-1-03348433	चन्द्रकला	रामकिशन
468	अलवर	आरजे-एस-1-05357314	कमला देवी	सहजराम
469	अलवर	आरजे-एस-1-05361768	ओमप्रकाश कपूर	लाल चन्द कपूर
470	अलवर	आरजे-एस-1-06768799	अंजू कौर	नानक सिंह
471	अलवर	आरजे-एस-1-01072590	सुगना	रामजी लाल
472	अलवर	आरजे-एस-1-01068745	पुष्पा देवी	यादराम
473	अलवर	आरजे-एस-1-01071503	प्रेम बाई	नारायण दास
474	अलवर	आरजे-एस-1-02792681	धर्म सिंह	दयाल सिंह
475	अलवर	आरजे-एस-1-02823726	मूलचन्द	गोरेलाल
476	अलवर	आरजे-एस-1-04150326	सोना देवी	लक्ष्मण राम
477	अलवर	आरजे-एस-1-04181327	फूला देवी	गंगा राम
478	अलवर	आरजे-एस-1-04286428	रानी देवी	भागचन्द गिजवानी
479	अलवर	आरजे-एस-2-04300805	कांता देवी	रामचन्द्र गुप्ता
480	अलवर	आरजे-एस-1-04317028	नारायणी	कजोड़राम
481	अलवर	आरजे-एस-1-04363113	छोटा देवी	आनन्दी लाल



क्र. सं.	खण्ड का नाम	स्वीकृति संख्या	पेशनभोगी का नाम	पिता का नाम
482	अलवर	आरजे-एस-3-04287533	पुष्पा देवी	सुभाष चन्द
483	अलवर	आरजे-एस-1-04354651	रामावतार साहू	लालाराम
484	अलवर	आरजे-एस-1-04929601	शकुन्तला देवी	श्याम विहारी गुप्ता
485	अलवर	आरजे-एस-1-06182332	प्रेम शर्मा	राधेश्याम शर्मा
486	बानसूर	आरजे-एस-2-01073785	संती देवी	सुजान सिंह
487	बानसूर	आरजे-एस-1-01148650	भवर कवर	मातादीन सिंह राजुत
488	बानसूर	आरजे-एस-1-02109785	सरवन देवी	भाम्भू राम मीणा
489	बानसूर	आरजे-एस-1-05315831	सरती देवी	भगवाना
490	बानसूर	आरजे-एस-1-06765851	प्रेम देवी	छीत्तर मल
491	बानसूर	आरजे-एस-1-06746563	बुद्धा राम	जीता राम
492	बानसूर	आरजे-एस-1-01684001	पारा देवी	साधू राम गुर्जर
493	बानसूर	आरजे-एस-1-02025890	तोफा देवी	दशरथ सिंह
494	बानसूर	आरजे-एस-1-05584314	सोनी देवी	छोटू
495	बानसूर	आरजे-एस-1-03111348	सरवन देवी	बन्सीराम
496	बानसूर	आरजे-एस-1-03860596	नारायणी देवी	मोजीराम
497	बानसूर	आरजे-एस-2-04096740	सुरजी देवी	नन्द राम स्वामी
498	बानसूर	आरजे-एस-1-04854501	फूला राम	बालू राम
499	बानसूर	आरजे-एस-3-06803620	प्रभाती देवी	रामनिवास
500	बानसूर	आरजे-एस-2-06812562	पन्ना देवी	रुगा दास
501	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-02898086	चंदरी	भूरा राम
502	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-02834811	केसरी देवी	कानाराम स्वीचड़
503	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-04362081	मोहनी देवी	नारायण लाल
504	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-05112839	सुप्यार कवर	हनुमान सिंह
505	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-04898596	गुल्ली देवी	केशु राम कुमावत
506	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-04950560	मुक्ति देवी	प्रताप दास स्वामी
507	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-04951211	पेमली देवी	चन्द्र राम यादव
508	दांतारामगढ़	आरजे-एस-3-05669744	बजाजी देवी बलाई	चन्द्र राम बलाई
509	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-01992234	अंजन कँवर	कल्याण सिंह
510	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-02768728	चुनकी देवी	आनन्दी लाल
511	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-03229138	भागचंद	नन्दराम
512	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-04798467	राधा देवी	लिछमण जाट
513	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-04654535	लाड कँवर	बचन सिंह
514	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-06994513	तुलसी देवी जाट	नारायण राम
515	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-01374202	रुकमा देवी	कज्जू राम बलाई
516	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-02387572	आचुकी देवी	मांगी लाल
517	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-02443776	बाली देवी	हनमान
518	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-02444021	केसर	दामा
519	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-03229074	सुप्यार कँवर	माल सिंह
520	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-02975280	नारायणी देवी	हनमान राम
521	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-03066644	रमली देवी	दला राम जाट
522	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-03162892	पैपी देवी	चूना राम
523	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-03452732	बालुड़ी देवी	भूरा राम
524	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-05033727	कवरी देवी	भोलू राम
525	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-05014778	पतासी	दोला राम
526	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-05304986	गुली देवी	जोधरा राम जाट
527	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-05339251	भगवानी देवी	गोदू राम कुमावत
528	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-05103237	मूंगा लाल बागरी	हनुमान प्रसाद बागरी
529	दांतारामगढ़	आरजे-एस-2-02185640	फूली देवी	भैरू राम रैगर
530	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-02157534	लाडूड़ी	बोदूराम
531	दांतारामगढ़	आरजे-एस-2-02198577	हवा कँवर	सवाई सिंह
532	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-03306874	नारायणी देवी	भोलू राम
533	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-03848553	शान्ति	मूला राम
534	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-04790640	मांगी देवी	मांगू राम
535	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-05159113	बिरदी देवी	छोटू राम

क्र. सं.	खण्ड का नाम	स्वीकृति संख्या	पेशनभोगी का नाम	पिता का नाम
536	दांतारामगढ़	आरजे-एस-1-05133006	चंदरी देवी	जसा राम जाट
537	दौसा	आरजे-एस-1-04616766	नारायण सैनी	बिरदा सैनी
538	दौसा	आरजे-एस-1-05306604	पांची देवी सैनी	मूलचंद सैनी
539	दौसा	आरजे-एस-1-05902200	शान्ति देवी	रंगल लाल बैरवा
540	दौसा	आरजे-एस-2-06460115	लक्ष्मा देवी	अर्जुन लाल मीणा
541	दुदू	आरजे-एस-3-03102888	माली देवी रैगर	कानाराम रैगर
542	दुदू	आरजे-एस-1-03739256	गुलाब देवी	नाथूराम बैरवा
543	दुदू	आरजे-एस-1-03454709	भँवर लाल जाट	भोलू राम जाट
544	दुदू	आरजे-एस-1-04660816	सोनी देवी	मनसुस
545	दुदू	आरजे-एस-2-05405387	रामकन्या	भँवर लाल
546	दुदू	आरजे-एस-1-05405504	सजना देवी	रामचन्द्र जाट
547	दुदू	आरजे-एस-1-05405258	भँवर लाल	पाचू राम
548	दुदू	आरजे-एस-1-05404798	रामचन्द्र	गोरधन
549	दुदू	आरजे-एस-1-01594963	सुवा देवी	श्रवण लाल
550	दुदू	आरजे-एस-2-01512740	गोपी राम जाट	गोरधन जाट
551	दुदू	आरजे-एस-2-03120887	गोपाली देवी बैरवा	श्योजीराम बैरवा
552	दुदू	आरजे-एस-1-03696584	कंवरी देवी	देवकरण
553	दुदू	आरजे-एस-1-05127056	भोलू राम	हीरा राम जाट
554	दुदू	आरजे-एस-1-02484290	श्रवण लाल	भूरा राम जाट
555	दुदू	आरजे-एस-1-03531870	केली देवी	किशन राम
556	दुदू	आरजे-एस-1-04034730	रामप्यारी देवी	गंगा राम
557	किशनगढ़	आरजे-एस-1-02939052	हरचन्द	मुकना
558	किशनगढ़	आरजे-एस-1-03113449	भँवर लाल	रामपाल स्टीक
559	किशनगढ़	आरजे-एस-1-03123549	द्वारका प्रसाद	रूपा दास
560	किशनगढ़	आरजे-एस-1-04201557	सायरी देवी	गोपाल रेगर
561	किशनगढ़	आरजे-एस-1-01947377	रामप्यारी	देवी लाल
562	किशनगढ़	आरजे-एस-1-03122440	मोतीराम	सोरम जाजून्दा
563	किशनगढ़	आरजे-एस-1-03015265	रुकमा	भँवर लाल
564	किशनगढ़	आरजे-एस-1-05333497	पन्ना	बीजा रेगर
565	किशनगढ़	आरजे-एस-1-05341571	भँवरी देवी	श्योराम
566	किशनगढ़	आरजे-एस-1-05986144	चोथी रेगर	रामेश्वर रेगर
567	किशनगढ़	आरजे-एस-1-03049517	झमरी देवी	मोती राम रेगर
568	किशनगढ़	आरजे-एस-2-03274127	भागचन्द पाराशर	बाबूलाल
569	किशनगढ़	आरजे-एस-1-03810933	सावित्री देवी	बजरंग लाल शर्मा
570	किशनगढ़	आरजे-एस-1-03364622	घीसी देवी	काना गुर्जर
571	किशनगढ़	आरजे-एस-1-04312552	रतन लाल जाट	हीरा लाल जाट
572	किशनगढ़	आरजे-एस-1-04826028	संतोष कँवर	मोती सिंह
573	किशनगढ़	आरजे-एस-1-06481117	रुकमा देवी जाट	रामा जाट
574	लालसोट	आरजे-एस-1-00656899	रमकी देवी प्रजापत	रामचन्द्र प्रजापत
575	लालसोट	आरजे-एस-1-05650357	राम चन्द्र गुर्जर	रणजीत गुर्जर
576	लालसोट	आरजे-एस-1-01976211	रामपति देवी जागा	रामेश्वर जगा
577	मालपुरा	आरजे-एस-1-04872595	रामप्यारी देवी	बजरंग दरोगा
578	सीकर	आरजे-एस-1-02409487	नज़मा बानो	उस्मानगनी
579	सीकर	आरजे-एस-1-02453133	पतासी देवी	शिव करण
580	सीकर	आरजे-एस-1-04765733	रामदेव	केशा राम
581	सीकर	आरजे-एस-1-03513329	घोकी देवी	गणपत राम
582	सीकर	आरजे-एस-1-04074747	जमीला	महमूद
583	सीकर	आरजे-एस-1-05298754	रजिया बानो	अनवर अली
584	सीकर	आरजे-एस-1-05244252	गीता देवी	बाबु लाल
585	सीकर	आरजे-एस-1-05265577	पार्वती देवी	सुरजाराम ढाका
586	सीकर	आरजे-एस-1-05327166	शान्ति देवी	रुघनाथ सैनी
587	सीकर	आरजे-एस-1-05125027	सजना देवी	मोहन लाल
588	सीकर	आरजे-एस-1-05113633	रतंदी देवी	मांगी लाल
589	सीकर	आरजे-एस-1-04446599	सोनी	माजिद सान

क्र. सं.	खण्ड का नाम	स्वीकृति संख्या	पेशनभोगी का नाम	पिता का नाम
590	सीकर	आरजे-एस-2-05079333	जीवनी देवी	अलादीन
591	सीकर	आरजे-एस-2-05319565	विमला देवी नायक	नाथूराम नायक
592	सीकर	आरजे-एस-1-05357691	नाराणी देवी	दानाराम
593	सीकर	आरजे-एस-1-05270115	चाँद बानो	सुदा बक्श
594	सीकर	आरजे-एस-1-05177266	राधा देवी	चूला राम
595	सीकर	आरजे-एस-2-05127697	सत्यनारायण	जमना लाल
596	सीकर	आरजे-एस-1-03128961	मोहनी देवी	भँवरी लाल
597	सीकर	आरजे-एस-1-02485967	दीनदयाल माथुर	चागुलाल
598	सीकर	आरजे-एस-2-04796457	मंगेज देवी	नाथ मल पारीक
599	सीकर	आरजे-एस-1-05180044	शुगरा	अब्दुल गफ्फूर
600	सीकर	आरजे-एस-1-05123443	लियाकत	अब्दुल्लाह
601	सीकर	आरजे-एस-1-05164903	सबीर	भूरे सा
602	सीकर	आरजे-एस-1-05370645	माया देवी नायक	गणपत राम नायक
603	टोंक	आरजे-एस-1-04910973	रशीदा	मोहम्मद युसूफ
604	टोंक	आरजे-एस-1-01360839	हमीदा बे	मकबूल अमहद
605	टोंक	आरजे-एस-1-01357098	जैनब	फय्याज
606	सांभर	आरजे-एस-1-04009276	आचुकी देवी	केदारमल सैन
607	सांभर	आरजे-एस-1-02658898	राधा देवी	ईश्वर लाल कुमावत

## परिशिष्ट

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.10.5 (क) (ii))

राजएसएसपी की "हज्बेड डाइवोर्स इश्यूइंग ऑथोरिटी" तालिका का आवश्यक जानकारी नहीं दर्शाने वाला स्क्रीनशॉट

AppId	AppNo	Appdate	Appid	Applicat ion Status	DOB	First Pay Date	Frane	Gen der	Husband Divorce Issuing Authority	Husband Divorce IssuingDate	Lnam e	Maita l Statu s	Name	Numbe r of Reco rd	Sancton Date	SanctonNo	Socia l Sche	Stop Date	Stop Reason Code	Trans Date
4E+06	RJ-A-04462733	06-06-2013	4462733		15-06-06-1992	06-01-2013	Pannalal	1					3 Lila Nayak	1	6/14/2013	RJ-S-04462733	1	####	0	#####
4E+06	RJ-A-03947565	06-01-2013	3947565		19-06-01-1950	06-01-2013	Mangal Jai	1					1 SBI Shanti	1	06-05-2013	RJ-S-03947565	1	12/25	0	#####
5E+06	RJ-A-04611324	06-06-2013	4611324		19-06-06-1979	06-01-2013	Yogesh Pramar	1					3 Lara Pimar	1	6/14/2013	RJ-S-04611324	1	2/28/	0	6/14/2013 11:34:00 AM
4E+06	RJ-A-03990696	06-02-2013	3990696		15-06-02-1926	06-01-2013	Gulac Khan	1					1 Ahoj	1	06-05-2013	RJ-S-03990696	1	####	0	#####
4E+06	RJ-A-03990731	06-02-2013	3990731		15-06-02-1966	06-01-2013	Sher Singh	1					1 Mathua	1	06-05-2013	RJ-S-03990731	1	####	0	#####
4E+06	RJ-A-03990845	06-02-2013	3990845		15-06-02-1973	06-01-2013	Chunni Lal	1					1 Parvati Devi	1	06-05-2013	RJ-S-03990845	13	####	0	#####
4E+06	RJ-A-03991044	5/26/2013	3991044		15-5/26/1994	06-01-2013	Gordhan Das	1					1 Anita	1	06-05-2013	RJ-S-03991044	1	####	0	#####
4E+06	RJ-A-03991163	06-02-2013	3991163		15-06-02-1994	06-01-2013	Mansul Khan	1					1 Mina	1	06-05-2013	RJ-S-03991163	1	####	0	#####
4E+06	RJ-A-03998827	06-02-2013	3998827		19-06-02-1985	06-01-2013	Nur Dhammed	1					1 Alzana	1	06-05-2013	RJ-S-03998827	1	####	0	#####
4E+06	RJ-A-03998892	06-02-2013	3998892		15-06-02-1973	06-01-2013	Pukhraj	1					1 Mathua	1	06-05-2013	RJ-S-03998892	13	####	0	#####
4E+06	RJ-A-03998966	06-02-2013	3998966		15-06-02-1986	06-01-2013	Chela Ram	1					1 Rakha	1	06-05-2013	RJ-S-03998966	13	####	0	#####
4E+06	RJ-A-04027108	06-02-2013	4027108		15-06-02-1985	06-01-2013	Mohammad Raik	1					1 Shahjaha	1	06-05-2013	RJ-S-04027108	1	####	0	#####
4E+06	RJ-A-04027178	06-02-2013	4027178		15-06-02-1989	06-01-2013	Shiv Kumar	1					1 Neetu Kumari	1	06-05-2013	RJ-S-04027178	13	####	0	#####
4E+06	RJ-A-03963527	06-01-2013	3963527		15-06-01-1982	06-01-2013	Mohammad Sharif	1					1 Sakira	1	06-04-2013	RJ-S-03963527	1	####	0	#####
4E+06	RJ-A-03964458	06-01-2013	3964458		15-06-01-1977	06-01-2013	Mehamud Khan	1					3 Mehruisha	1	06-04-2013	RJ-S-03964458	1	####	0	#####
4E+06	RJ-A-04332534	06-05-2013	4332534		15-06-05-1974	06-01-2013	Jalir Hussain	1					3 Shanin	1	06-11-2013	RJ-S-04332534	1	####	0	10/24/2013 4:54:00 PM
4E+06	RJ-A-04333100	06-05-2013	4333100		15-06-05-1970	06-01-2013	Gonlal J	1					3 Anba Bai Khark	1	06-11-2013	RJ-S-04333100	13	####	0	11/20/2013 10:51:00 AM
4E+06	RJ-A-04413232	06-04-2013	4413232		15-06-04-1975	06-01-2013	Dhul J	1					3 Lalra Vaid	1	06-12-2013	RJ-S-04413232	1	####	0	#####
4E+06	RJ-A-04298283	06-03-2013	4298283		15-09-01-1961	06-01-2013	Suresh	1					3 Maya Petare	1	06-11-2013	RJ-S-04298283	13	####	0	10/13/2013 10:42:00 AM
4E+06	RJ-A-03962736	06-01-2013	3962736		15-06-01-1973	06-01-2013	Kaim Baksa	1					1 Nazim	1	06-04-2013	RJ-S-03962736	1	####	0	2/28/2014 1:38:00 PM
5E+06	RJ-A-04898885	06-06-2013	4898885		15-06-06-1966	06-01-2013	Ramesh Chandra J	1					3 Hemlata Sharna	1	6/25/2013	RJ-S-04898885	1	####	0	#####
4E+06	RJ-A-04243557	06-03-2013	4243557		15-06-03-1959	06-01-2013	Bhenulal	1					3 Suraj Bai	1	06-06-2013	RJ-S-04243557	14	####	0	10/17/2013 3:26:00 PM
4E+06	RJ-A-04098833	06-01-2013	4098833		15-06-01-1966	06-01-2013	Jagnath J	1					1 Karla	1	06-04-2013	RJ-S-04098833	14	####	0	12/18/2013 9:49:00 AM
4E+06	RJ-A-04418829	06-07-2013	4418829		15-06-07-1983	06-01-2013	Khetaram J	1					3 Ganga Bai	1	06-12-2013	RJ-S-04418829	14	####	0	12/18/2013 9:55:00 AM
5E+06	RJ-A-04571416	06-06-2013	4571416		15-06-06-1973	06-01-2013	Moh Saide Khan	1					3 Rahana Bano	1	6/14/2013	RJ-S-04571416	1	####	0	#####
4E+06	RJ-A-04242570	06-03-2013	4242570		15-06-03-1977	06-01-2013	Lal Chand	1					3 Babi	1	06-06-2013	RJ-S-04242570	1	####	0	10/14/2013 12:24:00 PM
4E+06	RJ-A-04298940	06-03-2013	4298940		15-06-03-1989	06-01-2013	Bhaerati Lal	1					1 Kuran Phaisar	1	06-11-2013	RJ-S-04298940	1	####	0	#####

परिशिष्ट ठ

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.10.5 (क) (iii))

राजएसएसपी में शिकायतों के विवरण रहित शिकायत निवारण तालिका का स्क्रीनशॉट

View Data: null query

575 rows  Show aliases  Show all fields

Description	Disbursement Code	Dob	First Pay Date	Fname	Lname	Name	Query Date	Query Id	Repreance Date	Revert Id	Sanction Date	Sanction No	Social Sch
Null	1	4/23/1955	4/1/2013	Bhaqa	Null	Hakri	12/16/2019 12:51:47 PM	27281	4/1/2013	45758674	4/27/2013	RJ-S-1-01909272	
Null	0	4/7/1943	4/1/2013	Gajadhar	Null	Saurnoti	4/9/2017 1:26:37 PM	2214	4/1/2013	0	4/11/2013	RJ-S-01830503	
Null	1	5/3/1952	5/1/2013	Maniram Swami	Null	Kamla	11/8/2017 11:45:27 AM	6046	5/1/2013	0	5/7/2013	RJ-S-02064755	
Null	1	5/2/1922	5/1/2013	Gopi Ram	Null	Prabhati Devi	3/9/2018 8:25:13 PM	8700	5/1/2013	45085894	5/3/2013	RJ-S-1-02057985	
Null	0	5/19/1953	5/1/2013	Ram Karan	Null	Bhulya	11/13/2017 12:09:30 PM	6132	5/1/2013	0	5/22/2013	RJ-S-02887926	
Null	0	5/19/1953	5/1/2013	Ram Karan	Null	Bhulya	11/13/2017 12:09:27 PM	6131	5/1/2013	0	5/22/2013	RJ-S-02887926	
Null	1	5/1/1953	5/1/2013	Tilok Ram Jat	Null	Kamla	4/26/2019 11:19:21 AM	17109	5/1/2013	0	5/21/2013	RJ-S-02893210	
Null	1	5/15/1955	5/1/2013	Dula Ram Gurjar	Null	Banna Ram Gurjar	6/18/2017 9:35:55 AM	3022	5/1/2013	0	5/15/2013	RJ-S-02551072	
Null	1	5/15/1955	5/1/2013	Dula Ram Gurjar	Null	Banna Ram Gurjar	6/15/2017 2:11:48 PM	2987	5/1/2013	0	5/15/2013	RJ-S-02551072	
Null	1	5/15/1954	5/1/2013	Surja Ram Jat	Null	Girdhari Lal	7/31/2017 12:40:08 PM	4515	5/1/2013	0	5/15/2013	RJ-S-02576171	
Null	0	5/23/1926	5/1/2013	Jodha Ram	Null	Narayanlal Yadav	7/13/2017 1:32:38 PM	4294	5/1/2013	0	5/27/2013	RJ-S-03488220	
Null	0	5/23/1926	5/1/2013	Jodha Ram	Null	Narayanlal Yadav	7/13/2017 1:31:29 PM	4293	5/1/2013	0	5/27/2013	RJ-S-03488220	
Null	0	5/23/1926	5/1/2013	Jodha Ram	Null	Narayanlal Yadav	8/13/2017 10:27:09 AM	4667	5/1/2013	0	5/27/2013	RJ-S-03488220	
Null	0	5/23/1926	5/1/2013	Jodha Ram	Null	Narayanlal Yadav	8/13/2017 10:23:26 AM	4665	5/1/2013	0	5/27/2013	RJ-S-03488220	
Null	0	5/23/1926	5/1/2013	Jodha Ram	Null	Narayanlal Yadav	8/13/2017 10:23:21 AM	4664	5/1/2013	0	5/27/2013	RJ-S-03488220	
Null	0	5/23/1926	5/1/2013	Jodha Ram	Null	Narayanlal Yadav	8/13/2017 10:23:20 AM	4663	5/1/2013	0	5/27/2013	RJ-S-03488220	
Null	0	5/23/1926	5/1/2013	Jodha Ram	Null	Narayanlal Yadav	8/13/2017 10:23:19 AM	4661	5/1/2013	0	5/27/2013	RJ-S-03488220	
Null	0	5/23/1926	5/1/2013	Jodha Ram	Null	Narayanlal Yadav	8/13/2017 10:23:18 AM	4660	5/1/2013	0	5/27/2013	RJ-S-03488220	
Null	1	5/4/1953	5/1/2013	Gopi Ram Balal	Null	Dhadkii Devi	12/6/2017 6:28:33 PM	6520	5/1/2013	0	5/21/2013	RJ-S-02046397	
Null	1	5/4/1953	5/1/2013	Gopi Ram Balal	Null	Dhadkii Devi	12/6/2017 6:28:32 PM	6519	5/1/2013	0	5/21/2013	RJ-S-02046397	
Null	1	5/25/1957	5/1/2013	Ranga	Null	Hur	5/27/2017 2:01:54 PM	2772	5/1/2013	0	5/26/2013	RJ-S-03369372	
Null	1	5/24/1940	5/1/2013	Ramsukha	Null	Cheta Ram	2/5/2018 10:56:01 AM	8038	5/1/2013	0	5/24/2013	RJ-S-03260391	
Null	1	5/23/1950	5/1/2013	Mada Ram	Null	Tapu Ram	12/14/2017 2:51:08 PM	6668	7/1/2017	44968941	5/26/2013	RJ-S-1-03244582	
Null	0	6/4/1939	6/1/2013	Pratha Meena	Null	Doli Bai	4/26/2017 1:06:56 PM	2433	6/1/2013	0	6/5/2013	RJ-S-04131451	
Null	0	6/1/1952	6/1/2013	Ramnarayan	Null	Soni Devi	9/5/2019 5:01:31 AM	21108	7/1/2017	0	6/8/2013	RJ-S-04250132	
Null	1	1/1/1950	6/1/2013	Shyodan Ram	Null	Chandrawali Devi	6/6/2017 5:34:42 PM	2880	7/1/2016	0	6/26/2013	RJ-S-04083534	
Null	1	6/1/1952	6/1/2013	Narayan	Null	Laxmi Devi	1/22/2019 9:47:04 AM	14570	12/1/2016	0	6/23/2013	RJ-S-03917050	
Null	1	1/25/1953	1/1/2011	Prabhu Meena	Null	Dhanni Devi	7/5/2017 6:21:04 PM	3184	6/1/2015	0	1/25/2011	RJ-S-01102708	
Null	1	1/25/1953	1/1/2011	Prabhu Meena	Null	Dhanni Devi	7/5/2017 6:21:03 PM	3183	6/1/2015	0	1/25/2011	RJ-S-01102708	
Null	1	1/25/1953	1/1/2011	Prabhu Meena	Null	Dhanni Devi	7/5/2017 6:21:03 PM	3182	6/1/2015	0	1/25/2011	RJ-S-01102708	
Null	1	11/26/1928	6/1/2013	Ramji	Null	NANI	11/16/2017 8:58:43 PM	6201	11/1/2001	46450274	11/26/2001	RJ-S-1-00915691	
Null	1	11/26/1928	6/1/2013	Ramji	Null	NANI	11/16/2017 8:58:52 PM	6202	11/1/2001	46450274	11/26/2001	RJ-S-1-00915691	
Null	1	11/24/1971	2/1/2012	Dipsingh Rajput	Null	Paras Kanwar	1/24/2018 8:24:59 AM	7750	11/1/2006	0	11/24/2006	RJ-S-01044500	
Null	1	10/12/1975	4/1/2012	Ramswoop Kumawat	Null	Kamla Devi	7/28/2017 11:54:08 AM	4484	10/1/2011	0	10/12/2011	RJ-S-01409284	
Null	1	10/12/1975	4/1/2012	Ramswoop Kumawat	Null	Kamla Devi	7/28/2017 11:54:13 AM	4485	10/1/2011	0	10/12/2011	RJ-S-01409284	
Null	1	2/1/1961	2/1/2013	Prbhu Narayan Sharma	Null	Teeja Devi	3/3/2019 2:24:52 PM	15907	2/1/2013	0	2/5/2013	RJ-S-01625338	
Null	1	1/15/1932	5/1/2013	Kaloram Bawariya	Bawariya	Khani Bawariya	3/22/2018 7:06:03 PM	9054	1/1/2013	0	1/18/2013	RJ-S-01585419	
Null	0	5/1/1938	5/1/2013	Bhura	Null	Madho	3/4/2018 9:03:17 PM	8569	5/1/2013	0	5/18/2013	RJ-S-02492170	
Null	0	5/1/1951	5/1/2013	Chandu Ram	Null	Rukma	3/19/2018 9:38:28 AM	8928	5/1/2013	0	5/18/2013	RJ-S-02497690	
Null	1	5/12/1953	5/1/2013	Rameshwar Shrama	Null	Lada Devi	12/29/2017 12:37:00 PM	6965	8/1/2017	44817116	5/12/2013	RJ-S-1-02379894	
Null	1	5/12/1953	5/1/2013	Rameshwar Shrama	Null	Lada Devi	12/29/2017 2:23:04 PM	6970	8/1/2017	44817116	5/12/2013	RJ-S-1-02379894	
Null	1	5/12/1953	5/1/2013	Rameshwar Shrama	Null	Lada Devi	12/29/2017 2:25:32 PM	6971	8/1/2017	44817116	5/12/2013	RJ-S-1-02379894	
Null	1	5/12/1953	5/1/2013	Rameshwar Shrama	Null	Lada Devi	12/29/2017 12:39:00 PM	6966	8/1/2017	44817116	5/12/2013	RJ-S-1-02379894	
Null	1	5/10/1940	5/1/2013	Ummeda Ram Jat	Null	Ksumbi Devi	5/24/2017 7:49:46 PM	2745	5/1/2013	0	5/15/2013	RJ-S-02474797	

Summary Full Data 575 rows

## परिशिष्ट ड

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.10.5 (ग) (i))

पेंशन के झूठे भुगतान को दर्शाने वाले राजएसएसपी के पेंशनभोगी भुगतान रजिस्टर (ओएपी 7) का स्क्रीनशॉट

Pensioner's Payment Register (OAP-7)															
Pensioner Name : Kakodevi			District Name : BARMER			Block Name : FAGLIYA									
Father Name : Nimba Ram			Grampanchayat Name : FAGLIYA			Village Name : HEMAWAS									
Sanction Date : 24/09/2019			Represece Date : 01/09/2019			Date of Birth : 01/01/1963									
Current Bank/Postoffice Branch Name (IFSC) : STATE BANK OF INDIA-SERWA (SBIN0031704)						Current Account No. : 36888947748									
Address : Hemawas, Phagliya, SERWA, Barmer						Current Disbursment : BANK ACCOUNT									
Current Status : Regular Pensioner															
Treasury Name	Scheme Name	Sanction No./ OLDPPNo.	Month-Year	St. Bill No.- St. Bill Date	St. Ref.No.- Ct. Ref.No.- MO Serial No	St. TV No.-St. TV Date	Disbursment Bill Pay No.- Bill Pay Date	Account No.	Bank/PO Branch Name (IFSC)	Retrun Date Return Reason	St. Share	Ct. Share	Amt	Rec.Amt	Print Status
SEDVA	CMOAPS-SC	RJ-S-10088938 / RJ-S-10088938	September-2019	536-02/12/2019	1221959		BANK ACCOUNT	36888947748	STATE BANK OF INDIA-SERWA (SBIN0031704)	/	750	0	750	0	NonPrint
			October-2019	555-02/12/2019	1222215		BANK ACCOUNT	36888947748	STATE BANK OF INDIA-SERWA (SBIN0031704)	/	750	0	750	0	Print
			November-2019	555-02/12/2019	1222215		BANK ACCOUNT	36888947748	STATE BANK OF INDIA-SERWA (SBIN0031704)	/	750	0	750	0	Print
			December-2019	607-27/12/2019	1241888		BANK ACCOUNT	36888947748	STATE BANK OF INDIA-SERWA (SBIN0031704)	/	750	0	750	0	Print
			January-2020	661-21/01/2020	1252497	130708-03/03/2020	BANK ACCOUNT	36888947748	STATE BANK OF INDIA-SERWA (SBIN0031704)	/	750	0	750	0	Print
			February-2020	74-13/04/2020	1326950	3697-15/04/2020	BANK ACCOUNT	36888947748	STATE BANK OF INDIA-SERWA (SBIN0031704)	/	750	0	750	0	Print
			March-2020	10-01/04/2020	1319021	1875-03/04/2020	BANK ACCOUNT	36888947748	STATE BANK OF INDIA-SERWA (SBIN0031704)	/	750	0	750	0	Print
Total Paid Amount											5250	0	5250		
rajssp.raj.nic.in			19/06/2021 01:20:44			1 of 1									

## परिशिष्ट ढ

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.10.5 (ग) (i))

टीवी संख्या रहित पेंशन भुगतानों को दर्शाने वाला स्क्रीनशॉट

Pensioner's Payment Register (OAP-7)															
Pensioner Name : Mohan Father Name : Kishna Sanction Date : 10/07/2015 Current Bank/Postoffice Branch Name (IFSC) : Marudhra Gramin Bank SBI-Peeh (RMGB0000371) Address : V- Gorji Ka Pura Po- Kundari					District Name : NAGAUR Grampanchayat Name : KUNDARI Reprentance Date : 01/07/2015					Block Name : PARBATSAR Village Name : GORJI KA PURA Date of Birth : 10/07/1955 Current Account No. : 83029574158 Current Disbursement : BANK ACCOUNT					
Current Status : Regular Pensioner															
Treasury Name	Scheme Name	Sanction No./ OLDPPONO.	Month-Year	St. Bill No.- St. Bill Date Ct. Bill No.- Ct. Bill Date	St. Ref.No.- Ct. Ref.No.-- MO Serial No	St. TV No.- St. TV Date Ct. TV No.- Ct. TV Date	Disbursement Bill Pay No- Bill Pay Date	Account No.	Bank/PO Branch Name (IFSC)	Retrun Date Return Reason	St. Share	Ct. Share	Amt	Rec. Amt	Print Status
NAGAUR	CMOAPS-SC	RJ-S-07110342 / RJ-S-07110342	April-2021	1404821-30/04/2021	1404821	23374-07/05/2021	BANK ACCOUNT	83029574158	Marudhra Gramin Bank SBI-Peeh (RMGB0000371)	/	750	0	750	0	NonPrint
			May-2021	1407262-27/05/2021	1407262	35330-09/06/2021	BANK ACCOUNT	83029574158	Marudhra Gramin Bank SBI-Peeh (RMGB0000371)	/	750	0	750	0	NonPrint
			June-2021	1409659-29/06/2021	1409659	49713-30/07/2021	BANK ACCOUNT	83029574158	Marudhra Gramin Bank SBI-Peeh (RMGB0000371)	/	750	0	750	0	NonPrint
			July-2021	1412627-30/07/2021	1412627	60373-16/08/2021	BANK ACCOUNT	83029574158	Marudhra Gramin Bank SBI-Peeh (RMGB0000371)	/	750	0	750	0	NonPrint
			August-2021	1415834-28/08/2021	1415834		BANK ACCOUNT	83029574158	Marudhra Gramin Bank SBI-Peeh (RMGB0000371)	/	750	0	750	0	NonPrint
Total Paid Amount											3750	0	3750		

rajssp.raj.nic.in 01/09/2021 12:41:55 1 of 1

Pensioner's Payment Register (OAP-7)															
Pensioner Name : Sugani Father Name : shrikishan Sanction Date : 09/10/2018 Current Bank/Postoffice Branch Name (IFSC) : UCO BANK-BABAICHA (UCBA0001182) Address : Mandowari, Kaletara, Parbatsar, Nagaur					District Name : NAGAUR Grampanchayat Name : KALETRA Reprentance Date : 01/10/2018					Block Name : PARBATSAR Village Name : MANDOWARI Date of Birth : 01/01/1963 Current Account No. : 11823211002192 Current Disbursement : BANK ACCOUNT					
Current Status : Regular Pensioner															
Treasury Name	Scheme Name	Sanction No./ OLDPPONO.	Month-Year	St. Bill No.- St. Bill Date Ct. Bill No.- Ct. Bill Date	St. Ref.No.- Ct. Ref.No.-- MO Serial No	St. TV No.- St. TV Date Ct. TV No.- Ct. TV Date	Disbursement Bill Pay No- Bill Pay Date	Account No.	Bank/PO Branch Name (IFSC)	Retrun Date Return Reason	St. Share	Ct. Share	Amt	Rec. Amt	Print Status
NAGAUR	CMOAPS-SC	RJ-S-08819342 / RJ-S-08819342	April-2021	1405115-30/04/2021	1405115	22254-05/05/2021	BANK ACCOUNT	11823211002192	UCO BANK-BABAICHA (UCBA0001182)	/	750	0	750	0	NonPrint
			May-2021	1407001-27/05/2021	1407001	35248-09/06/2021	BANK ACCOUNT	11823211002192	UCO BANK-BABAICHA (UCBA0001182)	/	750	0	750	0	NonPrint
			June-2021	1409588-29/06/2021	1409588	49289-29/07/2021	BANK ACCOUNT	11823211002192	UCO BANK-BABAICHA (UCBA0001182)	/	750	0	750	0	NonPrint
			July-2021	1412498-30/07/2021	1412498	62464-12/08/2021	BANK ACCOUNT	11823211002192	UCO BANK-BABAICHA (UCBA0001182)	/	750	0	750	0	NonPrint
			August-2021	1415705-28/08/2021	1415705		BANK ACCOUNT	11823211002192	UCO BANK-BABAICHA (UCBA0001182)	/	750	0	750	0	NonPrint
Total Paid Amount											3750	0	3750		

rajssp.raj.nic.in 01/09/2021 12:43:46 1 of 1

Pensioner's Payment Register (OAP-7)															
Pensioner Name : Magani Father Name : Ghisaram Sanction Date : 17/09/2018 Current Bank/Postoffice Branch Name (IFSC) : STATE BANK OF INDIA-DESURI (SBIN0031192) Address : 524 Lato Ka Baas, Desuri, Pali Current Status : Regular Pensioner				District Name : PALI Grampanchayat Name : DESURI Repreance Date : 01/09/2018				Block Name : DESURI Village Name : DESURI Date of Birth : 01/01/1958 Current Account No. : 61259253690 Current Disbursement : BANK ACCOUNT							
Treasury Name	Scheme Name	Sanction No./ OLDPPO No.	Month- Year	St. Bill No.- St. Bill Date Ct. Bill No.- Ct. Bill Date	St. Ref.No.- Ct. Ref.No.- MO Serial No	St. TV No.- St. TV Date Ct. TV No.- Ct. TV Date	Disbursement Bill Pay No- Bill Pay Date	Account No.	Bank/PO Branch Name (IFSC)	Retrun Date Return Reason	St. Share	Ct. Share	Amt	Rec. Amt	Print Status
PALI	CMOAPS	RJ-S-08857725 / RJ-S-08857725	April-2021	1404918- 30/04/2021	1404918	22994- 06/05/2021	BANK ACCOUNT	61259253690	STATE BANK OF INDIA- DESURI (SBIN003119 2)	/	750	0	750	0	NonPrin t
			May-2021	1407220- 27/05/2021	1407220	34794- 08/06/2021	BANK ACCOUNT	61259253690	STATE BANK OF INDIA- DESURI (SBIN003119 2)	/	750	0	750	0	NonPrin t
			June-2021	1409631- 29/06/2021	1409631	48977- 28/07/2021	BANK ACCOUNT	61259253690	STATE BANK OF INDIA- DESURI (SBIN003119 2)	/	750	0	750	0	NonPrin t
			July-2021	1412502- 30/07/2021	1412502	62466- 12/08/2021	BANK ACCOUNT	61259253690	STATE BANK OF INDIA- DESURI (SBIN003119 2)	/	750	0	750	0	NonPrin t
			August-2021	1415810- 28/08/2021	1415810		BANK ACCOUNT	61259253690	STATE BANK OF INDIA- DESURI (SBIN003119 2)	/	750	0	750	0	NonPrin t
Total Paid Amount											3750	0	3750		

rajssp.raj.nic.in

01/09/2021 12:44:55

1 of 1

Pensioner's Payment Register (OAP-7)															
Pensioner Name : Gyan Father Name : Hari Singh Sanction Date : 28/05/2019 Current Bank/Postoffice Branch Name (IFSC) : Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank-Garoda (BARB0BRGBXX) Address : Hanman Singh, MIRAND, MIRAN, LAXMANGARH, Sikar				District Name : SIKAR Grampanchayat Name : MEERAN Repreance Date : 01/05/2019				Block Name : NECHWA Village Name : MIRAND Date of Birth : 01/01/1955 Current Account No. : 45300100007140 Current Disbursement : BANK ACCOUNT							
Treasury Name	Scheme Name	Sanction No./ OLDPPO No.	Month- Year	St. Bill No.- St. Bill Date Ct. Bill No.- Ct. Bill Date	St. Ref.No.- Ct. Ref.No.- MO Serial No	St. TV No.- St. TV Date Ct. TV No.- Ct. TV Date	Disbursement Bill Pay No- Bill Pay Date	Account No.	Bank/PO Branch Name (IFSC)	Retrun Date Return Reason	St. Share	Ct. Share	Amt	Rec. Amt	Print Status
SIKAR	CMOAPS	RJ-S-08857125 / RJ-S-08857125	April-2021	1404517- 30/04/2021	1404517	22886- 06/05/2021	BANK ACCOUNT	45300100007 140	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank- Garoda (BARB0BRGB XX)	/	750	0	750	0	NonPrin t
			May-2021	1407749- 28/05/2021	1407749	35827- 10/06/2021	BANK ACCOUNT	45300100007 140	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank- Garoda (BARB0BRGB XX)	/	750	0	750	0	NonPrin t
			June-2021	1409777- 29/06/2021	1409777	54428- 30/07/2021	BANK ACCOUNT	45300100007 140	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank- Garoda (BARB0BRGB XX)	/	750	0	750	0	NonPrin t
			July-2021	1412579- 30/07/2021	1412579	59334- 13/08/2021	BANK ACCOUNT	45300100007 140	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank- Garoda (BARB0BRGB XX)	/	750	0	750	0	NonPrin t
			August-2021	1415818- 28/08/2021	1415818		BANK ACCOUNT	45300100007 140	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank- Garoda (BARB0BRGB XX)	/	750	0	750	0	NonPrin t
Total Paid Amount											3750	0	3750		

rajssp.raj.nic.in

01/09/2021 12:45:27

1 of 1



## परिशिष्ट ण

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.10.5 (ग) (ii))

एक ही लाभार्थी के पेंशन भुगतान के संबंध में बेमेल जानकारी दिखा रही ओएपी 7 और राजएसएसपी की 'सर्विस गारंटी रिपोर्ट' के स्क्रीनशॉट (पीपीओ सं. आरजे-एस-08141587)

## Public Service Guarantee Report

(Date From 01/04/2017-Date To:31/07/2020)

Block Name : DAUSA

Pension Scheme : CMOAPS-SC

S.No	Pensioner Name	Father/Husband Name	Pensioner Address	Sanction No.	Application Date	Sanction Date	Forward To Treasury Date	First Payment Date
1	Rukmani	Jagannath	102, 102, Jagdish Bairwa, Ward No 5, Railway Phatak Ke Pass, Dausa	RJ-S-08141587	22/09/2017	20/11/2017	20/11/2017	01/11/2017
2	Jagdish	Mangal Ram	102, 102, Jagdish Bairwa, Ward No 5, Railway Phatak Ke Pass, Dausa	RJ-S-08141604	22/09/2017	18/10/2017	18/10/2017	01/10/2017
3	Shanti	Sohan Lal Bairwa	Mishra Nagar New Mandi Road Dausa, Mishra Nagar New Mandi Road Dausa , Mishra Nagar New Mandi Road D	RJ-S-09615575	04/04/2019	19/07/2019	19/07/2019	01/07/2019
4	Kishori	Chhitar Mal	Kishori Lal, Ward No 7, New Colony, Dausa	RJ-S-08189510	08/11/2017	21/03/2018	21/03/2018	01/03/2018
5	Prem	Ram Sahay	Kishori Lal, Ward No 7, New Colony, Dausa	RJ-S-08430420	15/03/2018	04/06/2018	04/06/2018	01/06/2018
6	Kesar	Ramkishan	592, Kishan Lal Banshiwal,	RJ-S-08658136	14/06/2018	30/08/2018	30/08/2018	01/08/2018

## Pensioner's Payment Register (OAP-7)

Pensioner Name : Rukmani

District Name : DAUSA

Block Name : DAUSA

Father Name : Jagannath

Grampanchayat Name :

Village Name : WARD 05

Sanction Date : 20/11/2017

Represece Date : 01/11/2017

Date of Birth : 05/04/1958

Current Bank/Postoffice Branch Name (IFSC) : BANK OF BARODA-JAIPUR ROAD DAUSA (BARB0JAIDAU)

Current Account No. : 144710031496

Address : 102, 102, Jagdish Bairwa, Ward No 5, Railway Phatak Ke Pass, Dausa

Current Disbursement : BANK ACCOUNT

Current Status : Regular Pensioner

Treasury Name	Scheme Name	Sanction No./ OLDPPONO.	Month-Year	St. Bill No.- St. Bill Date	St. Ref. No.- Ct. Ref. No.- MO Serial No	St. TV No.-St. TV Date	Disbursement Bill Pay No- Bill Pay Date	Account No.	Bank/PO Branch Name (IFSC)	Retrun Date Return Reason	St. Share	Ct. Share	Amt	Rec.Amt	Print Status
DAUSA	CMOAPS-SC	RJ-S-08141587 / RJ-S-08141587	November-2017	1353-05/12/2017	780566	42676-11/12/2017	BANK ACCOUNT	144710031496	DENA BANK- dena bank Dausa (BKDN0711447)	/	500	0	500	0	Print
			December-2017	1415-26/12/2017	789735	43691-30/01/2018	BANK ACCOUNT	144710031496	DENA BANK- dena bank Dausa (BKDN0711447)	/	500	0	500	0	Print
			January-2018	1545-23/01/2018	806184	69563-31/03/2018	BANK ACCOUNT	144710031496	DENA BANK- dena bank Dausa (BKDN0711447)	/	500	0	500	0	NonPrint
			February-2018	242-09/05/2018	822183	10165-14/05/2018	BANK ACCOUNT	144710031496	DENA BANK- dena bank Dausa (BKDN0711447)	/	500	0	500	0	Print
			March-2018	15-03/04/2018	840999	3706-21/04/2018	BANK ACCOUNT	144710031496	DENA BANK- dena bank Dausa (BKDN0711447)	/	500	0	500	0	Print
Total Paid Amount											2500	0	2500		

## परिशिष्ट त

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.3 (ii))

उन लाभार्थियों को दर्शाने वाला विवरण जिनके पेंशन बकाया का भुगतान नहीं किया गया

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	पीपीपीओ संख्या	पेंशन बंद होने का महीना	पेंशन के पुनरारम्भ होने का महीना	लम्बित बकाया पेंशन के कुल महीनें	प्रति महीना बकाया पेंशन की राशि	बकाया पेंशन की कुल राशि
1	जरीना	अब्दूल हमीद	आरजे-एस-04668040	मई-16	अगस्त-17	15	500	7500
2	हरीनारायण	लाधू	आरजे-एस-03914182	सितम्बर-16	अगस्त-17	11	500	5500
3	कोसल्या देवी	रामकिशन जाट	आरजे-एस-05344435	सितम्बर-16	अगस्त-17	11	500	5500
4	बीजाराम मीणा	जोधाराम मीणा	आरजे-एस-05691235	सितम्बर-16	अगस्त-17	11	500	5500
5	रामपाल जी कुमावत	रामदेव जी कुमावत	आरजे-एस-04707168	मई-16	अगस्त-17	15	500	7500
6	आन्दी देवी कुमावत	रामपाल जी कुमावत	आरजे-एस-04707234	मई-16	अगस्त-17	15	500	7500
7	भूली देवी	हरिराम गुर्जर	आरजे-एस-03914320	सितम्बर-16	अगस्त-17	11	500	5500
8	रामकिशन जाट	रामलाल जाट	आरजे-एस-04576531	मई-16	अगस्त-17	15	500	7500
9	झमकू देवी	रामदेव बैरवा	आरजे-एस-01420267	मई-16	सितम्बर-17	16	500	8000
10	रुकमा देवी	मोहोरू राम जाट	आरजे-एस-02088388	जून-16	सितम्बर-17	15	500	7500
11	मदन	सुजाराम	आरजे-एस-01425085	मई-16	सितम्बर-17	16	500	8000
12	फुला देवी स्यारोल	मूल चन्द	आरजे-एस-04030658	सितम्बर-16	सितम्बर-17	12	500	6000
13	छीतर माली	रामकरण	आरजे-एस-01512758	जुलाई-16	सितम्बर-17	14	500	7000
14	भूली देवी	हरनाथ बगड़िया	आरजे-एस-01423112	मई-16	सितम्बर-17	16	500	8000
15	चन्दा राम बलाई	बालुराम	आरजे-एस-01366141	जून-16	अक्टूबर-17	16	500	8000
16	बरजी देवी	देवकरण गुर्जर	आरजे-एस-07160478	सितम्बर-16	अक्टूबर-17	13	500	6500
17	चिंद देवी	गोपी राम	आरजे-एस-05290282	जून-16	अक्टूबर-17	16	500	8000
18	भूरी देवी	राम करण गुर्जर	आरजे-एस-06392759	मई-16	अक्टूबर-17	17	500	8500
19	रामकरण	लादू गुर्जर	आरजे-एस-06392753	मई-16	अक्टूबर-17	17	500	8500
20	ग्यारसी देवी	मानमल प्रजापत	आरजे-एस-04660095	मई-16	अक्टूबर-17	17	500	8500
21	गिरधारी लाल मीणा	मांगू राम मीणा	आरजे-एस-2-05400622	अक्टूबर-16	अक्टूबर-17	12	500	6000
22	मंगल चन्द	रुघा राम रैगर	आरजे-एस-05980436	दिसम्बर-16	नवम्बर-17	11	750	8250
23	कृष्णा देवी	सरबन लाल	आरजे-एस-04697779	मई-16	नवम्बर-17	18	500	9000
24	स्याणी देवी	रामलाल जाट	आरजे-एस-05005390	अक्टूबर-16	नवम्बर-17	13	500	6500
25	मीरा देवी	बन्ना राम रैगर	आरजे-एस-01418225	जून-16	नवम्बर-17	17	500	8500
26	रतनी देवी	रतन लाल रैगर	आरजे-एस-03710790	दिसम्बर-16	नवम्बर-17	11	500	5500
27	बरदी देवी	श्रवण रैगर	आरजे-एस-03743359	दिसम्बर-16	नवम्बर-17	11	500	5500

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	पीपीपीओ संख्या	पेंशन बंद होने का महीना	पेंशन के पुनरारम्भ होने का महीना	लम्बित बकाया पेंशन के कुल महीनें	प्रति महीना बकाया पेंशन की राशि	बकाया पेंशन की कुल राशि
28	गोपाल कँवर	रधुवीर सिंह स्नंगारोत	आरजे-एस-01486211	मई-16	नवम्बर-17	18	500	9000
29	रधुवीर सिंह	हरिसिंह कगारोत	आरजे-एस-01486204	मई-16	नवम्बर-17	18	500	9000
30	गीता	किशन लाल	आरजे-एस-01479010	अक्टूबर-16	नवम्बर-17	13	500	6500
31	छोटू राम माली	काना राम माली	आरजे-एस-07189744	मई-16	नवम्बर-17	18	500	9000
32	धापू देवी	उगमाराम बैरवा	आरजे-एस-03740058	मई-16	नवम्बर-17	18	500	9000
33	धापू देवी	रामनारायण	आरजे-एस-01722869	अक्टूबर-16	दिसम्बर-17	14	500	7000
34	जेबुन बेगम	मुनीर अहमद	आरजे-एस-03939944	जनवरी-17	जनवरी-18	12	500	6000
35	लाधू राम गुजर	भैरू	आरजे-एस-03393290	सितम्बर-16	जनवरी-18	16	500	8000
36	ग्याना देवी	मांगू बगड़िया	आरजे-एस-01418723	नवम्बर-16	फरवरी-18	15	500	7500
37	मंगल राम गुर्जर	नन्दा राम गुर्जर	आरजे-एस-06245322	जनवरी-17	फरवरी-18	13	500	6500
38	रामप्यारी जाट	काना जाट	आरजे-एस-03461212	जून-16	मार्च-18	21	500	10500
39	बन्नाराम जाट	रामदेव	आरजे-एस-05139488	अप्रैल-17	मार्च-18	11	750	8250
40	गंगा देवी	मदन लाल यादव	आरजे-एस-04223032	अप्रैल-17	अप्रैल-18	12	750	9000
41	जस्सा	कालू	आरजे-एस-07763825	अप्रैल-17	अप्रैल-18	12	750	9000
42	मुकना बगड़िया	चन्दा बगड़िया	आरजे-एस-01418988	नवम्बर-16	अप्रैल-18	17	500	8500
43	रामप्यारी गुर्जर	नारायण गुर्जर	आरजे-एस-03480630	मार्च-17	अप्रैल-18	13	500	6500
44	घासी राम	राम लाल जाट	आरजे-एस-02087044	जनवरी-17	अप्रैल-18	15	500	7500
45	चितर मल	छिगन लाल	आरजे-एस-04223799	सितम्बर-16	अप्रैल-18	19	500	9500
46	बद्री सांवल	रामनाथ सांवल	आरजे-एस-05620752	सितम्बर-16	अप्रैल-18	19	500	9500
47	गोगा देवी मीणा	मोहन लाल मीणा	आरजे-एस-04007740	मार्च-17	मई-18	14	500	7000
48	जमुना देवी	हनुमान चौधरी	आरजे-एस-07290385	मार्च-17	मई-18	14	500	7000
49	हनुमान सिंह	मगन सिंह	आरजे-एस-05223771	दिसम्बर-16	मई-18	17	500	8500
50	प्रकाश कँवर	पदम सिंह	आरजे-एस-04401727	मई-17	मई-18	12	500	6000
51	कानी गुर्जर	भँवर गुर्जर	आरजे-एस-04444136	जनवरी-17	जुलाई-18	18	500	9000
52	लाछा देवी	रामचन्द्र कुमावत	आरजे-एस-07336686	जुलाई-17	अगस्त-18	13	500	6500
53	गुलाब देवी	राधेश्याम जी	आरजे-एस-01513680	जून-17	अगस्त-18	14	500	7000
54	धना	किशाना राम	आरजे-एस-04370270	जुलाई-17	अगस्त-18	13	750	9750

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	पीपीपीओ संख्या	पेंशन बंद होने का महीना	पेंशन के पुनरारम्भ होने का महीना	लम्बित बकाया पेंशन के कुल महीनें	प्रति महीना बकाया पेंशन की राशि	बकाया पेंशन की कुल राशि
55	लाडलीसरन शर्मा	कल्याण मल शर्मा	आरजे-एस-07140697	सितम्बर-16	अगस्त-18	23	500	11500
56	श्री राम	कमाई जाट	आरजे-एस-04767325	अक्टूबर-16	अगस्त-18	22	500	11000
57	लक्ष्मी	रूपनारायण	आरजे-एस-04432478	जुलाई-17	सितम्बर-18	14	500	7000
58	सीता राम	देवा राम	आरजे-एस-04435859	जुलाई-17	अक्टूबर-18	15	500	7500
59	पूरा राम	बोदू राम बलाई	आरजे-एस-01281563	नवम्बर-17	अक्टूबर-18	11	750	8250
60	भूरी	रामधन	आरजे-एस-01294164	अगस्त-17	अक्टूबर-18	14	500	7000
61	हनुमान तोडावता	धन्ना राम तोडावता	आरजे-एस-03569740	नवम्बर-17	नवम्बर-18	12	750	9000
62	मनभर	जुथारम	आरजे-एस-03884396	सितम्बर-17	नवम्बर-18	14	500	7000
63	मन्नी देवी	जगदीश प्रसाद कुमावत	आरजे-एस-04207356	फरवरी-17	नवम्बर-18	21	500	10500
64	रामप्यारी देवी बलाई	मेवाराम बलाई	आरजे-एस-02105169	नवम्बर-17	दिसम्बर-18	13	500	6500
65	लक्ष्मी देवी	नानगराम बैरवा	आरजे-एस-04447088	नवम्बर-17	दिसम्बर-18	13	500	6500
66	मन्ना देवी	रामपाल	आरजे-एस-07992441	नवम्बर-17	दिसम्बर-18	13	500	6500
67	हीरा	हनुमान	आरजे-एस-04575293	जुलाई-17	दिसम्बर-18	17	500	8500
68	गोपाल	श्रवण	आरजे-एस-05400218	अप्रैल-17	जनवरी-19	21	500	10500
69	मनभर	शोजी	आरजे-एस-04455327	नवम्बर-17	जनवरी-19	14	500	7000
70	गाँधी देवी	आनन्दी लाल	आरजे-एस-04334244	जुलाई-17	जनवरी-19	18	500	9000
71	हनुमान सहाय मीणा	ओकार मल मीणा	आरजे-एस-04028644	नवम्बर-17	फरवरी-19	15	500	7500
72	चन्दा राम जाट	उदा राम जाट	आरजे-एस-05578374	जनवरी-18	अप्रैल-19	15	500	7500
73	लता देवी	मदन राजनात	आरजे-एस-07405934	नवम्बर-17	मार्च-19	16	500	8000
74	नारायण जाट	चन्दा राम	आरजे-एस-07982616	जनवरी-18	मार्च-19	14	500	7000
75	काली देवी	गिरधारी	आरजे-एस-05338800	नवम्बर-18	मई-19	6	500	3000
76	गिरधारी लाल	पन्नाराम गुर्जर	आरजे-एस-05344481	अक्टूबर-18	अप्रैल-19	6	500	3000
77	झमकू देवी	बिरदी चन्द	आरजे-एस-07890290	नवम्बर-18	मई-19	6	500	3000
78	सांगरी देवी	छीतर मल देवेन्दा	आरजे-एस-06397031	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
79	प्रभाती	हनुमान	आरजे-एस-04316970	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
80	रतनी देवी	राम अवतार	आरजे-एस-04014360	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
81	तेजाराम गुर्जर	सूरजकरण	आरजे-एस-05214436	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
82	छोट्टू राम	हरलाल जाट	आरजे-एस-05427356	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
83	जमना देवी	छोट्टू राम	आरजे-एस-05533414	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
84	लाछमा देवी	हरजी	आरजे-एस-07712592	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
85	भवरी देवी	छुट्टन	आरजे-एस-04698459	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
86	रामकंवरी देवी	जयदेव जाट	आरजे-एस-06899385	मई-18	अप्रैल-19	11	750	8250

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	पीपीपीओ संख्या	पेंशन बंद होने का महीना	पेंशन के पुनरारम्भ होने का महीना	लम्बित बकाया पेंशन के कुल महीनें	प्रति महीना बकाया पेंशन की राशि	बकाया पेंशन की कुल राशि
87	रामेश्वर मीणा	रुघनाथ मीणा	आरजे-एस-06291007	मई-18	अप्रैल-19	11	750	8250
88	रामेश्वरी देवी	रामेश्वर लाल	आरजे-एस-07942488	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
89	भूली देवी	छीतर मल गुर्जर	आरजे-एस-03718444	मई-18	अप्रैल-19	11	750	8250
90	जमना देवी	भूरानाथ	आरजे-एस-05444270	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
91	सीता देवी	सरेश्वर	आरजे-एस-03459628	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
92	सोनी	हनुमान	आरजे-एस-03699190	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
93	लाछमा देवी	महाराम जाट	आरजे-एस-03702864	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
94	प्रभाती देवी	रामचन्द जाट	आरजे-एस-03722112	मई-18	अप्रैल-19	11	750	8250
95	मनभर देवी	रामजीवन गुर्जर	आरजे-एस-05184748	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
96	छोटी देवी	धन्ना राम बुरडक	आरजे-एस-06568370	अक्टूबर-18	अप्रैल-19	6	500	3000
97	रामजीवन जाट	भूरा राम	आरजे-एस-03357380	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
98	रमा देवी	मदन लाल कुमावत	आरजे-एस-07088652	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
99	रामलाल	लादूराम	आरजे-एस-03602600	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
100	तीजा	हीरा	आरजे-एस-04316491	मई-18	अप्रैल-19	11	750	8250
101	सरजू देवी	रामस्वरूप बैरवा	आरजे-एस-03454849	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
102	नर्बदा देवी	अर्जुन भोपा	आरजे-एस-01444116	मार्च-18	अप्रैल-19	13	500	6500
103	तेजा	लालाराम	आरजे-एस-04560177	मई-18	अप्रैल-19	11	750	8250
104	धिंसी देवी	पाचूराम गुर्जर	आरजे-एस-06599867	मई-18	अप्रैल-19	11	750	8250
105	हसन मोहम्मद	बोदू स्वान	आरजे-एस-05219738	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
106	पाची देवी जाट	स्योकरण	आरजे-एस-03395132	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
107	सायर देवी	उगमा जाट	आरजे-एस-03464922	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
108	प्रेम	चाँद	आरजे-एस-03961069	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
109	चाँद	रामदेव	आरजे-एस-03960733	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
110	रतन स्वटीक	भोलू राम	आरजे-एस-04114587	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
111	हरफुली	लाधू	आरजे-एस-04323751	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
112	भूली देवी	बोदूराम जाट	आरजे-एस-06466702	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
113	सुबला देवी	गोपाल लाल गर्वा	आरजे-एस-01378377	अक्टूबर-18	अप्रैल-19	6	500	3000
114	अमरी देवी	कजोड़ मल बावरिया	आरजे-एस-05314442	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
115	जुगपाल दास	श्याजी राम दास	आरजे-एस-07729101	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
116	सरजू देवी	भागाराम जाट	आरजे-एस-05691308	मई-18	मई-19	12	500	6000

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	पीपीपीओ संख्या	पेंशन बंद होने का महीना	पेंशन के पुनरारम्भ होने का महीना	लम्बित बकाया पेंशन के कुल महीनें	प्रति महीना बकाया पेंशन की राशि	बकाया पेंशन की कुल राशि
117	ज्याना देवी	सूरजमल	आरजे-एस-03620549	मई-18	मई-19	12	500	6000
118	भूरी देवी	मोहन बाली	आरजे-एस-07159898	मई-18	मई-19	12	500	6000
119	सीता	मदन	आरजे-एस-04035481	मई-18	मई-19	12	500	6000
120	घिसी देवी	भूरा बलाई	आरजे-एस-05522697	मई-18	मई-19	12	750	9000
121	रुकमनी देवी शर्मा	गोपी राम	आरजे-एस-04223063	मई-18	मई-19	12	750	9000
122	सावता राम	डालू राम	आरजे-एस-05343848	मई-18	मई-19	12	500	6000
123	नारायण	बालू राम	आरजे-एस-05290086	मई-18	मई-19	12	500	6000
124	शांति देवी बैरवा	शंकर लाल बैरवा	आरजे-एस-05415033	मई-18	मई-19	12	500	6000
125	रामपाल	चन्दा	आरजे-एस-03947791	मई-18	मई-19	12	750	9000
126	रमा देवी	बालुराम कुमावत	आरजे-एस-05344845	मई-18	मई-19	12	500	6000
127	केसर	मोहन	आरजे-एस-04034634	मई-18	मई-19	12	500	6000
128	हनुमान	नानग	आरजे-एस-04331012	मई-18	मई-19	12	500	6000
129	कमला	हनुमान	आरजे-एस-04326624	मई-18	मई-19	12	500	6000
130	मनमर देवी	हनुमान	आरजे-एस-04004601	मई-18	मई-19	12	500	6000
131	कंवरी देवी	रंगलाल	आरजे-एस-05288714	मई-18	मई-19	12	500	6000
132	मेवा राम गुर्जर	मूला राम गुर्जर	आरजे-एस-1-04007745	मई-18	मई-19	12	500	6000
133	गुलाब देवी	बलवीर भोपा	आरजे-एस-04446233	मई-18	मई-19	12	500	6000
134	छीतर मल शर्मा	रामनाथ शर्मा	आरजे-एस-07058246	मई-18	मई-19	12	500	6000
135	बतूल बानो	भादर खा	आरजे-एस-06653170	मई-18	मई-19	12	500	6000
136	शान्ति देवी	गोपीराम गुर्जर	आरजे-एस-05220137	मई-18	मई-19	12	500	6000
137	किस्तुरी देवी	हरी रैगर	आरजे-एस-06391827	मई-18	मई-19	12	750	9000
138	सायर देवी	राम नारायण जाट	आरजे-एस-07438888	मई-18	मई-19	12	500	6000
139	शुशीला देवी	रामचन्द्र बेरवा	आरजे-एस-05419990	मई-18	मई-19	12	500	6000
140	कानी देवी बेरवा	नाथूराम	आरजे-एस-05290014	मई-18	मई-19	12	500	6000
141	सूरज देवी	सीता राम	आरजे-एस-05339946	मई-18	मई-19	12	500	6000
142	केली देवी	रामलाल गुर्जर	आरजे-एस-03378740	मई-18	मई-19	12	500	6000
143	प्रेम देवी	लक्ष्मण स्वटीक	आरजे-एस-07403417	मई-18	मई-19	12	500	6000
144	जमाल	खुदाबक्श	आरजे-एस-03775246	मई-18	मई-19	12	500	6000
145	केसर देवी	श्याजीराम गुजर	आरजे-एस-06653172	मई-18	मई-19	12	500	6000
146	राम लाल मीणा	नारायण मीणा	आरजे-एस-03603778	मई-18	मई-19	12	500	6000
147	सरजू देवी	रामलाल मीणा	आरजे-एस-03669323	जून-18	मई-19	11	500	5500

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	पीपीपीओ संख्या	पेंशन बंद होने का महीना	पेंशन के पुनरारम्भ होने का महीना	लम्बित बकाया पेंशन के कुल महीनें	प्रति महीना बकाया पेंशन की राशि	बकाया पेंशन की कुल राशि
148	सीताराम मीणा	मधुराम	आरजे-एस-04914924	मई-18	मई-19	12	500	6000
149	गोपी	महादेव	आरजे-एस-03699469	मई-18	मई-19	12	750	9000
150	लक्ष्मी नारायण दरोगा	देवा राम	आरजे-एस-07933262	जून-18	मई-19	11	500	5500
151	हनुमान लाल बेरवा	कालू राम	आरजे-एस-04213420	मई-18	मई-19	12	500	6000
152	तारा देवी	हनुमान बेरवा	आरजे-एस-04030859	मई-18	मई-19	12	500	6000
153	मणि देवी	लादू राम मीणा	आरजे-एस-07058656	मई-18	मई-19	12	750	9000
154	श्योजी राम सिंह	दुर्गा सिंह नरुका	आरजे-एस-04049549	मई-18	मई-19	12	500	6000
155	मूली देवी	हनुमान	आरजे-एस-04336733	मई-18	मई-19	12	500	6000
156	लाला राम गुर्जर	काना राम गुर्जर	आरजे-एस-05420046	मई-18	मई-19	12	500	6000
157	केशर देवी	लक्ष्मी नारायण दरोगा	आरजे-एस-07933256	जून-18	मई-19	11	500	5500
158	गंधा	रामकरण	आरजे-एस-03758672	मई-18	मई-19	12	750	9000
159	तारा चन्द	कल्याण मल	आरजे-एस-04322910	जुलाई-17	मई-19	22	500	11000
160	बरदी देवी	प्रताप गुर्जर	आरजे-एस-03686202	जून-18	मई-19	11	500	5500
161	बरदी देवी	नारायण	आरजे-एस-04328923	मई-18	मई-19	12	500	6000
162	गुलाब देवी	ओकार मल बागड़ा	आरजे-एस-05530223	जून-18	मई-19	11	500	5500
163	ओंकार मल बागड़ा	बालू राम	आरजे-एस-05344509	जून-18	मई-19	11	500	5500
164	झमकू देवी जाट	लक्ष्मण तोडावता	आरजे-एस-03567126	मई-18	जून-19	13	500	6500
165	रम्मी बानो	संतर स्नान	आरजे-एस-05220436	मई-18	जून-19	13	500	6500
166	सायर देवी	मूलाराम गुजर	आरजे-एस-05185385	मई-18	जून-19	13	500	6500
167	कोयली देवी	कान सिंह दरोगा	आरजे-एस-04049630	फरवरी-19	जून-19	4	750	3000
168	सुजाराम	रोडूराम गुर्जर	आरजे-एस-03743143	जनवरी-17	मई-18	16	500	8000
169	सुगना	पांचूराम	आरजे-एस-03532928	दिसम्बर-16	मई-18	17	500	8500
170	सायरी	राम करण	आरजे-एस-02433502	अप्रैल-17	मई-18	13	500	6500
171	कमला देवी	रतन लाल खाली	आरजे-एस-1-05661065	अक्टूबर-16	जून-18	20	500	10000
172	हीरा लाल खाली	नोरता खाली	आरजे-एस-1-04706350	अप्रैल-17	जुलाई-18	15	500	7500
173	भँवरी	सुवा बगड़िया	आरजे-एस-01422271	नवम्बर-16	जुलाई-18	20	500	10000
174	रंगलाल गुर्जर	हरजी गुर्जर	आरजे-एस-1-03711046	सितम्बर-16	अगस्त-18	23	500	11500

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	पीपीपीओ संख्या	पेंशन बंद होने का महीना	पेंशन के पुनरारम्भ होने का महीना	लम्बित बकाया पेंशन के कुल महीनें	प्रति महीना बकाया पेंशन की राशि	बकाया पेंशन की कुल राशि
175	हरजी	भोलू	आरजे-एस-02200547	जून-17	अगस्त-18	14	500	7000
176	कल्ला राम जाट	नारायण जाट	आरजे-एस-05650654	अप्रैल-17	अगस्त-18	16	750	12000
177	भँवर लाल जाट	सुवा लाल जाट	आरजे-एस-05778086	अप्रैल-17	सितम्बर-18	17	500	8500
178	बाबु	अब्दुल	आरजे-एस-04096206	जनवरी-17	अक्टूबर-18	21	500	10500
179	फूला देवी	कानाराम कुम्हार	आरजे-एस-04736260	दिसम्बर-17	नवम्बर-18	11	500	5500
180	नोसर देवी दरोगा	गोविन्द राम दरोगा	आरजे-एस-01323494	फरवरी-18	जनवरी-19	11	500	5500
181	लादू राम बैरवा	धन्ना राम बैरवा	आरजे-एस-08036167	फरवरी-18	जनवरी-19	11	500	5500
182	गल्फू देवी	किशन गुर्जर	आरजे-एस-01582204	जून-17	जनवरी-19	19	750	14250
183	जगदीश	भवर लाल	आरजे-एस-05640467	नवम्बर-17	जनवरी-19	14	500	7000
184	सुवा लाल बैरवा	जुवर लाल	आरजे-एस-03775897	फरवरी-17	जनवरी-19	23	500	11500
185	दया राम	मिटू माड	आरजे-एस-01417121/84004	अप्रैल-17	फरवरी-19	22	500	11000
186	सीता देवी	गणेश	आरजे-एस-02206320	मार्च-17	फरवरी-19	23	500	11500
187	कमली देवी	छीतर गुर्जर	आरजे-एस-03047821	फरवरी-18	फरवरी-19	12	500	6000
188	भगवती देवी स्वामी	श्याम लाल स्वामी	आरजे-एस-01486111	दिसम्बर-17	मार्च-19	15	500	7500
189	सुगनी देवी	बन्नाराम	आरजे-एस-03062808	अगस्त-17	मार्च-19	19	500	9500
190	राजकंवर	रूप सिंह	आरजे-एस-04732669	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
191	जगदीश	मुकना	आरजे-एस-04098277	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
192	प्रभाती माली	गोरधन माली	आरजे-एस-04573709	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
193	जैनू बानो	पीरू मोहम्मद	आरजे-एस-04755420	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
194	चुन्नी देवी	गुल्लाराम	आरजे-एस-07583564	मई-18	मई-19	12	500	6000
195	नोरती देवी	गणेश राम	आरजे-एस-07823515	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
196	सरजू देवी	किशन लाल बलाई	आरजे-एस-01307509/83656	मार्च-18	अप्रैल-19	13	500	6500
197	गंगा देवी	हीरा बैरवा	आरजे-एस-03739058	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
198	मोहन कँवर	बहादुर सिंह	आरजे-एस-04478479	मई-18	अप्रैल-19	11	750	8250
199	हंगम देवी	नन्दा राम गुर्जर	आरजे-एस-07438664	मई-18	अप्रैल-19	11	750	8250
200	गुलाब देवी	बोदू राम	आरजे-एस-04462372	मार्च-17	फरवरी-18	11	500	5500
201	गोरा देवी कुम्हार	रामधन कुम्हार	आरजे-एस-1-03638591	अगस्त-16	मार्च-18	19	750	14250
202	बादाम देवी	पाचू रैगर	आरजे-एस-01423762/83237	अक्टूबर-16	मार्च-18	17	500	8500



क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	पीपीपीओ संख्या	पेंशन बंद होने का महीना	पेंशन के पुनरारम्भ होने का महीना	लम्बित बकाया पेंशन के कुल महीनें	प्रति महीना बकाया पेंशन की राशि	बकाया पेंशन की कुल राशि
203	परसन देवी	छीतर मीणा	आरजे-एस-1-03592803	दिसम्बर-16	मार्च-18	15	500	7500
204	लक्ष्मण स्मारोल	बालूराम स्मारोल	आरजे-एस-04614316	मई-16	अप्रैल-18	23	500	11500
205	प्रभाती देवी	नाथू माली	आरजे-एस-07480813	अक्टूबर-16	दिसम्बर-17	14	500	7000
206	बाबु स्नान	वजीर सा	आरजे-एस-1-014474945	नवम्बर-16	दिसम्बर-17	13	500	6500
207	जमीला	बाबु सा	आरजे-एस-1-04683628	नवम्बर-16	दिसम्बर-17	13	500	6500
208	मुमताज	बेली सा	आरजे-एस-01515117	जनवरी-17	जनवरी-18	12	500	6000
209	नन्दाराम	देवकरण	आरजे-एस-03688990	जनवरी-17	जनवरी-18	12	500	6000
210	रतनी देवी	नन्दाराम	आरजे-एस-03613454	जनवरी-17	जनवरी-18	12	500	6000
211	जमना	पाचू	आरजे-एस-03927941	जून-16	जनवरी-18	19	500	9500
212	जरीना	अब्दुल हमीद	आरजे-एस-04668040	मई-16	अगस्त-17	15	500	7500
213	संतोष देवी	लक्ष्मण स्मारोल	आरजे-एस-04700349	मई-16	जनवरी-18	20	500	10000
214	श्यामनारायण	हरकन	आरजे-एस-04475678	अक्टूबर-16	जनवरी-18	15	500	7500
215	छोटी देवी	सुसा रैगर	आरजे-एस-03920815	जून-16	जनवरी-18	19	500	9500
216	गंगा देवी	मधु बावरिया	आरजे-एस-07398802	मई-16	फरवरी-18	21	500	10500
217	गीता मीणा	रामजीलाल मीणा	आरजे-एस-03711110	दिसम्बर-16	फरवरी-18	14	500	7000
218	हुकमा राम जाट	हीरा	आरजे-एस-03764624	जून-16	फरवरी-18	20	500	10000
219	राम पाल जाट	ओंकार जाट	आरजे-एस-04566794	मई-16	फरवरी-18	21	750	15750
220	सीता राम	छीतर बैरवा	आरजे-एस-04655418	मई-16	अप्रैल-18	23	500	11500
221	रतनी देवी बैरवा	नारायण बैरवा	आरजे-एस-01390925	अगस्त-16	अप्रैल-18	20	750	15000
222	ज्याना देवी जाट	नन्दाराम	आरजे-एस-01483861	जनवरी-17	अप्रैल-18	15	500	7500
223	बजरंग धोबी	गोवर्धन धोबी	आरजे-एस-03710979	सितम्बर-16	अप्रैल-18	19	500	9500
224	परेमा लोहार	मसरू लोहार	आरजे-एस-06998704	अप्रैल-17	अप्रैल-18	12	500	6000
225	शान्ति देवी	बजरंग मीणा	आरजे-एस-03743314	दिसम्बर-16	मई-18	17	500	8500
226	नन्दू देवी	श्याजी राम	आरजे-एस-05470788	जुलाई-17	अप्रैल-19	21	500	10500
227	ग्यारसी	रामधन	आरजे-एस-04684083	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
228	सावलराम कुम्हार	रामदेव कुम्हार	आरजे-एस-03529681	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
229	ग्यारसी देवी	भेरू राम स्नाती	आरजे-एस-07221577	मई-18	मई-19	12	750	9000
230	श्रवणी देवी	गोपी राम जाट	आरजे-एस-07299723	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
231	भादम देवी बगड़िया	बगवान बगड़िया	आरजे-एस-05668809	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	पीपीपीओ संख्या	पेंशन बंद होने का महीना	पेंशन के पुनरारम्भ होने का महीना	लम्बित बकाया पेंशन के कुल महीनें	प्रति महीना बकाया पेंशन की राशि	बकाया पेंशन की कुल राशि
232	इंद्रा	ग्यारसी लाल माली	आरजे-एस-04708611	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
233	मंगल	रामपाल	आरजे-एस-04583407	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
234	दासा देवी जाट	कल्याण	आरजे-एस-07848125	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
235	सुजान सिंह	किशोर सिंह	आरजे-एस-05980505/82135A	मई-18	मई-19	12	750	9000
236	रामकरण गुर्जर	रामदेव गुर्जर	आरजे-एस-04508839	मई-18	मई-19	12	500	6000
237	देऊ देवी	रामकरण गुर्जर	आरजे-एस-04521014	मई-18	मई-19	12	500	6000
238	गोपाल स्वामी	रामचन्द्र	आरजे-एस-03699539	मई-18	मई-19	12	500	6000
239	जुम्मा	गोपी राम	आरजे-एस-04476260	जून-18	मई-19	11	500	5500
240	पोस्वर जाट	हरकरण	आरजे-एस-05176410	मई-18	मई-19	12	500	6000
241	गोरधन	नाथू राम	आरजे-एस-04455065	मई-18	मई-19	12	500	6000
242	भवरी देवी	गोरधन	आरजे-एस-04453224	मई-18	मई-19	12	500	6000
243	रमा देवी	रामेश्वर जाट	आरजे-एस-07348522	दिसम्बर-18	मई-19	5	500	2500
244	हगामी देवी	हरजी राम भील	आरजे-एस-1-04503724	मई-18	मई-19	12	500	6000
245	अमरी देवी	श्योजी	आरजे-एस-05191504	मई-18	मई-19	12	500	6000
246	रामधन जाट	छीतर जाट	आरजे-एस-06252794	मई-18	मई-19	12	500	6000
247	सुवा लाल माली	गोरधन माली	आरजे-एस-05621808	मई-18	मई-19	12	500	6000
248	लादूराम	मूलचंद राणा	आरजे-एस-06836223	जून-18	मई-19	11	500	5500
249	सायर	बालू राम	आरजे-एस-03770368	मई-18	मई-19	12	500	6000
250	सीता देवी	राम चन्द्र दरोगा	आरजे-एस-07844573	मई-18	मई-19	12	500	6000
251	हरी राम माली	नोरता माली	आरजे-एस-04711354	मई-18	मई-19	12	500	6000
252	मांगी देवी	हरी राम माली	आरजे-एस-04711985	मई-18	मई-19	12	500	6000
253	मनभर देवी जाट	सुंडा राम जाट	आरजे-एस-06606581	मई-18	मई-19	12	500	6000
254	रूपा देवी	किशाना राम गुर्जर	आरजे-एस-07153092	मई-18	मई-19	12	500	6000
255	बन्नी देवी	श्री राम करण	आरजे-एस-04469720	मई-18	मई-19	12	500	6000
256	मंगली देवी	गोपी राम माली	आरजे-एस-05687249	मई-18	मई-19	12	500	6000
257	पन्ना लाल	कुंजी लाल	आरजे-एस-04594943	मई-18	मई-19	12	500	6000
258	भूली देवी	छोटू	आरजे-एस-03638648	मई-18	मई-19	12	500	6000
259	मोहनी देवी	राम जीवन जाट	आरजे-एस-03967607	मई-18	मई-19	12	500	6000
260	पाना देवी	मधू पूरी	आरजे-एस-04460031	मई-18	मई-19	12	750	9000
261	संतोष देवी मीणा	मोहन लाल मीणा	आरजे-एस-05687202	मई-18	मई-19	12	500	6000

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	पीपीपीओ संख्या	पेंशन बंद होने का महीना	पेंशन के पुनरारम्भ होने का महीना	लम्बित बकाया पेंशन के कुल महीनें	प्रति महीना बकाया पेंशन की राशि	बकाया पेंशन की कुल राशि
262	मदन लाल कुम्हार	श्रीलाल कुम्हार	आरजे-एस-1-03669912	मई-18	मई-19	12	500	6000
263	मनोहर देवी	मदन कुम्हार	आरजे-एस-1-03644471	मई-18	मई-19	12	500	6000
264	रतन लाल बेरवा	रामू बेरवा	आरजे-एस-04433006	मई-18	मई-19	12	500	6000
265	घिसी देवी	रतन लाल	आरजे-एस-04828430	मई-18	मई-19	12	500	6000
266	तेजपाल बेरवा	मधु राम बेरवा	आरजे-एस-07213870	मई-18	मई-19	12	500	6000
267	गीता देवी हरिजन	किशन लाल हरिजन	आरजे-एस-1-04735660	मई-18	मई-19	12	500	6000
268	मगधू देवी	रामेश्वर	आरजे-एस-04540510	मई-18	मई-19	12	500	6000
269	हसीना बानो	सबीर मोहम्मद	आरजे-एस-07733431	मई-18	मई-19	12	500	6000
270	चिन्द देवी	गोपी राम	आरजे-एस-05290282	मई-18	मई-19	12	500	6000
271	बिदाम देवी	बद्री मीणा	आरजे-एस-05050727	मार्च-18	मई-19	14	500	7000
272	लाड कँवर	कल्याण सिंह	आरजे-एस-04738092	मई-18	मई-19	12	500	6000
273	निर्मला देवी	टीकम चन्द	आरजे-एस-01357295	मई-16	अगस्त-17	15	750	11250
274	प्रेम देवी	रामचन्द्र रेगर	आरजे-एस-01186905	सितम्बर-16	अगस्त-17	11	500	5500
275	सुरज्ञान देवी	रामुजी दरोगा	आरजे-एस-01284535	जून-16	सितम्बर-17	15	500	7500
276	श्रवणी देवी	महादेव जाट	आरजे-एस-01332322	मई-16	सितम्बर-17	16	500	8000
277	ज्याना देवी	बन्ना राम बुरडक	आरजे-एस-05291759	अक्टूबर-16	सितम्बर-17	11	500	5500
278	मनभर देवी	भँवर लाल गुर्जर	आरजे-एस-01326803	जून-16	अक्टूबर-17	16	500	8000
279	स्यानी देवी	रामजीवन जाट	आरजे-एस-01301136	मई-16	नवम्बर-17	18	500	9000
280	केसर देवी	भगवत राम सटीक	आरजे-एस-01353252	नवम्बर-16	फरवरी-18	15	500	7500
281	श्री कँवर	भेरु सिंह	आरजे-एस-01346577	जनवरी-17	मार्च-18	14	500	7000
282	पपू देवी	सरदार गुर्जर	आरजे-एस-01581549	सितम्बर-16	अप्रैल-18	19	500	9500
283	संतोष देवी	रामरतन मीणा	आरजे-एस-07304234	जुलाई-17	जून-18	11	500	5500
284	कमला देवी	कालूराम कुमावत	आरजे-एस-01277857/83521	नवम्बर-17	जनवरी-19	14	500	7000
285	रेखा कँवर	श्रवण सिंह	आरजे-एस-01378071	जुलाई-17	जनवरी-19	18	500	9000
286	केसर देवी	मूल चन्द	आरजे-एस-07705231	जुलाई-17	जनवरी-19	18	500	9000
287	सुगनी	सीताराम सटीक	आरजे-एस-05755018	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
288	बोदी देवी	नानू राम कुमावत	आरजे-एस-07146513	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
289	माया देवी	राम दयाल	आरजे-एस-04159239	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	पीपीपीओ संख्या	पेंशन बंद होने का महीना	पेंशन के पुनरारम्भ होने का महीना	लम्बित बकाया पेंशन के कुल महीनें	प्रति महीना बकाया पेंशन की राशि	बकाया पेंशन की कुल राशि
290	संतोष देवी	बिरदी चन्द बड़भूज्या	आरजे-एस-07928984	मई-18	मई-19	12	500	6000
291	पत्नी देवी	सावता राम	आरजे-एस-1-05344706	मई-18	मई-19	12	1000	12000
292	पुष्पा देवी भाद	मूलाराम भाद	आरजे-एस-06792768	मई-18	मई-19	12	500	6000
293	पुष्पा देवी तेपन	मालू राम तेपन	आरजे-एस-07980565	जून-18	मई-19	11	500	5500
294	भँवरी देवी	हनुमान कुमावत	आरजे-एस-04449125	मई-18	मई-19	12	500	6000
295	भवेर देवी	राम सुख	आरजे-एस-03944967	मई-18	मई-19	12	500	6000
296	लक्ष्मी	सूरज मल सटीक	आरजे-एस-07701111	मई-18	मई-19	12	500	6000
297	सजना देवी	मिट्ठन लाल यादव	आरजे-एस-04013531	मई-18	मई-19	12	500	6000
298	राजा देवी	रामेश्वर जाट	आरजे-एस-01295797/84160	मई-18	मई-19	12	1000	12000
299	कानी देवी	सीताराम	आरजे-एस-03886295	मई-18	मई-19	12	500	6000
300	मनफूल देवी	स्व. नारायण कुम्हार	आरजे-एस-1-03564470	जुलाई-16	मई-18	22	500	11000
301	सुमित्रा देवी	शिव प्रसाद शर्मा	आरजे-एस-01355093/85162	अप्रैल-17	जून-18	14	500	7000
302	भूली देवी	भँवर लाल जाट	आरजे-एस-01286564/83771	सितम्बर-16	अगस्त-18	23	500	11500
303	रसाल देवी	हरी राम गुर्जर	आरजे-एस-01592218	जून-17	फरवरी-19	20	500	10000
304	दुर्गा सेन	महेश चन्द सेन	आरजे-एस-03712128	मार्च-18	मार्च-19	12	500	6000
305	रुकसाना	अब्दुल रहमान	आरजे-एस-04722740	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
306	नन्ही देवी	राम लाल	आरजे-एस-03294178	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
307	संतोष देवी पारीक	गणेश नारायण पारीक	आरजे-एस-01323343	मई-16	मार्च-18	22	500	11000
308	सायर देवी	बन्ही राणा	आरजे-एस-01313187/82688	अप्रैल-17	अप्रैल-18	12	500	6000
309	सुप्यार देवी	महावीर प्रसाद बैरवा	आरजे-एस-01332839/82890	मई-16	फरवरी-18	21	500	10500
310	लाडा देवी	बोधुराम मीणा	आरजे-एस-01286673/83823	सितम्बर-16	फरवरी-18	17	500	8500
311	विनोद कंवर	सुरेश सिंह बडवा	आरजे-एस-07304148	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
312	निर्मला देवी	बन्सी लाल राणा	आरजे-एस-04724120	मई-18	अप्रैल-19	11	500	5500
313	रफीका	मुन्नी शाक	आरजे-एस-04724329	मई-18	मई-19	12	500	6000

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	पीपीपीओ संख्या	पेंशन बंद होने का महीना	पेंशन के पुनरारम्भ होने का महीना	लम्बित बकाया पेंशन के कुल महीनें	प्रति महीना बकाया पेंशन की राशि	बकाया पेंशन की कुल राशि
314	कांता देवी	भागचंद जैन	आरजे-एस- 01299667/83228	मार्च-18	मई-19	14	1000	14000
315	मनीषा देवी	हंसराज बैरवा	आरजे-एस-07705390	मई-18	मई-19	12	500	6000
316	केसर देवी	हरलाल बलाई	आरजे-एस- 01256541/83856	मार्च-18	मई-19	14	500	7000
<b>योग</b>								<b>2249750</b>

## परिशिष्ट थ

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.3 (iii))

सीएमडब्ल्यूपीएस (अब सीएमइएनएसपीएस) के उन लाभार्थियों को दर्शाने वाला विवरण जिनकी पेंशन रोक दी गई

क्र. सं.	पेंशनभोगी का नाम	खण्ड	पीपीओ संख्या	पेंशन के आखिरी भुगतान का महीना
1	बीना/ राजकुमार	अजमेर/ शहरी	आरजे-एस-00226294	अप्रैल-18
2	गोदावरी/ सुखदेव	अजमेर/ शहरी	आरजे-एस-03245450	अप्रैल-18
3	पंकज शर्मा/ गोविन्द नारायण	अजमेर/ शहरी	आरजे-एस-03448869	अप्रैल -18
4	बाल कँवर/ शेर सिंह	अजमेर/ शहरी	आरजे-एस-03456904	अप्रैल -18
5	अंजना बंसल/ जगदीश चंदर	अजमेर/ शहरी	आरजे-एस-1-03475799	अप्रैल -18
6	शांति देवी/ पन्ना लाल	अजमेर/ शहरी	आरजे-एस-1-02126545	अप्रैल -18
7	अनीता/ महेश चन्द	अलवर/ शहरी	आरजे-एस-01137154	सितम्बर-18
8	राम बाई/ छीत्तर मल	अलवर/ शहरी	आरजे-एस-01619602	अगस्त-18
9	लाली देवी/ राम धन	अलवर/ शहरी	आरजे-एस-04188856	जुलाई-17
10	संतोष देवी/ मुदराम	अलवर/ शहरी	आरजे-एस-03009808	अगस्त-18

परिशिष्ट द

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.5)

राजएसएसपी पोर्टल पर अनुत्तरित शिकायतों का स्क्रीनशॉट

View Data: total unattend query of (cmoaps&cmwps)

8,060 rows  Show aliases  Show all fields Copy Export All

Description	Fname	Lname	Name	Query Date	Query Id	Sanction Date	Sanction No	Social Scheme Id	Solution	Solution Date
1000/- milne chahiye but 7500/- milrahe he karan bataye	Laxman Lodha		Bhanvi Bai	7/22/2018 12:50:48 PM	10920	5/28/1993	RJ-S-01756636		1 Null	Null
Pension nahil mil rahi he	Harqun Panwar		Sita Panwar	7/6/2020 11:03:38 AM	55982	5/17/2013	RJ-S-01882163		1 Null	Null
Amount not received	Ramesh		Champa Bai	4/25/2020 8:35:01 PM	48652	12/8/2012	RJ-S-01543591		1 Null	Null
पेंशन बंद हो गई है पेंशन नहीं आ रहा है	Pratap Ram		Pyari Devi	6/7/2020 4:27:50 PM	55417	2/8/2013	RJ-S-01639042		13 Null	Null
VIDHWA PENSION	Mulchand Kumhar		Kampuri Devi Kumhar	12/31/2019 6:47:00 PM	28551	2/19/2013	RJ-S-01671085		3 Null	Null
75	Sugan Singh Rajput	Rajput	Bhanwar Bai	7/16/2017 11:26:57 PM	4327	12/16/1998	RJ-S-01494905		1 Null	Null
pension	Manohar Singh		Meera	5/7/2018 3:12:15 PM	9789	1/1/2000	RJ-S-01433560		1 Null	Null
pension aadhnik meel rahi he	Manohar Singh		Meera	6/5/2018 3:57:55 PM	10218	1/1/2000	RJ-S-01433560		1 Null	Null
मेरी माँ 2019 व ब्रून 2019 की पेंशन नहीं आई पहले भी शिकायत द...	Chotu Jat		Mohari Devi	6/29/2020 1:04:55 PM	55832	12/14/2010	RJ-S-01424148		1 Null	Null
Pension not coming since last year please help my grand...	Bijusingh		Chatara Devi	1/16/2019 7:26:08 PM	14356	1/1/1999	RJ-S-01405958		1 Null	Null
mere aadhar or bhamsaha card me date of birth 01 jan ...	Ram Singh Jhala		Saras Kunwar	6/18/2020 5:39:59 PM	55648	10/1/2004	RJ-S-01433857		1 Null	Null
mummi is now 60year old and her pension 500 rupees on...	Suresh Chand Brahman		Munni	1/23/2019 11:06:11 AM	14610	12/12/2007	RJ-S-01113375		1 Null	Null
H	Vijaysingh		Bejanti	6/28/2019 11:22:38 AM	18291	1/27/2009	RJ-S-01119194		1 Null	Null
MERI FEBRUARY 2020 KI PENSION NAHI AYE MARCH ...	Hardayal		Hari Bai	5/23/2020 2:18:55 PM	52157	8/11/2009	RJ-S-01135555		1 Null	Null
payment hamare khate me jama nhi ho rhi hai	Mahveer Pandit		Vidaya Devi	10/9/2019 10:17:20 AM	21907	12/1/2004	RJ-S-01606263		1 Null	Null
phalodi treasury mai document complet march 2018 mai...	Naq Singh Rajput		Ugam Kanwar Rajput	7/9/2018 8:39:04 PM	10711	5/3/2008	RJ-S-01231717		1 Null	Null
sir 2 month se payment nhi ho rha h kya kre aap year ka...	Sohan Ram	Devi	Marju	3/23/2018 8:52:37 AM	9061	10/25/2007	RJ-S-01227387		1 Null	Null
my pension is 750 and i am widow and 60 year above a...	Nahar Singh Rajput		Prem Kanwar	12/24/2019 9:45:08 AM	28432	1/1/2011	RJ-S-01488200		1 Null	Null
PANSAN HAS BEEN STOP SINCE 2015	Dhansiram Bairwa		Shanti Devi	6/17/2018 10:42:29 AM	10369	8/7/2010	RJ-S-01085523		13 Null	Null
PANSAN HAS BEEN STOP SINCE 2015 , I WANT TO C...	Dhansiram Bairwa		Shanti Devi	6/26/2018 9:16:32 PM	10488	8/7/2010	RJ-S-01085523		13 Null	Null
अभी का पेंशन नहीं आया सामाना verification हो चुका है	Manqu Gadolla		Gheesi	9/4/2019 1:33:27 PM	21087	11/1/1996	RJ-S-01026078		13 Null	Null
मैंने मेरी पेंशन 2-3 महीने में नहीं मिल रही है कृपया पेंशन भेजने कि क...	Rajkumar Varma		Sushila Devi	3/2/2019 5:59:25 PM	15889	2/4/2011	RJ-S-01424121		13 Null	Null
muljhe mere pension 2mahine se nahil mil rahi hai karpj...	Rajkumar Varma		Sushila Devi	2/12/2019 11:32:17 AM	15330	2/4/2011	RJ-S-01424121		13 Null	Null
मैंने तीन महीने में पेंशन मेरे खाते में नहीं मिल रही है कृपया इस का म...	Rajkumar Varma		Sushila Devi	11/11/2018 11:41:58 AM	13171	2/4/2011	RJ-S-01424121		13 Null	Null
My new A/C no 15950110003510 IFSC.UCBA0001595 ...	Bheru Ram Berwa		Shanti Devi	5/9/2018 8:43:01 PM	9821	12/10/2010	RJ-S-1-01043594		13 Null	Null
नमस्कर और दिवंबर की पेंशन नहीं आयी है	Bheru Ram Berwa		Shanti Devi	2/17/2019 3:45:12 PM	15521	12/10/2010	RJ-S-1-01043594		13 Null	Null
पेंशन नहीं आई है अभी	Bheru Ram Berwa		Shanti Devi	1/26/2019 8:15:50 PM	14701	12/10/2010	RJ-S-1-01043594		13 Null	Null
श्री मान बी 2 महीने में पेंशन नहीं आयी है क्या कारण है	Bheru Ram Berwa		Shanti Devi	1/15/2019 10:54:14 AM	14296	12/10/2010	RJ-S-1-01043594		13 Null	Null
श्री मान बी दो महीने में पेंशन नहीं आया है	Bheru Ram Berwa		Shanti Devi	9/10/2018 2:21:34 PM	11990	12/10/2010	RJ-S-1-01043594		13 Null	Null
Payment not rchive 4month	Bheru Ram Berwa		Shanti Devi	7/11/2019 12:43:10 PM	18603	12/10/2010	RJ-S-1-01043594		13 Null	Null
Pension is not given on time	KANHYA LAL MAHER	Bai Maher	JAMNA	8/22/2018 2:35:13 PM	11597	4/1/2008	RJ-S-1-01011107		13 Null	Null
LXWJ7	Sugan Lal Bairwa	Bairwa	Lali Devi	5/22/2020 11:12:17 AM	52137	12/25/2010	RJ-S-01054728		13 Null	Null
सर मेरी pensio 5 months में बंद है मेने verification भी करा लि...	Prabhulal Mehar		Dwarka Bai	5/12/2019 7:21:11 PM	17317	12/9/2010	RJ-S-01092371		13 Null	Null
Pension query	Bhuri Singh		Pinki	5/15/2020 7:13:12 AM	49999	4/27/2011	RJ-S-01041158		13 Null	Null
date of birth is wrong in pension correct date of bith acc...	Girdhari Bairwa		Dallu	1/4/2019 2:07:21 PM	13996	10/23/2001	RJ-S-01033360		13 Null	Null
विद्यवा पेंशन जो ₹ 1000 हो चुकी है लेकिन मेरे बच में चालू हुई है 500...	Goparam Meghwal		Chouthiki Meghwal	5/14/2020 11:16:10 AM	49987	2/6/2012	RJ-S-01404239		13 Null	Null
reason stop pension 11 month	Kundan Lal		Sukki Devi	5/8/2017 12:47:45 PM	2542	3/21/2011	RJ-S-01040162		13 Null	Null
widwo and aqe 75 year se uper h iski pension bdayi jaye	Farsa Ram Meghwal		Badhu Devi	9/25/2018 1:37:42 PM	12355	4/1/2008	RJ-S-01001861		13 Null	Null
SIR MERI DATE OF BIRTH 01-01-1969 HAI OR ME VID...	Babu Lal Berawa		Nati Bai	7/29/2019 6:16:49 PM	19112	7/1/2006	RJ-S-01102415		13 Null	Null
Feb 2018 and mar 2018 payment not submitted in bank ...	Om Prakash Reqar		Premiata	3/13/2018 9:44:55 AM	8782	11/1/2009	RJ-S-01667721		13 Null	Null
फरवरी 2018 व मार्च 2018 का पेंशन खाते में अना नहीं हुआ है	Om Prakash Reqar		Premiata	3/13/2018 9:46:10 AM	8783	11/1/2009	RJ-S-01667721		13 Null	Null
sir last six month pension nhi aa rhi hai	Kisnaram		Amri Devi	7/1/2020 5:15:27 PM	55881	12/20/2010	RJ-S-01089343		17 Null	Null
10 month se meri pension Axis bank Account me nhi aa ...	Oakar		Haker	9/14/2018 11:06:10 PM	12119	4/17/1997	RJ-S-1-01017933		14 Null	Null
2 month se vidhava pensan nhi aa rhi he . Axis Bank saq...	Oakar		Haker	12/5/2018 10:16:23 PM	13517	4/17/1997	RJ-S-1-01017933		14 Null	Null
Pensan nhi aa rhi he 8month se axis bank account me h...	Oakar		Haker	9/28/2018 10:17:15 PM	12439	4/17/1997	RJ-S-1-01017933		14 Null	Null

Summary Full Data 8,060 rows

© भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  
<https://cag.gov.in>



<https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/hi>